Mitch की राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₹[†]. 445] No. 445]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2003/भाइ 21, 1925 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2003/BHADRA 21, 1925

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 738(अ).— केन्द्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

अध्याय – ७ प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम,2003 है:
 - (2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसको अधिनियम प्रवृत्त होगा I
- परिभाषाएं :-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) अभिप्रेत है ;
 - (ख) "प्राधिकरण" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
 - (ग) "अध्यक्ष" से धारा 3 की उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है :
 - (घ) "फीस" से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस अभिप्रेत है ;

- (ङ) "प्ररूप" से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;
- (च) "राजपत्र" से भारत सरकार का राजपत्र अभिप्रेत है ;
- (छ) "जरनल" से प्राधिकरण का मासिक जरनल अभिप्रेत है ;
- (ज) "अशासकीय सदस्य" से किसी पदेन सदस्य से भिन्न प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है;
- (झ) "सूचना" से अधिनियम के अधीन अधिकरण या रिजस्ट्रार या प्राधिकरण द्वारा जारी की गई "सूचना" अभिप्रेत हैं ;
- (ञ) "रिजिस्ट्रार" से धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त पौधा किस्म रिजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उस धारा की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त पौधा किस्म महारिजिस्ट्रार भी है;
- (z) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ठ) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;
- (ड) "अभ्यावेदन" से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में प्राधिकरण अथवा रिजस्ट्रार को संबोधित कोई लिखित संसूचना अभिप्रेत है ;
- (ढ) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

दी जाने वाली विशिष्टियों का ब्यौरा

आवेदन या अभ्यावेदन करते समय :--

- (1) अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूपों के मामले के सिवाय, इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन कोई आवेदन या अभ्यावेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूपों में विशिष्टियां देगा ।
- (2) यदि कोई आवेदन या अभ्यावेदन पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुसंगत प्ररूपों में यथाविनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियां दिए बिना फाइल किया गया है तो, यथास्थिति,

प्राधिकरण या रिजस्ट्रार आवेदक या उस व्यक्ति को, जिसने आवेदन या अभ्यावेदन फाइल किया है, ऐसी विशिष्टि फाइल करने के लिए एक मास की सूचना देगा !

- (3) वह आवेदक या व्यक्ति, जिसने, यथास्थिति, आवेदन या अभ्यावेदन फाइल किया है, यथास्थिति, आवेदन या अभ्यावेदन को उपनियम (2) की सूचना के निबंधनानुसार यथाअनुझात एक मास की अवधि के भीतर ठीक करने में व्यतिक्रम करता है या असफल रहता है तो ऐसा आवेदन या अभ्यावेदन आगे और कोई सूचना दिए बिना नामंजूरी के लिए दायी होगा ।
- (4) जहां किसी प्रयोजन के लिए कोई प्ररूप इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, वहां आवेदक पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट यथाशक्य निकटतम प्ररूप ऐसे उपांतरणों और परिवर्तनों, जो आवश्यक समझे जाएं, के साथ अपना सकेंगा ।

प्राधिकरण का कार्यालय :--

- (1) अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के लिए, प्राधिकरण का, कार्यालय, यथास्थिति, नई दिल्ली स्थित प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय या शाखा कार्यालय होगा, जिसकी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर-
 - (क) पौधा किस्म या कृषक अधिकार के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदक के कारबार का मुख्य स्थान या अधिवास है; या
 - (ख) यदि आवेदन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम में संयुक्त रूप में किया जाता है, तो पौधा किस्म या कृषक अधिकार के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदक जिसका नाम आवेदन में पहले उल्लिखित है, निवास करता है या उसके कारबार का मुख्य स्थान है या अधिवास है; या
 - (ग) रिजस्ट्रीकृत संवर्धक के अभिकर्ता या अनुज्ञाप्तिधारी का कारबार प्रधान स्थान है या उसका अधिवास है ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब तक शाखा कार्यालय स्थापित नहीं किए जाते हैं, तब तक अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के लिए समुचित कार्यालय नई दिल्ली स्थित प्राधिकरण का प्रथान कार्यालय होगा ।

सूचना, आदि की तामील के लिए पता

- (1) आवेदक सहित ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी किसी कार्यवाही से संबद्ध है जिसे यह अधिनियम या ये नियम लागू होते हैं, प्राधिकरण या रिजस्ट्रार को भारत में तामील के लिए पूरा पता भेजेगा और वह पता ऐसी कार्यवाहियों या अनुदत्त अधिकारों से संबंधित सभी प्रयोजनों के लिए, कार्यवाहियों में व्यक्ति या व्यक्तियों के पते के रूप में माना जाएगा ।
- (2) जब तक ऐसा पता नहीं दिया जाता है जब तक आधिकरण या रिजस्ट्रार या तो कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होने या किसी कार्यवाही को करने या कोई सूचना भेजने के लिए, जो अधिनियम या इन नियमों के अधीन दी जानी अपेक्षित हो, बाध्य नहीं होगा ।

6. आवेदन, अभ्यावेदन और सूचनाओं के जारी किए जाने के संबंध में प्रक्रिया-

· valence

- (1) प्रत्येक आवेदन या अभ्यावेदन उस आवेदक या ख्रावित द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षर करके भेजेगा जिसने अभ्यावेदन किया है और रजिस्ट्रार या प्राधिकरण को, उसके कार्यालय में पहुंचाया जाएगा ।
- (2) आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के नाम तथा पते पूर्ण रूप से उनकी राष्ट्रीयता और ऐसी अन्य विशिष्टियों के साथ दिए जाएंगे जो उनकी पहचान के लिए और उन्हें संसूचनाएं भेजने के लिए आवश्यक हों।
- (3) (क) अधिनियम या नियमों के अधीन फाइल किए गए या फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित सभी आवेदन, अभ्यावेदन और दस्तावेज तीन प्रतियों में फाइल किए जाएंगे:

परन्तु ऐसे मामलों में, जहां रिजस्ट्रार या प्राधिकरण ऐसे आवेदनों, अभ्यावेदनों या दस्तावेजों की तीन प्रतियों से अधिक प्रतियों की अपेक्षा करते हैं वहां ऐसा आवेदक या व्यक्ति, जिसने आवेदन या अभ्यावेदन फाइल किया है उतनी प्रतियों का उपलब्ध कराएगा जितनी प्राधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

- (ख) तीन मास की अवधि के भीतर अपेक्षित संख्या में प्रतियों को भेजने में असफल रहने की दशा में रिजस्ट्रार या प्राधिकरण आवेदन या अभ्यावेदन को खारिज कर सकेंगा, आवेदन या अभ्यावेदन को वापस लिया गया मान सकेगा।
- (4) प्राधिकरण या रिजस्ट्रार के कार्यालय में श्रेषे आने के लिए या फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई आवेदन, अभ्यावेदन या दस्तावेज दस्ती तौर पर या रसीद सहित रिजस्ट्रीकृत पत्र द्वारा या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा प्राधिकरण या रिजस्ट्रार को उनके कार्यालय में सम्बोधन करके भेजा जा सकेगा।
 - (5) यदि कोई आवेदन या अभ्यावेदन या दस्तावेज प्राधिकरण या रिजस्ट्रार को दस्ती तौर पर भेजा जाता है तो प्राधिकरण या रिजस्ट्रार के कार्यांलय द्वारा उनकी मोहर के साथ एक पावती रसीद जारी की जाएगी।
 - (6) रसीदी सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रानिक मैल द्वारा मैंजे जाने की दशा में यह उपधारणा की जाएगी कि वह उसी समय फाइल किया गया है या उस समय किया गया है जब उसे सम्बद्ध कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया है।
 - (7) किसी आवेदक या इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के घारक को सम्बोधित कोई लिखित संसूचना इस अधिनियम के अधीन रखा गंग्रा पौधा किस्म के रिजस्टर में उसके पते पर या अधिनियम या इन नियमों के अधीन बिन्सी कार्यवाही में नियम 5 के अधीन तामील के लिए दिए गए पते पर या आवेदन या विश्रेध की सूचना या उत्तर या प्रतिउत्तर या किसी ऐसे अभ्यावेदन में दिए गए पते पर उचित रूप से भेजी गई उपधारित की जाएगी:

परंतु उन मामलों में जहाँ अभ्याबेदन या आवेदन की प्रार्दित में वितरण या पारेषण की सामान्य अवधि से अधिक विलंब हुआ है वहाँ ऐसे विलंब को माफ किया जा सकेगा ।

(8) इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में किसी आवेदक या अधिकार के किसी धारक को सम्बोधित सभी सूचनाएं और लिखित संसूचनाएं और आवेदक या अधिकार के धारक या किसी विरोधकर्ता को भेजे गए सभी दस्तावेज सिवाय तब के जब वे विशेष संकेत द्वारा भेजे जाते हैं, रजिस्ट्रीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रानिक मेल

- (9) (क) सम्बद्ध कार्यालय द्वारा जारी पावता रसीदी या डाक प्रमाणपत्र रसीद अधिनियमं या इन नियमों के अधीन किसी दस्तावेज के संवितरण या भेजे जाने का पर्याप्त सबूत होगा ।
 - (ख) इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा पारेषण के मामले में आवेदक ऐसे आवेदक या व्यक्ति द्वारा जिसने अभ्यावेदन किया है, मान्यताप्राप्त अंकीय चिन्हांकन सहित इलेक्ट्रानिक रसीद का सबूत होगा ।

7. कतिपय नामलों में आवेदन का स्वीकार न किया जाना -

उसी व्यक्ति द्वारा किए गए पूर्ववर्ती आवेदन में, आवेदन के अंतर्गत पहले से ही अन्तर्विष्ट विषय वस्तु को अन्तर्विष्ट करने वाला कोई आवेदन या अभ्यावेदन प्राधिकरण या रिजस्ट्रार को ही किया जाएगा और ऐसा पश्चात्वर्ती आवेदन, यथास्थिति, रिजस्ट्रार या प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. फीस -

- (1) पौधा किस्मों के रिजस्ट्रीकरण और इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के अनुदान या कोई आवेदन या किसी आवेदन या विरोध की सूचना या अधिनियम के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित उत्तर या प्रतिउत्तर और अन्य मामलों की बाबत संदेय फीस की रकम दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार होगी ।
- (2) (क) संदेय फीस या तो नकद रूप में संदत्त की जा सकेगी या यथास्थिति प्राधिकरण या रिजस्ट्रार या उनके संबंधित कार्यालयों को संदेय मनी आर्डर या पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट या चैक द्वारा, जो कार्यालय के स्थान पर किसी अनुसूचित बैंक पर आहरित हो, भेजी जा सकेगी !

स्पष्टीकरणः इन नियमों के प्रयोजनों के लिए "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कोई बैंक अभिप्रेत है ।

- (ख) कोई चैक या ड्राफ्ट (इसके अन्तर्गत नकद रूप में फीस नहीं है) जिस पर उसमें विनिर्दिष्ट मूल्य फीसों के संदाय के लिए अनुझात समय सीमा के भीतर नकद संग्रहण नहीं किया जा सकता, रिजस्ट्रार के विवेक पर स्वीकार किया जाएगा !
- (ग) इन नियमों के अधीन संदेय किसी फीस के संदाय में स्टाम्प नहीं लिए जाएंगे ।
- (घ) जहाँ किसी दस्तावेज या आवेदन या अभ्यावेदन के फाइल किए जाने की बाबत कोई फीस संदेय है वहाँ वह तारीख जिसको सम्पूर्ण फीस का संदाय किया जाता है, दस्तावेज या अभ्यावेदन फाइल किए जाने की तारीख होगी ।
- (3) जहाँ इन नियमों में से किसी के अधीन कोई परीक्षण किया जाना अपेक्षित है वहाँ आवेदक या सम्बद्ध व्यक्ति दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस का संदाय करेगा ।
- (4) फीस का संदाय न करने के कारण कोई आवेदन या अभ्यावेदन या दस्तावेज अस्वीकार कर दिए जाने के लिए दायी होगा और तब तक कोई परीक्षण नहीं किया जाएगा जब तक हितबद्ध पक्षकार दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस की अपेक्षित रकम जमा नहीं करा देते हैं।

9. दस्तावेजों का आकार आदि -

प्राधिकरण के कार्यालय को या रिजस्ट्रार को अन्यथा भेजे गए या सींपे गए सभी दस्तावेज और दस्तावेजों की प्रतियां, शपथ पत्र और रेखाचित्रों को छोड़कर, बड़े और साफ अक्षरों में गहरी, अमिट स्याही से लिखित, टंकित, लिथोग्राफ किए गए या मुद्रित रूप में (या तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में जब तक प्राधिकरण या महा रिजस्ट्रार द्वारा अन्यथा रूप में निदेशित या अनुज्ञात न किया गया हो) होंगे और ये लगभग 33.00 सेंटीमीटर गुणा 20.50 सेंटीमी (13 इंच गुणा 8 इंच) या 29.7 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर (11 3/4 इंच गुणा 8 1/4 इंच) आकार के मजबूत सफेद मोटी लाइनों वाले कागज के केवल एक ओर होंगे और उसके बाई ओर के माग पर कम से कम 4 सेंटीमीटर (डेढ़ इंच) का मार्जिन होगा।

10. शपथ पत्रः-

इन नियमों के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों के नीचे तारीख और हस्ताक्षर होंगे और यह विवरण होगा कि उसमें दिए गए तथ्य और विषय शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

अध्याय 2

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

- 11. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति:-
 - (1) अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पेनल के आधार पर की जाएगी, अर्थात :-
 - (क) सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार अध्यक्ष
 - (ख) सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार सदस्य
 - (ग) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ सदस्य
 - (2) केन्द्रीय सरकार का कृषि और सहकारिता विभाग अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति के लिए केन्द्रक विभाग के रूप में कार्य करेगा।
 - (3) अध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव की रैंक का होगा और अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति या तो प्रतिनियुक्ति पर होगी या संविदा आधार पर होगी।
 - (4) यदि उपनियम (1) के अधीन गठित चयन समिति किसी ऐसे व्यक्ति की सिफारिश करती है जो सरकारी सेवक नहीं है किन्तु धारा 3 की उपधारा (5) के खंड (क) में दी गयी अईताएं पूरी करता है तो ऐसी नियुक्ति संविदा आधार पर की जा सकती है।
- 12. अध्यक्ष की पदावधि -

अध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंस**ठ वर्ष की आयु तक इनमें जो भी पूर्वतर हो,** पद धारण करेगा और वह अपनी नियुक्ति के लिए पात्र, होगाः

परंतु कोई अध्यक्ष कुल दस वर्ष से अनिधक अविष्, के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक इनमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

13. अध्यक्ष के वेतन, भत्ते, सेवा शर्ते, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि:-

अध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्तों, छुट्टी, पें.शन, भविष्य निधि और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो भारत सरकार के सचि,व को अनुजेय हैं ।

14. कतिपय दशाओं में अध्यक्ष का पद से त्याग पत्र या हटाया जानाः-

- (1) अक्र्यंस, वेडेन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा ।
- (2)केन्द्रीय सारकार अध्यक्ष को तब पद से हटा सकेगी जब वह-
- (क) दिवालिए के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है या किसी समय रहा है
- (ख) ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्धलित है ;
- (ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ;
- (घ) अधिनियम और तद्घीन बनाए गए नियमों के अधीन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर में में असफल रहा है ;
- (ड) ऐसे वित्तं य और अन्य हित अर्जित किए हैं जो उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है ;
- (च) केन्द्रीय किरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रह हा लोकहित के प्रतिकूल है;
- (छ) ऐसा को हैं अन्य सारवान आधार जो भारत सरकार के अधीन लोकहित सेवक के लिए अशोभनीय है।

परंतु अध्यक्ष । इस उपनियम के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस भामले में सुना गई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

15. अशासकीय सदःस्यों की पदावधि और भत्तेः

- (1) प्राधिकरण का प्रत्येक अशासकीय सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।
- (2) केन्द्रीय सरकार अशासकीय सदस्य की पदावधि की समाप्ति के छह मास के भीतर प्राधिकरण के नाए अशासकीय सदस्य की नियुक्ति करेगा ।
- (3) अशासकीय रादस्य बैठक भत्ते और यात्रा व्यय के लिए ऐसी दर पर हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर नियत की जाए ।

16. प्राधिकरण की कार्यवाही:-

- (1) प्राधिकरण वर्ष में कम से कम दो बार मुख्यालय पर या ऐसे स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा. विनिश्चित किया जाए, अधिवेशन करेगा ।
- (2) अध्यक्ष प्राधिकरण के पांच से अन्यून सदस्यों के लिखित अनुरोध पर या केन्द्रीय सरकार के निदेश पर प्राधिकरण का विशेष अधिवेशन बुलाएगा ।
- (3) सदस्यों को, प्रयोजन, समय और स्थान, जहाँ ऐसा अधिवेशन होना है, विनिर्दिष्ट करते हुए साधारण अधिवेशन के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना और विशेष अधिवेशन के लिए तीन दिन की सूचना दी जाएगी ।
- (4) प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी जो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाएगा ।
- (5) प्राधिकरण का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णीयक मत होगा ।
- (6) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ।
- (7) प्राधिकरण के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति पांच होगी ।
- (8) कोई सदस्य अधिवेशन में विचार के लिए किसी ऐसे विषय को प्रस्तुत करने हकदार नहीं होगा, जिसकी उसने सदस्य, सचिव को दस दिन की सूचना नहीं दी है जब तक कि अध्यक्ष ने अपने विवेक से ऐसा करना अनुज्ञात न कर दिया हो ।
- (9) सदस्यों को अधिवेशन की सूचना उसे संदेय संदेश वाहक द्वारा या उसे उसके अंतिम निवास स्थान या कारबार के स्थान पर भेजी जा सकती है या ऐसी अन्य रीति में जो अध्यक्ष या सदस्य-सचिव मामलों की परिस्थितियों में ठीक समझते हैं ।

17. स्थायी समिति का अध्यक्ष और उसकी कार्यवाहियां-

(1) अध्यक्ष धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उसके द्वारा नियुक्त स्थायी समिति के किसी सदस्य को उस समिति के सदस्यों में से चयन करेगा जो उसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

- (2) उपनियम (1) के अधीन चयनित सदस्यों के अभाव में स्थायी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा ।
- (3) स्थायी समिति के अधिवेशन में विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और बराबर मत होने की दशा में, उपनियम (1) के अधीन चयनित सदस्य या उसकी अनुपस्थिति में, अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा ।
- (4) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा I
- (5) स्थायी समिति के अधिवेशन की गणपूर्ति तीन होगी ।
- (6) स्थायी सिमिति का संयोजक, प्राधिकरण के परामर्श से भारत में कहीं भी उसके अधिवेशनों के स्थान को अवधारित कर सकेगा और ऐसे अधिवेशन की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सभी सदस्यों को तामील करेगा ।

18. प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्तिः-

- (1) प्राधिकरण ऐसे विशेषज्ञों और परामर्श्वताओं को नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह तकनीकी क्षेत्रों में, जिनमें विशिष्ट सलाह की आवश्यकता है, मार्गदर्शन और सहायता के लिए आवश्यक समझता है जिससे प्राधिकरण अपने कर्तव्यों और कृत्यों के दक्ष निर्वहन करने में समर्थ हो सके ।
- (2) प्राधिकरण अपने कर्तव्यों और कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसी अन्य समितियाँ जो आवश्यक हों नियुक्त कर सकेगी ।
- (3) प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं को संदेय पारिश्रमिक के मात्रा नियत कर सकेगी ।

19. महा रजिस्ट्रार का वेतन, मत्ता और सेवा शर्ते :-

(1) महा रिजस्ट्रार भारत सरकार के अपर सचिव की रैंक के तुल्य पदधारी होगा और वह प्राधिकरण द्वारा प्रतिनियुक्ति का स्थानांतरण या संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा ।

- (2) महा रजिस्ट्रार अपने वेतन और अन्य भत्तों की बाबत जिसके अन्तर्गत पेंशन, छुट्टी, यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं, भारत सरकार के अपर सचिव को अनुझेय दरों पर केन्दीय सरकार के नियमों द्वारा शासित होगा ।
 - (3) महा रजिस्ट्रार ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रमाणित प्रबंधकीय या विधिक या बौद्धिक सम्पदा अधिकार या कृषि विकास संबंधी अनुभव रखता हो ।
 - (4) महा रजिस्ट्रार की पदावधि पांच वर्ष की अवधि की होगी या जब तक वह साठ वर्ष की आयु पूरी करता है, इनमें जो भी पूर्वतर हो, होगी:

 परंतु कोई अभ्यर्थी जिसका पद-कार्यकाल कम से कम दो वर्ष न रहता हो, महा रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
 - (5) महा रजिस्ट्रार के रूप में एक अवधि को पूरा करने पर, दूसरी तीन वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, पात्र होगा ।
- 20. प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीतिः
- (1) प्राधिकरण चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के पदों पर भर्ती और नियुक्ति कर सकेगा ।
- (2) प्राधिकरण रोजगार समाचार में और कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक में पदों को विज्ञापित करने के पश्चात् सीधी भर्ती की रीति द्वारा या संविदा के आधार पर साक्षात्कार करने के पश्चात् चयन द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती कर सकेगा ।
- (3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकेगा, जो उसके द्वारा स्थानांतरण पर या प्रतिनियुक्ति आधार पर या संविदा आधार पर अपेक्षित हो ।
- (4) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्ते वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के सेवकों को लागू होती हैं।

(5) प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा शर्तों के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

21. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य -

- (1) अधिनियम में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के अतिरिक्त, अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलाप के संचालन और प्रबंधन में साधारण अधीक्षण और निदेशों की शक्तियां प्राप्त होंगी जिससे प्राधिकरण अपने कर्तव्य को प्रभावपूर्ण ढंग से निर्वहन करने में और अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन हो, की अवेक्षा करने में समर्थ हो सके कर सके।
- (2) अध्यक्ष ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन भी करेगा जो प्राधिकरण उसे लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्रत्यायोजित करे या केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करे ।
- (3) अध्यक्ष प्राधिकरण के अधिवेशनों को बुलाएगा, उनकी अध्यक्षता और संचालन करेगा तथा प्राधिकरण द्वारा लाए गए सभी विनिश्चयों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (4) अध्यक्ष संवर्धकों, अनुसंघानकर्ताओं, कृषकों और कृषक समुदायों के ऐसे अधिकारों का, जो अधिनियम के अधीन उपबंधित हैं संरक्षण करते हुए नई पौधा किस्मों के विकास को मार्गदर्शित और सुकर बनाएगा ।
- (5) अध्यक्ष रिजर्ट्रीकृत पाँधा किरमों के अनिवार्य अनुज्ञापन के लिए अपने समाधानप्रद रूप में सुकर बनाएगा और कार्य करेगा और ऐसे रिजस्ट्रीकृत पाँधा किरमों के सार्वजनिक उपयोग को निबंधित करने के लिए, जो उपनियम (4) के अधीन कार्रवाई की जा सके, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सलाह देगा ।

22. प्राधिकरण के साधारण कृत्य-

(1) प्राधिकरण धारा 29 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के संबंध में, विद्यमान किस्मों और कृषक की किस्मों से भिन्न नई पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए जीन्स या जातियों को विनिर्दिष्ट और अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा ।

- (2) प्राधिकरण धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन ऐसे अवधि के भीतर जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, ऐसी किस्मों की भिन्नता, एकरूपता और स्थायित्व (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् डीयूएस कहा गया है) देने के लिए उपयुक्त परीक्षण कसीटी के साथ विद्यमान किस्मों को रजिस्टर करेगा ।
- (3) प्राधिकरण डीयूएस परीक्षण और अन्य परीक्षण कसौटी का विकास करेगा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कसलों की प्रजातियों की प्रत्येक किस्म की विशेषता के लिए ऐसे परीक्षण आयोजित करेगा ।
- (4) प्राधिकरण सर्वज्ञात सभी किस्मों का, जिसके अंतर्गत सभी रजिस्ट्रीकृत विद्यमान और कृषकों की किस्में तथा ऐसी किस्में हैं जो भारत के बाहर ऐसी प्रजातियों से संबंधित नई किस्मों के लिए रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने से पूर्व प्रत्येक फसल प्रजातियों के लिए उगाई जाती, पर डेटा बेस को संकलित करेगा और उसे रखेगा ।
- (5) प्राधिकरण देश में उपयोग की जाने वाली किसी फसल किस्म के ब्यौरे को उसे अपने डेटाबेस में सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए मंगाने और उपाप्त करने का हकदार होगा !
- (6) कोई लोक या प्राइवेट संस्था समुदाय या व्यष्टिक, जो ऐसी किस्मों के बीज के उत्पादन और उपयोग में लागू हुआ है, ऐसी किस्म के बीज की उसकी विशेषता के साथ जानकारी और सही नमूना उपलब्ध कराएगा ।
- (7) प्राधिकरण सभी रिजर्स्ट्रीकृत किस्मों के बीज के उत्पादन और विक्रय का अभिलेख रखेगा ।
- (8) रजिस्ट्रीकृत किस्मों के सभी संवर्धकों के लिए प्राधिकरण को ऐसी रिजस्ट्रीकृत अविध के पूरा होने से तीन मास से अनिधिक की अविध के भीतर वार्षिक बीज उत्पादन और विक्रय पर प्रमाणित आंकड़े भेजना आवश्यक होगा ।

- (9) प्राधिकरण यदि अपेक्षित हो, विनिर्दिष्ट रूप से देश के किसी क्षेत्र से संबंधित ऐसे आंकड़े मंगाने का भी हकदार होगा ।
- 23. पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर में सम्मिलित किए जाने वाले विषय-

पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत किस्म की निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

- (1) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ;
- (2) सर्वर्धक (कों) की राष्ट्रीयता ;
- (3) अभिधान जैसा मंजूर किया गया है ;
- (4) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने की तारीख;
- (5) वह तारीख जब आवेदन प्राप्त किया गया था ;
- (6) आवेदन को दिया गया अनंतिम संख्यांक ;
- (7) राजपत्र में अधिसूचना की तारीख ;
- (8) पौधा किस्म (नई, विद्यमान या कृषक) का समूह ;
- (9) किस्म का वर्गीकरण (विशिष्ट किस्म, संकर किस्म या आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म);
- (10) किस्म का अभिधान, सामान्य फराल नाम, जिससे किस्म संबंधित है, वनस्पतिक नामों में फराल की वर्गिकी वंशावली;
- (11) किस्म की पासपोर्ट डाटा ;
- (12) किस्म को विशिष्ट बनाने वाली आवश्यक विशेषता ;
- (13) संरक्षण की आरंभिक तारीख :
- (14) संरक्षण की समाप्त होने वाली तारीख;
- (15) अन्य ब्यौरों के साथ (आधार आदि) प्रतिसंहरण की तारीख :
- (16) आवेदक (कों) का नाम और पता ;

- (17) दस्तावेजों के तामील के लिए पता ;
- (18) संवर्धक (कों) का नाम और पता (जहां संवर्धक आवेदक नहीं है) ;
- (19) विधिक प्रतिनिधि का नाम और पता (यदि लागू हो) ;
- (20) अनुज्ञप्तिधारी का नाम, पता और अन्य ब्यौरे तथा अनुज्ञप्ति के निबंधन (यदि लागू हो) ;
- (21) अधिकारिता अधिकारों के साथ अभिकर्ता का नाम, पता और अन्य ब्यौरे, यदि कोई हो (यदि नियुक्त किए गए हों);
- (22) फसल का प्रकार ;
- (23) कुल, वंश, जाति, किस्म का नाम और सामान्य नाम ;
- (24) आरंभिक किस्म के संवर्धक का नाम और पता (आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म के मामले में);
- (25) प्रजनक सामग्री/बीजों के अर्जन के ब्यौरे (यदि लागू हों) ;
- (26) विकास में प्रयुक्त मूल सामग्री के ब्यौरे (यदि लागू हो) ;
- (27) आनुवंशिक सामग्री के वितरक(कों) का नाम और पता (यदि लागू हों) ;
- (28) प्राधिकरण या महारजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य लक्षण ;
- (29) पौधा किस्म का मूल देश ;
- (30) डीयूएस परीक्षणों के परिणामों सिहत निकटतम किस्म के विशिष्ट ब्यौरों सिहत किस्म का संक्षिप्त विवरण जिसे रेखाचित्रों या फोटोग्राफ या दोनों के साथ दिया जाए ;
- (31) अनिवार्य अनुज्ञप्ति के मामले में अनुज्ञप्तिधारी का अन्य ब्यौरों के साथ नाम और पता (निबंधन और शर्त, प्रतिसंहरण आदि) यदि लागू हों ;
- (32) किरम को परित्याग करने की घोषणा और ब्यौरा (यदि लागू हो) ;
- (33) फायदा में हिस्सेदारी का ब्यौरा ;

- (34) विरोध, प्रतिसंहरण, प्रत्यावर्तन, रख-रखाव का ब्यौरा (जहां लागू हों) ;
- (35) देश में रिजस्ट्रीकरण से पूर्व भारत के बाहर संवर्धित किस्मों के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रिजस्टर में प्रविष्ट की जाएगी, अर्थात् :--
 - (क) देश(शों) के नाम, जहां संस्क्षण दिया गया है, उनमें से प्रत्येक में किस्म के अभिधान के साथ,
 - (ख) देश के साथ पहले संस्क्षण की तारीख,
 - (ग) पहले फाइल करने की बाबत महत्वपूर्ण विशेषता में अंतर,
 - (घ) तारीख के साथ देश, जहां किस्म का पहले वाणिज्यीकरण किया गयाथा,
 - . (ङ) प्राधिकरण या महारजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई लक्षण ;
- (36) अभिसमय किसी आवेदन के मामले में निम्नलिखित सूचना भी दी जाएगी, अर्थात् :--
 - (क) अभिसमय देश का नाम
 - (ख) अभिसमय की अवधि का पासपोर्ट डाटा
 - (ग) आवेदन की तारीख
 - (घ) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने की तारीख
 - (ङ) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
 - (च) समुदाय जो स्वीकार किया गया है
 - (छ) राजपत्र अधिसूचना की तारीख
 - (ज) संरक्षण की आरंभिक तारीख
 - (झ) संरक्षण की समाप्ति की तारीख

- (ञ) क्या किस्म का देश के भीतर या देश के बारह विक्रय किया गया है या अन्यथा व्ययनित की गई है यदि, ऐसा हो तो उसका ब्यौरा
- (37) किसी प्रविष्टि में किया गया कोई परिवर्तन ।

अध्याय 3 पौधा किस्म का रजिस्ट्रीकरण

24. धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन विद्यमान पौधा किस्मों का रजिस्ट्रीकरण -

रजिस्ट्रार अधिनियम के अधीन उसकी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रत्येक विद्यमान किस्म को रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र जीन्स और किस्म से संबंधित विनियमों में यथाअधिकथित मिन्नता, एकरूपता और स्थायित्व की कसौटी का अनुसरण करने के अधीन रहते हुए रजिस्टर करेगा:

परन्तु रिजस्ट्रार तीन वर्ष की उक्त अविध की समाप्ति के पश्चात् विद्यमान किस्म के कारणों को अभिलिखित करते हुए रिजस्टर कर सकेगा ।

25. धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अधीन किसी किस्म को रजिस्टर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए आवेदन-

धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अधीन किसी किस्म को रिजस्टर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए आवेदन पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप पी.वी.-1 में उस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

26. पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन संदेय फीस-

धारा 14 के अधीन किसी पौधा किस्म के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए ऐसी फीस, जो उस प्रयोजन के लिए दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट की जाए, होगी ।

- 27. धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन करने के अधिकार का सबूत-
 - (1) जहां घारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संवर्धक के उत्तराधिकारी या समनुदेशिती द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन किया गया है वहां वह ऐसे आवेदन को करने के समय या ऐसा आवेदन करने के छह मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसा आवेदन करने के अधिकार की बाबत दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करेगा ।

(2) समनुदेशन के मामले में दस्तावेजी सबूत पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप पी.वी.-2 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा और उत्तराधिकार के मामले में ; आवेदक का उत्तराधिकारी के रूप में साबित करने वाला, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या उत्तराधिकार के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा ।

28. धारा 19 के अधीन परीक्षण करने की फीस-

इस प्रयोजन के लिए आवेदक धारा 19 के अधीन अपेक्षित परीक्षण करवाने के लिए रिजस्ट्रार के पास दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस जमा करेगा।

29. धारा 19 के अधीन परीक्षण करने के लिए रीति और ढंग-

- (1)(क) प्राधिकरण प्रत्येक किस्म के डीयूएस परीक्षण और विशेष परीक्षण करने के लिए पृथक फीस प्रभारित करेगा ।
- (ख) विशेष परीक्षण केवल तभी किए जाएंगे जब डीयूएस परीक्षण भिन्नता की अपेक्षा को स्थापित करने में असफल रहता है।
- (ग) डीयूएस परीक्षण कम से कम दो फसल मौसमों के लिए क्षेत्रीय और बहुस्थानीय आधारित और विशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला आधारित होंगे ।
- (घ) डीयूएस और विशेष परीक्षणों के लिए फीस इस प्रयोजन के लिए दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में यथाउपबंधित के अनुसार होगी ।
- (2) यदि रिजस्ट्रार का, रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की आरंभिक छानबीन के पश्चात, यह समाधान हो जाता है कि आवेदन उचित रूप में है तो वह डीयूएस परीक्षण करने के लिए दो मास की अवधि के भीतर आवेदक को दूसरी अनुसूची में स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस जमा करने के लिए अधिसूचित करेगा।
- (3) रिजस्ट्रांर, उपनियम (1) के अधीन मांगी गई फीस की प्राप्ति पए, आवेदन को आगे कार्रवाई करने के लिए विचार करेगा ।
- (4) डीयूएस परीक्षण आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म को छोड़कर सभी नई किस्मों के लिए आवश्यक होगा ।
- (5) आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्मों के परीक्षण की रीति प्रत्येक मामले के आधार पर प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाएगी ।

- (6) डीयूएस परीक्षण कम से कम दो अवस्थानों पर किया जाएगा ।
- (7) प्राधिकरण ऐसे परीक्षण करने के लिए देश में डीयूएस या विशेष परीक्षण करने के लिए प्राप्त सुविधाएं रखने वाली संस्थाओं को मान्यता दे सकेगा और उनके पैनल बना सकेगा ।
- (8) प्राधिकरण डीयूएस और विशेष परीक्षण करने के लिए अपनाए गए ढंगों को अधिस्थित करेगा।
- (9) प्राधिकरण प्रत्येक फसल के लिए डीयूएस परीक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करेगा और अपने जरनल में उन्हें प्रकाशित करेगा ।
- (10) ऐसे बीजों या प्रोपेगूलेस के नमूने जिनकी बाबत रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है और डीयूएस तथा विशेष परीक्षणों के लिए रिजस्ट्रीकरण के अधीन मूल बाध्यताएं प्रस्तुत कर दी गई हैं तथा जिन्हें राष्ट्रीय जीन्स बैंक में जमा कर दिया गया है, आनुवांशिक शुद्धता और एकरूपता तथा अंकुरण के अनुरक्षणीय मानक स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानक प्रस्तुत करेंगे।

धारा 21 के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का विझापन देना-

- (1) ऐसी किसमों के रिजस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन जिन्हें स्वीकृत कर लिया गया है और जिनके अंतर्गत विनिर्देश भी हैं घारा 20 की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार स्वीकार किए जाने पर रिजस्ट्रार द्वारा तीसरी अनुसूची के प्ररूप- 0-1 में विनिर्दिष्ट रीति में विज्ञापित किए जाएंगे ।
- (2) रिजिस्ट्रार उपनियम (1) के अधीन ऐसे प्रत्येक विज्ञापन में उस स्थान या स्थानों का उल्लेख करेगा जहां किसी किस्म के नमूने का निरीक्षण किया जाए ।
- (3) ऐसे विज्ञापन की विषयवस्तु में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-
 - (क) उस किस्म, जिसके संबंध में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, को विकसित करने के लिए प्रयुक्त मूल बाध्यता या आंरिमिक किस्म का नाम पासपोर्ट डाटा और स्रोत,
 - (ख) किस्म का वर्णन जिसमें डीयूएस परीक्षण अनुसूची के अधीन यथाविनिविंद्य इसकी विशेषता की रूपरेखी स्पष्ट हो,

- (ग) किस्म की विशिष्टियां प्रस्तुत करने वाली आवश्यक विशेषताएं,
- (घ) किस्म के महत्वपूर्ण कृषि विज्ञानी और वाणिज्यिक विशेषताएं ।
- (ङ) किस्म के आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए फोटोग्राफ अथवा रेखाचित्र, यदि कोई हों, और
- (च) किस्म संबंधी दावा, यदि कोई हो !
- 31. 'धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन विरोध का नोटिस -
 - (1) कोई हितबद व्यक्ति, रिजस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर किसी पौधा किस्म के रिजस्ट्रीकरण के विरोध का पहली अनुसूची के प्ररूप पी.वी.-3 में नोटिस दे सकेगा।
 - (2) उपनियम (1) में निर्दिट कोई विरोध फाइल करने के लिए संदेय फीस वह होगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु किसी कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा ग्रामीण समुदायों द्वारा किए गए विरोध के संबंध में कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

- (3) किसी विशिष्ट आवेदन के विरुद्ध प्राप्त विरोध के प्रत्येक नोटिस की प्रतिलिपि, विरोध फाइल करने की अन्तिम तारीख से तीन मास के भीतर रिजस्ट्रार द्वारा आवेदक को निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (4) कोई आवेदन विरोध के नोटिस की तामील की तारीख से दो मास के भीतर विरोध का मुद्देवार प्रतिकथन प्रस्तुत करने का हकदार होगा, जिसके न हो सकने पर रजिस्ट्रार विरोध के गुणागुण विनिश्चित करेगा और इसके लिए कारण देते हुए अपना विनिश्चय अधिसूचित करेगा ।
 - (5) उपनियम (4) के अधीन प्रत्येक प्रतिकथन, पहली अनुसूची के प्ररूप पी.वी.-4 मैं होगा ।
 - (6) आवेदक द्वारा उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई विरोध के प्रितिकथन की प्रतियां, इसके प्राप्त होने के तीस दिन की अविध के भीतर, आवेदन का विरोध करने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी, जिसमें आवेदक की ओर से 1 शिकथन के तामील की तारीख से तीस दिनों की अविध के भीतर विरोध करने वाले व्यक्ति को अन्तिम विरोध प्रस्तुत करना अपेक्षित होरा।

- (7) रिजस्ट्रार, अपने विवेकानुसार, किसी त्रुटि के सुधार अथवा विशेध के नोटिस अथवा प्रतिकथन में संशोधन अनुज्ञात कर सकेगा यदि संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऐसे परिवर्तन के लिए लिखित रूप से अनुरोध किया जाता है।
- (8) (क) धारा 21 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट प्रतिभूति उस किसी रकम के रूप में, जो प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाए, संदेय होगी ।
 - (ख) यदि विरोध में तुच्छपन पाया जाता है, तो रिजस्ट्रार उसके द्वारा अवधारित खर्चों की रकम प्राप्त प्रतिभूति रकम में से आवेदक को संदाय करने का निदेश दे सकेगा और प्रतिभूति की अतिशेष रकम का प्राधिकरण में निक्षेप किया जाएगा।
 - (ग) विरोधी के सफल होने की दशा में, प्रतिभूति रकम विरोधी पक्षकार को वापस कर दी जाएगी।

32. समय सूची का अनुपालन -

इन नियमों के अधीन विज्ञापन, विरोध, प्रतिरक्षा, सुनवाई और विनिर्देश के संशोधन के लिए उपबन्धित समय सूची को बढ़ाया नहीं जाएगा और इस अनुसूची का अनुपालन करने में असफल रहने पर अनुदत्त अदसर समपहृत हो जाएगा।

- 33. धारा 21 के अधीन विरोध का नोटिस, प्रतिकथन फाइल करने या साक्ष्य प्रस्तुत करने की रीति और समय-सीमा
 - (1) कोई साक्ष्य, जिस पर विरोध पक्ष आश्रय ले सकेगा, रिजस्ट्रार को दो प्रतियों में आवेदक के प्रतिकथन की प्राप्ति से एक मास के भीतर आवेदक को एक प्रति सहित प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (2) कोई साक्ष्य, जिस पर आवेदक आश्रय ले सकेगा, रजिस्ट्रार को दो प्रतियों में विरोधी पक्ष का साक्ष्य प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर विरोधी को एक प्रति सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

- (3) रिकस्ट्रार की अनुमति या निदेशों के सिवाय, किसी पक्ष द्वारा कोई और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।
- (4) जब तक कि रिजस्ट्रार अन्यथा निदेश न दे, विरोधी पक्ष के नोटिस में या विरोध के संबंध में फाइल किए गए किसी प्रतिकथन में निर्दिष्ट पौधा किस्म आवेदन के सिवाय सभी दस्तावेजों की प्रतियां तीन प्रतियों में होंगी ।
- (5) जहां कोई दस्तावेज अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है और नोटिस, कथन या साक्ष्य में निर्दिष्ट किया गया है या उसका आश्रय लिया गया है, उसका तीन प्रतियों में अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (6) साक्ष्य फाइल करने की समय-सीमा किसी व्यक्ति द्वारा समय बढ़ाने के लिए किए गए किसी आवेदन के संबंध में रिजस्ट्रार के किसी विशेष आदेश के सिवाय और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के सिवाय सामान्यद्वया बढ़ाई नहीं जाएगी और ऐसी अविध बढ़ाए जाने के लिए कोई आवेदन पहली अनुसूची के प्ररूप -पीवी 5 में होगा ।
- 34. धारा 23 के अधीन आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन -
 - (1) आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे अर्थात् :-
 - (क) आवेदक द्वारा शपथ पर दिया गया कोई शपथ पत्र जिसमें यह कथन कि ऐसी किसी किस्म में कोई जीन या जीन अनुक्रम नहीं है जिसमें समापक प्रौद्योगिकी में अन्तर्वतित है.
 - (ख) किस्म की नवीनता, सुभिन्नता, एकरूपता तथा स्थिरता साबित करने के लिए विशेषताओं के संक्षिप्त वर्णन के ब्यौरे देते हुए कोई कथन, और
 - (ग) प्रयुक्त मूल सामग्री के ब्यौरे ।
 - (2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ इस प्रयोजन के लिए दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

35. धारा 23 के अधीन परीक्षण करने की रीति और पद्धति -

प्राधिकरण द्वारा धारा 23 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट परीक्षण केन्द्रीय सरकार के परामर्श से किया जाएगा ।

36. धारा 23 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र -

रजिस्ट्रार, आवेदक को आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किसी किरम के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ -2 में निर्दिष्ट रीति में जारी करेगा और रजिस्ट्रीकरण एक प्रति प्राधिकरण को और अन्य किसी निकाय(यों) को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, जानकारी के लिए भेजेगा।

अध्याय - IV रजिस्ट्रीकरण और फायदा अंशमाजन

- 37. धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र -
 - (1) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म से भिन्न किसी पौध किस्म के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-2 में होगा ।
 - (2) रिजस्ट्रार धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सभी अन्य अपेक्षाओं के पूरा होने के अध्यधीन रहते हुए आवेदन फाइल किए जाने के तीन वर्ष के भीतर जारी करेगा !
 - (3) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन जारी रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति प्राधिकरण और ऐसे अन्य निकाय या अभिकरण को भेजी जाएगी, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

38. धारा 24 के अधीन आवेदक को नोटिस -

- (1) यदि, आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किसी किस्म से भिन्न किसी पौधा किस्म के रिजस्ट्रीकरण का आवेदन धारा 24 की उपधारा (3) में दी गई परिस्थितियों में 12 मास की अविध के भीतर, पूरा नहीं किया जाता है, तो रिजस्ट्रार, आवेदक को उसके भारत में कारबार के पते के मूल स्थान पर या भारत में उसके कारबार का कोई मूल स्थान नहीं है, तो आवेदन में कथित भारत में पते पर तीस दिन का नोटिस तामील के लिए भेजेगा, किन्तु यदि आवेदक ने आवेदन के प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता को प्राधिकृत किया है तो, नोटिस अभिकर्ता को भेजा जाएगा और उसकी द्वितीय प्रति आवेदक को कोई आवेदन फाइल करने के लिए या ऐसे और समय के लिए, जो रिजस्ट्रार अनुज्ञात करे, रिजस्ट्रीकरण पूरा करने के लिए भेजी जाएगी।
- (2) उपनियम (1) के अधीन नोटिस दूसरी अनुसूची के प्ररूप के व में होगा ।
- 39. धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण और पुनरीक्षण -
 - (1) गेजिधकरण, आवेदक से आवेदन प्राप्त होने पर, धारा 24 की उपधारा (6) में यथा उल्लिखित अंतरट्रीकरण की आरम्भिक अवधि का पुनर्विलोकन या नवीकरण कर सकेगा।
 - (ख) उपनियम (1) के अधीन पुनर्विलोकन और नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-6 में किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण की आरम्भिक अवधि के अवसान से पूर्व बारह से अठारह महीने के भीतर फाइल किया जाएगा ।
 - (ग) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ रिजर्स्ट्रीकरण की आरम्भिक अवधि के अधीन शेष वर्षों के लिए संदेव फीस, आवेदन की पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नियत दर पर बकाया सहित, यदि कोई हो, लगी होगी ।

- (2)(क) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आवेदन रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की कुल संकलित अविध की शेष अविध के लिए या ऐसी शेष अविध के भीतर किसी अविध के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
 - (ख)यदि आवेदक कुल संकलित अवधि से कम अवधि के लिए आवेदन करता है, तो रजिस्ट्रीकरण के और नवीकरण के लिए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- (3)(क) यथास्थिति, वृक्षों और बेलों की दशां में नौ वर्ष और अन्य फसल किस्मों की दशा में छह वर्ष से परे रिजस्ट्रीकरण की ऐसी बढ़ाई गई अविध के लिए संदेय फीस रिजस्ट्रीकरण की उक्त आरम्भिक अविध के गत दो वर्षों के दौरान उद्गृहीत औसत वार्षिक फीस पर आधारित होगी।
 - (ख) रिजस्ट्रीकरण की बढ़ाई गई अवधि के लिए वार्षिक फीस समान होगी और एक किस्त में अग्रिम रूप में संदेय होगी ।
 - (4) प्राधिकरण ऐसे अन्तरालों के भीतर जो वह समुचित समझे, इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत और नवीकृत किस्मों की सूची, रिजस्ट्रीकरण की अवधि, सही धारकों के नाम और पते संबंधित विशिष्टियों सहित अपने जनरल और राजपत्र में आवधिक रूप से प्रकाशित करेगा।
- 40. धारा 26 के अधीन फायदा अंशभाजन के लिए दावा आमंत्रित करते हुए प्रमाण पत्र की अन्तर्वस्तु का प्रकाशन-

प्राधिकरण धारा 23 की उपधारा (8) या धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर अधिनियम के अधीन फायदा अंशभाजन के लिए दावा आमंत्रित करने के प्रयोजन के लिए रिजस्ट्रीकरण के लिए प्रमाणपत्र के निम्नलिखित ब्यौरे विज्ञापित करेगा, अर्थात:-

- (ख) उस आवेदक या संवर्धक का नाम और पता, जिसके नाम से प्रमाणपत्र जारी किया गया है या रजिस्ट्रीकृत किया गया है;
- (ग) किस्म का मापमान;
- (घ) परिवार, जाति, प्रजाति, किस्म और सामान्य नाम;
- (ड) किस्म की भौगोलिक अवस्थिति और मूल;
- (च) सुभिन्न लक्षणों या विशेषताओं के ब्यौरे;
- (छ) 'आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म ' की दशा में वह ' आरम्पिक किस्म' जिससे 'आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म ' के व्युत्पन्न किए जाने का दावा किया गया है;
- (ज) अभिदाता का नाम और पता, अभिदान की प्रकृति और रकम वा पौध किस्म के विकास में उपयोग किया गया सामुदायिक ज्ञान;
- (झ) संवर्धक और अभिदाता के बीच किए गए करार के निबंधन और शतें, यदि कोई हों;
- (अ) यदि किस्म का विक्रय किया गया है या अन्यथा निबटान किया गया है तो, उसके ब्यौरे ।

41, धारा % के अधीन फायदा प्रभाजन दावा-

(1) बारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र की विशिष्टियां प्रकाशित किए जाने के भश्चात् कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या फर्म या गैर सरकारी संगठन पहली अनुसूची के प्रस्त्य पी वी - 7 में फायदा अंशभाजन के लिए उस घारा की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर दावा कर सकेगाः

परंतु विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत छः मास की अवधि से परे समय बढ़ा सकेगा ।

(2) ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह फर्म या गैर संस्कारी संगठन जिसने कायदा अंशभाजन के लिए आवेदन किया है, निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएगा, अर्थात्:-

- (क) पौध किस्म के आनुवांशिक विकास में व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या फर्म या समुदाय या गैर सरकारी संगठन द्वारा किया गया अभिदान ;
- (ख) वह हैसियत, जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह फर्म या गैर सरकारी संगठन फायदा अंशभाजन के लिए दावा कर रहा है,
- (ग) " आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्मों" की दशा में वे निबंधन और शर्ते जिनमें प्राधिकीं दिया गया है,
- (घ) इस प्रकार रिजस्ट्रीकृत किस्म की वाणिज्यिक्यार्यता या वास्तविक विपणन निष्पादन,
- (3) कोई आवेदक फायदा अंशभाजन के लिए दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा।

42. धारा 26 के अधीन फायदा अंशमाजन के लिए किसी दावे का विरोध-

- (1) फायदा अंशभाजन के लिए किसी दावा की प्रति प्राप्त होने पर, पौध किस्म का रजिस्ट्रीकृत संवर्धक दावा स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार उसकी जानकारी ऐसी प्राप्ति की तारीख से, तीन मास की अवधि के भीतर प्राधिकरण को देगा ।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट तीन मास की अवधि के भीतर पौधा संवर्धक के असफल रहने या उपनियम (1) के अधीन जानकारी देने में व्यतिक्रम होने की दशा में यह उपधारणा की है। जाएगी कि उसका ऐसे दावे के संबंध में कोई विरोध नहीं है और तद्मुसार दावे का विनिश्चय किया जाएगा।
- (3) यदि दावे की सूचना प्राप्ति के तीन मास की अविध के भीतर, पौध किस्म का संबर्धक, फायदा अशभाजन के लिए दावे के संबंध में अपना विरोध फाइल करता है, तो ऐसे किसी विरोध पर फायदा अंशभाजन के लिए दावे का निबदारा करते समय या विनिश्चय करते समय विचार किया जाएगा ।
- (4) उपनियम (3) के अधीन विरोध की प्रत्येक सूचना पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी 8 में होगी ।

- (5) प्राधिकरण, रिजस्ट्रीकृत संवर्धक से उत्तर प्राप्त होने पर, दावाकर्ता को ऐसे उत्तर की एक प्रति प्रस्तुत करेगा ।
- (6) रजिस्ट्रीकृत संवर्धक या फायदा अंशभाजन का दावाकर्ता ऐसे समर्थनकारी दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिन पर प्राधिकरण द्वारा फायदा अंशभाजन के किसी दावे का निबटारा करते समय विचार किया जाएगा ।

43. धारा 26 के अधीन फायदा अंशभाजन का अवधारण-

प्राधिकरण, आदेश द्वारा, धारा 26 के उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) के अनुसार और निम्निलिखित मापदंड को ध्यान में रखते हुए किसी किस्म के फायदा अंशभाजन की रकम का अवधारण करेगा:-

- (क) आनुवांशिकीय सामग्री चयनित, सुरक्षित और उपलब्ध कराने में दावाकर्ता का अभिदान,
- (ख) एक या अधिक ट्रेटों का उपलब्ध कराने में ऐसी आनुवांशिकीय सामग्री का अभिदान जो किस्म को उच्च वाणिज्यिक मूल्य प्रदत्त करती हैं।
- (ग) फायदा अंशभाजन से संबंधित संकर किस्म के मूल से संबंधित उच्च संदोजक उपयोगिता प्रदान करने के लिए ऐसी आनुवांशिक सामग्री का अभिदान ।

44. धारा 26 के अधीन फायदा अंशभाजन की वसूली के लिए प्रतिनिर्देश -

रजिस्ट्रार, धारा 26 की उपधारा (6) के अधीन अपेक्षित प्राधिकरण के आदेश के अनुसार ऐसे आदेश की तारीख से तीन मास की अविध के भीतर किस्म के संवर्धक की ओर से आनुवांशिक निधि में फायदा अंशभाजन की रकम का निक्षेप करने में व्यतिक्रम करने या असफल रहने की दशा में, धारा 26 की उपधारा (7) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ - 4 में प्रतिनिर्देश करेगा।

45. धारा 28 के अधीन अभिकर्ता या अनुक्रप्तिभारक के हक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-

(1) धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन यथास्थिति किसी अभिकर्ता या अनुझप्तिधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी - 9 में किया जाएगा ।

- (2) किसी अनुज्ञप्तिधारीया किसी अभिकर्ता द्वारा हक के लिए किए गए आवेदन के साथ करार हकदारी का लिखत या किसी अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की तीन सांख्याकित प्रतियां होंगी।
- (3) प्रस्तावित अभिकर्ता या अनुङ्गप्तिधारी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे अन्य दस्तावेज या जानकारी, जो हक के सबूत के समर्थन में रिजस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करे।
- (4) आवेदक, धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में इस प्रयोजन के लिए यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा ।

46. धारा 28 के अधीन हकदारी के विवाद के प्रति निर्देश -

- (1) धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन किसी विवाद का अवधारण करने के लिए प्राधिकरण को प्रतिनिर्दिष्ट करते समय रिजस्ट्रार विवाद से संबंधित सभी सुसंगत जानकारी सभी दस्तावेजों और उसके कार्यालय में उपलब्ध साक्ष्य की तीन प्रतियां प्रस्तुत करेगा ।
 - (2) रजिस्ट्रार, विवाद के संबंध में प्राधिकरण के किसी आदेश के प्राप्त होने पर आदेश की प्रतियां अन्तर्वलित व्यक्तियों को आवश्यक अनुपालन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

47. धारा 28 के अधीन हकदारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र -

धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन रिजस्ट्रार द्वारा किसी रिजस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी या किसी अभिकर्ता को जारी किया जाने वाला रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-5 में होगा।

- 48. धारा 28 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के फेरफार या रहकरण के निबन्धनों के लिए आवेदन और प्रकिया -
 - (1) धारा 28 की उपधारा (9) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) या (ड) के अधीन किसी रिजस्ट्रीकृत संवर्धक या उसके उत्तरवर्ती या किसी अन्य व्यक्ति के रिजस्ट्रीकरण के निबन्धनों के फेरफार या रहकरण के लिए कोई आवेदन पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-10 में होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ दूसरी अनुसूची के स्तम्भ (3) में इस प्रयोजन के लिए यथाविनिर्दिष्ट फीस होगी ।

49. घारा 28 के अधीन नोटिस और प्रकिया -

- (1) रिजस्ट्रार, धारा 28 की उपधारा (10) के अधीन प्रत्येक आवेदन का नोटिस रिजस्ट्रीकृत संवर्धक अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी को तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-6 में जारी करेगा।
- (2) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उपनियम (1) के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है और धारा 28 के अधीन किसी प्रक्रिया का विरोध या उसमें हस्तक्षेप करने का आशय रखता है, वह ऐसे नोटिस की प्राप्ति के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रार को पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-11 में विरोध करने या हस्तक्षेप करने का नोटिस देगा ।
- (3) रिजस्ट्रार, विरोध या हस्तक्षेप का नोटिस प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति आवेदक को देगा ।
- (4) रिजस्ट्रार, आवेदन को स्वीकार या नामंजूर कर सकेगा या इसे ऐसी किसी शर्त, उपान्तरण या परिसीमा के अधीन रहते हुए जो प्राधिकरण द्वारा निदेशित की जाए, स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार पक्षकारों को लिखित में सूचित करेगा ।

अध्याय- 5

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण और प्रतिसंहरण तथा रजिस्टर को शुद्ध करना और संशोधित करना

50. धारा 33 के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण-

रजिस्ट्रीकृत संवर्धक किसी भी समय रजिस्ट्रार को नोटिस देकर धारा 33 की उपधारा
(1) के अधीन पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-12 में अपने पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण
प्रमाणपत्र को अभ्यर्पित कर सकेगा।

- 51. धारा 33 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए आवेदन के संबंध में प्रक्रिया -
 - (1) रजिस्ट्रार, ऐसे प्रमाणपत्र से संबंधित रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी को नियम 50 के अधीन प्रस्तावित प्रत्येक नोटिस तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-7 में देगा ।
 - (2) (क) कोई व्यक्ति जिसे उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण का नोटिस दिया गया है, जिसका अभ्यर्पण का विरोध करने का आशय है, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के तीन मास के भीतर, रजिस्ट्रार को पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-13 में विरोध का नोटिस देगा और विरोधकर्ता के हित की प्रकृति, विरोध के नोटिस के साथ वे तथ्य, जिनका आश्रय लिया गया है, की प्रकृति बताते हुए एक लिखित कथन भेजेगा।
 - (ख) तदुपरि, रिजस्ट्रार, उसके द्वारा प्राप्त लिखित कथन पर आवेदक द्वारा विरोध के नोटिस की तामील करेगा ।
 - (3) यदि आवेदक विरोध का खण्डन करना चाहता है तो वह समुचित कार्यालय में उन आधारों को बताते समय जिन पर विरोध का खण्डन किया जा रहा है, उसके द्वारा प्राप्त लिखित कथन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उपनियम (2) के अधीन फाइल करेगा या वहां पर छोड़ेगा और उसकी एक प्रति का प्रदाय, विरोधी पक्ष को करेगा!
- (4) आवेदक या कोई व्यक्ति जिसको उपनियम (1) के अधीन कोई नोटिस जारी किया गया है, रजिस्ट्रार को पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी 14 में सुनवाई का अवसर चाहते हुए एक आवेदन करेगा।
- (5) रजिस्ट्रार, उपनियम (4) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार सुनवाई का समय और स्थान नियत कर सकेगा और तद्नुसार पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा तथा हितबद्ध पक्षकार अपने मामले के समर्थन में उपसंजात हो सकेंगे और साक्ष्य दे सकेंगे या फाइल कर सकेंगे।

- (6) रिजस्ट्रार, आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इसे किसी शर्त, संशोधन, उपान्तरण या परिसीमा के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार लिखित में पक्षकारों को सूचित करेगा ।
- (7) यदि रिजस्ट्रार, रिजस्ट्रीकृत संवर्धक के पौघा किस्म के अभ्यर्पण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो, वह आदेश द्वारा रिजस्ट्रीकृत संवर्धक को रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को वापस करने का निदेश दे सकेगा और ऐसे प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर, रिजस्ट्रार आदेश द्वारा अभ्यर्पण की रीजपंत्र में प्रकाशित करेगा ।
- 52. धारा 34 के अधीन किसी संवर्धक को अनुदत्त संरक्षण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन -

कोई व्यक्ति किसी किस्म की बाबंत अनुदत्त संख्याण के प्रतिसंहरण के लिए प्राधिकरण को पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी 15 में घारा 34 के खण्ड (क) से (छ) के अधीन अधिकथित किन्हीं आधारों पर आवेदन कर सकेगा ।

- 53. नियम 52 के अधीन प्रतिहरण के लिए आवेदन के संबंध में प्रक्रिया—
- (1) प्राधिकरण, नियम 52 के अधीन उसके दारा प्राप्त किसी आवेदन के रजिस्ट्रीकृत संवर्धक तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-8 में नोटिस जारी करेगा।
- (2)(क) उस दशा में जहाँ रजिस्ट्रीकृत संवर्धक संरक्षण के प्रतिसंहरण के लिए विरोध करने का आशय रखता है, वह ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्राधिकरण की पहली अनुसूची के प्ररूप पी. वी.--16 में विरोध का नोटिस देगा और इसके साथ तथ्यों को देते हुए जिन पर उसका मामला आधारित है और अनुतोष चाहता है, एक लिखित कथन भेजेगा।

- (ख) रिजस्ट्रार, उसके द्वारा प्राप्त लिखित कथन सहित आवेदक को विरोध के नोटिस की तामील करेगा ।
- (3) यदि आवेदक विरोध का खण्डन करना चाहता है तो वह समुचित कार्यालय में उन आधारों को बताते समय जिन पर विरोध का खण्डन किया जा रहा है, उपनियम (2) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लिखित कथन की प्राप्ति की सारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उत्तर फाइल करेगा या वहां पर छोड़ेगा और विरोधी पक्ष को उसकी एक प्रति का परिदान करेगा।
- (4) (क) आवेदक या कोई व्यक्ति जिसको उपनियम (1) के अधीन कोई नोटिस जारी किया गया है, रिजिस्ट्रार को सुनवाई किए जाने का अवसर चाहते हुए पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी 17 में आवेदन करेगा ।
 - (ख) रिजस्ट्रार, किसी आवेदन की प्राप्ति पर सुनवाई का समय और स्थान नियत कर सकेगा और तद्नुसार पक्षका को नोटिस जारी करेगा तथा हितबद्ध पक्षकार अपने मामले के समर्थन में उपसंजात हो सकेंगे और साक्ष्य दे सकेंगे या फाइल कर सकेंगे।
- (ग) रिजस्ट्रार, आयेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इसे किसी शर्त, संशोधन, उपान्तरण या परिसीमा के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार लिखित में पक्षकारों को सूचित करेगा ।
- (5) यदि प्राधिकरण, पौधा किस्म के अभ्यर्पण के आवेदन को स्वीकार कर लेता है तो वह आदेश द्वारा रिजस्ट्रीकृत संवर्धक को रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को वापस करने का निदेश दे सकेगा और ऐसे प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर, रिजस्ट्रार आदेश द्वारा अभ्यर्पण को राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।
- 54. धारा 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रतिधारण करने के लिए वार्षिक फीस का संदाय -

रजिस्ट्रीकृत संवर्धकें, अभिकर्ता और अनुज्ञप्तिघारक, रजिस्ट्रीकरण प्रतिघारण के लिए किसी वार्षिक फीस का ऐसी दर पर जो इस प्रयोजन के लिए वृसरी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है, संदाय करेगा

- 55. धारा 36 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रदकरण या **उसको परिवर्ति**त करने के लिए आवेदन-
 - (1) कोई व्यक्ति धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन अधिकथित आधारों पर रिजस्ट्रार को रिजस्ट्रीकरण प्रेमिणियत्र को परिवर्तित करने के लिए कोई आवैदन कर सकेगा।
 - (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-18 में किया जाएगा और उसके साथ उन आधारों का भी कथन भी लगा होगा, जिन पर यह आवेदन किया गया है।

56. धारा 36 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रहकरण या उसकी परिवर्तित करने के लिए आवेदन किए जाने पर प्रक्रिया-

रजिस्ट्रार आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इसे ऐसी किसी शर्त, संशोधन, उपांतरण या परिसीमा के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, स्वीकार कर सकेगा और तद्गुसार संबद्ध पक्षकारों को लिखित में सूचित करेगा:

परन्तु कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को इस प्रकार नामंजूर किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

57. धारा 36 के अधीन रजिस्टर में शुद्धि करने के लिए आवेदन-

कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार को, उन आधारों का कथन करते हुए, जिन पर आवेदन किया गया है, प्रविष्टि करने, निकालने या उससे विचलन करने के लिए , धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अधिकथित आधारों पर पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी- 19 में आवेदन कर सकेगा।

58. नियम 57 के अधीन रजिस्टर को शुद्ध करने के संबंध में आवेदन औ प्रक्रिका

रजिस्ट्रार प्रविष्टि करने, निकालने या विश्वसन करने में लिए आवेचन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इस ऐसी किसी मर्त, संशोधन, उपांतरण या परिसीमा, जिसी वह अधिरोपित करना ठीक समझे, के अधीन रहते हुए स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार संबद्ध पक्षकारों को लिखित में सूचित करना :

परन्तु कोई आवदेन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवदेक को इस प्रकार नामंजूर किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए युकितयुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

- 59. धारा 36 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण को रह करना या उसे परिवर्तित करना या रजिस्टर में शुद्धि करना-
 - (1) रजिस्ट्रार धारा 36 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण को रद करने के लिए दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन कर सकेगा था रजिस्ट्रिक में शुद्धि करने की दशा में रजिस्ट्रीकृत संवर्धक, अमिकर्ता या अनुझिकियारी को, सिंदि कोई हो और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो रजिस्ट्रार को पौधा किस्म में दिलचस्पी लेने भाला प्रतीत होता है, तीसरी अनुसूची के प्ररूप औ-9 में सूचना देगा और उन आधारों का कथन करेगा जिन पर रजिस्ट्रार का कोई कार्रवाई करने का आशय है।
- (2) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसको उपनियम (1) के अधीन सूचना दी गई है, रजिस्ट्रार की कार्रवाई का विरोध करने का आशय रखता है, वह ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी- 20 में विरोध की सूचना देगा और उसके साथ उन तथ्यों को देते हुए, जिन पर उसका यह मामला आधारित है और मांगे गए अनुतोष सहित एक लिखित कथन भेजेगा ।
- (3) रिजस्ट्रार ऐसे व्यक्ति की, जिसको उपनियम (1) के अधीन सूचना दी गई है, सुनवाई किए जाने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और तद्नुंसार पक्षकारों को लिखित में सूचित करेगा ।
- धारा 37 के अधीन रिजस्ट्रीकृत संवर्धक द्वारा रिजस्टर में सुधार करने के लिए आवेदन-

पौधा किरम के रजिस्ट्रीकृत संवर्धक द्वारा रजिस्टर में सुधार करने के लिए कोई आवेदन रजिस्ट्रार को धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन, उस धारा की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) में अधिकश्वित कोई परिवर्तन करने के लिए पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी- 21 में किया जा सकेगा।

61. नियम 60 के अधीन रजिस्टर में सुधार करने के लिए आवेबन के संबंध में प्रक्रिया-

र्राजस्ट्रार नियम 60 के अधीन रजिस्टर में सुधार करने के लिए किए गए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इसे किसी ऐसी शर्त, संशोधन, उपांतरण का परिसीमा, जिसे वह ठीक समझे, के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार कर सकेगा, और तद्नुसार पक्षकारों को लिखित में स्चित करेगा।

62. धारा 37 के अधीन रिजस्ट्रीकृत अभिकर्का या अनुक्रियारी द्वारा रिजस्ट्रर में सुधार करने के लिए आवेदन-

रिजस्ट्रीकृत अभिकर्ता या अनुझप्तिधारी द्वारा झारा 37 की उपधारा (2) के अधीन रिजस्ट्रर में सुधार करने के लिए कोई आवेदन रिजस्ट्रार को उस धारा की उपधारा (2) में अधिकथित आधारों पर पहली अनुसूची के प्रस्तप पीवी-22 में भी किया जा सकेगा।

- 63. नियम 62 को अधीन रिजिस्टर में सुधार करने के लिए आवेदन के संबंध में प्रक्रिया-
 - (1) रिजस्ट्रार नियम 62 के अधीन प्रत्येक आवेदन की सूचना रिजस्ट्रीकृत संवर्धक को वीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-10 में आरी करेगा:
 - (2) रिजस्ट्रार अन्वेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या इसे किया है सहित सर्वे,
 संशोधन, उपांतरण या परिसीमा के अध्यधीन खर्ज हुन्त विक्रें वह ठीक समझे,
 स्वीकार कर सकेगा और तद्नुसार प्रकारिक के किखित में सूचित करेगा, परन्तु
 धारा 23 की उपधारा (3) में निर्देश परीक्षण, प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार के
 परामर्श से किए खाएंगे।

परन्तु कोई आपदेन तम एक गर्मकृर नहीं किया काएण जब तक आवदेक को इस प्रकार नामंजूर किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए युकितयुवंद अकसर न दे दिया गया हो।

- आरा 38 के अधीन रिजस्ट्रीकृत किस्म के अमिधान का परिवर्तन-
 - (1) संवर्धक द्वारा घारा 38 की उपधारा(1) के अधीन किसी रिजस्ट्रीकृत किस्म के अभिधान के किसी भाग का लोप करने या जोड़ने या उसमें परिवर्तन करने के

संबंध में कोई आवेदन रिजस्ट्रार को पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी- 23 में किया जाएगा ।

- (2) रजिस्ट्रार यह अवधारण कर सकेंगा कि क्या और किन कर्तों के अध्यक्षीन, सिंह कोई हो, संशोधन अनुझात किया जाएगा ।
- (3) (क) रिजस्ट्रार अभिधान में परिवर्तन के लिए आवेदन राजपत्र या जरनल या किसी हैनिक समाचार पत्र में, विज्ञापित करेगा और उसमें अभिधान में प्रस्तावित परिवर्तन की प्रकृति को भी विज्ञापित करेगा ।
 - (ख) रिजस्ट्रार ऐसे सभी व्यक्तियं को सूचना जारी करेगा जो उसकी राय मैं इस विषय में हितबद्ध हो सकते हैं।
- 65. नियम 64 के अधीन अभिधान के परिवर्तन के लिए आवेदन के संबंध मैं प्रक्रिया -
 - (1) कोई हितबद्ध व्यक्ति, धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन किसी रिजस्ट्रीकृत किस्म के अभिधान में परिवर्तन के लिए किसी आवेदन के विज्ञापन के तारीख से तीन मास के भीतर पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-24 में रिजस्ट्रीकृत किस्म के परिवर्तन का विद्रोध करने की सूचना दे सकेगा।
 - (2) रिजस्ट्रार, अभिधान में प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में प्राप्त विरोध के बारे में संवर्धक को सूचना की तामील करेगा और दोनों पक्षकारों को, यदि वांछित हो, मामले का बिनिश्चिय करने से पूर्व सुनवाई का अवसर देगा ।
 - (3) अभिधान में परिवर्तन के लिए मंजूरी अनुदत्त किए जाने के संबंध में, इस प्रकार परिवर्तित अभिधान को राजपत्र या जर्नल या किसी दैनिक समाचारपत्र में तीसरी अनुसूची से प्रस्तृष ओ-11 में विज्ञापित किया जाएगा ।

अध्याय - VI

कृषकों के अधिकार

66. धारा 39 के अधीन प्रतिचार के लिए दावा -

- (1) कोई भी कृषक, कृषकों का समूह या कृषकों का संगठन धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर का द्वादा करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे।
- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-25 में होगा ।

67. नियम 68 के अधीन प्रतिकर के लिए दावे के आवेदन के संबंध में प्रक्रिया -

- (1) प्राधिकरण, रिजस्ट्रीकृत संवर्धक को रिजस्ट्रीकृत किस्म के संबंध में प्राप्त प्रतिकर दावे के बारे में सूचना देगा ।
- (2) रिजस्ट्रीकृत संवर्धक, उपनियम (1) के अधीन प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के प्रश्वात, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के मीतर, पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-26 में विरोध का सूचना फाइल कर सकेंगा ।
- (3) प्रतिकर के लिए सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, संवर्धक के अपना विरोध प्रस्तुत करने में असफल रहने या व्यतिक्रम किए जाने की दशा में यह अवधारणा की जाएगी कि उसका ऐसे दावे के बारे में कोई विरोध नहीं है और तद्नुसार ऐसे दावे का विनिश्चय किया जाएगा !
- (4) प्राधिकरण, संवर्धक से विरोध प्राप्त होने पर दोनों पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देगा और संवर्धक को, यथास्थिति , कृषक, कृषकों के समूह या कृषकों के संगठन को ऐसा प्रतिक्रर संदाय करने का, जैसा वह ठीक समझे, निदेश दे संक्रेगा ।

3. धारा 41 के अधीन सूचना जारी करना -

(1) प्राधिकरण, धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित केन्द्र से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा किसी ग्राम या स्थानीय समुदाय द्वारा नई किस्म के विकास में उनके सहयोग हेतु प्रतिकर फाइल किए गए दावों

के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर और यदि समाधान हो जाता है तो वह रिजस्ट्रीकृत संवर्धक या रिजरट्रीकृत अभिकर्ता को तीसरी अनुसूची के प्ररूप ओ-12 में सूचना जारी कर सकेगा

- (2) रिजस्ट्रीकृत संवर्धक या उसके समनुदेशिती या रिजस्ट्रीकृत अभिकर्ता प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने पर तीन मास के भीतर पहली अनुसूची के प्ररूप पीवी-27 में दावे के संबंध में आक्षेप फाइल कर सकेगा।
- (3) प्राधिकरण, रिजस्ट्रीकृत संवर्धक या उसके समनुदेशिती या रिजस्ट्रीकृत अभिकर्ता से आक्षेप प्राप्त होने पर, दोनों पक्षकारों को सुनवाई के अवसर देगा और प्रतिकर की पात्रता और उसकी मात्रा के संबंध में विनिश्चय करने के पश्चात संवर्धक को ऐसे ब्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या सरकारी या गैर संरकारी संगठन को, जिसने धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन दावा किया है, संदाय करने का और दो मास की अवधि के भीतर अपेक्षित निधियों को आनुवंषिक निधि में निक्षेप करने कि निदेश देगा।
- 69. धारा 45 के अधीन फायदकाप्रद प्रभाजन को प्राप्त करने की रीति किसी किस्म या आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म का संवर्धक धारा 26 की छपधारा (6) के
 अधीन यथाअपेक्षित फायदाप्रद प्रभाजन की रकम का आनुवंषिक निधि में निक्षेप करेगा ।

70. धारा 45 के अधीन आनुवंषिक निधि के लिए आवेदन करने की रीलि -

- (1) प्राधिकरण, नई और आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्म के क्रम विकास के संबंध में आनुवंधिकी सामग्री के उपयोग के लिए अपेक्षित फायदाप्रद प्रभाजन, प्रतिकर की रकम का सदाय, आनुवंशिकी संसाधनों के संरक्षण और उनके संपोधित उपयोग के लिए व्यय को पूरा करने और फायदाप्रद प्रभाजन से संबंधित स्कीमों की विरचना करने के लिए करेगा ।
- (2) निम्नलिखित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आनुवंषिकी निधि का उपयोग नीचे दी गई पूर्विकता के अनुसार किया जाएगा -

- (क) कृषकों, कृषकों के समुदाय, विशिष्टतया ऐसे जनजातीय और ग्रामीण समुदायों को जो विशिष्टतया एग्रो-बायोडाइवर्सिटी हाट स्पाट्स के रूप में पहचान किए गए क्षेत्रों में आर्थिक पौधों और उनकी संबंधित वन्य किस्मों के संरक्षण, सुधार और उनके आनुवंधिक संसाधनों के संरक्षण में लगे हैं, समर्थन देना और पुरस्कृत करना ;
- (ख) स्थानीय निकाय, विशिष्टतया उन क्षेत्रों में जिनकी एग्रो-बायोडाइवर्सिटी हाट स्याट्स के रूप में पहचान की गई है, के स्तर पर संरक्षण के संबंध में और संरक्षण को समर्थन देने के संबंध में क्षमताओं का समर्थन करना;
- (ग) धारा 26 की उपधारा (5) और धारा 41 की उपधारा (3) के अनुसार फायदाप्रद प्रभाजन और प्रतिकर के संबंध में ; और
- (घ) आनुवंषिकी निधि को प्रशासित करने की संव्यवहार लागत ।

अध्याय VII

अनिवार्य अनुद्रप्ति

71. धारा 47 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति देना

- (1) कोई हितबद्ध व्यक्ति किसी किस्म के रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी 28 में अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए दूसरी अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन कर सकेगा ।
- (2) उपधारा (1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-
 - (क) किस्म या सम्बद्ध किस्मों के किस्म अभिधान, आनुवांशिक और विशिष्ट नाम की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करेगा,
 - (ख) मैं समर्थनकारी दस्तावेजों सहित अनिवार्य अनुइप्ति जारी करने के लिए आधार अन्तर्विष्ट होंगे, और
 - (ग) निम्नलिखित द्वारा समर्थित होगा-
 - (i) उस व्यक्ति की, जो अनुरोध कर रहा है, साक्ष्य सहित अर्हता, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं,

- (ii) किस्म के संबंध में अधिकार धारणकर्ता की विशिष्टियां,
- (iii) यह लिखित साक्ष्य कि ऐसा अनुरोध करने वाले व्यक्ति ने स्वेच्छिक अनुज्ञप्ति के लिए सभी उपाय कर लिए हैं।
- (3) यदि प्राधिकरण का, उपनियम (1) के अधीन आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए कोई प्रथमदष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह तद्नुसार आवेदक को अधिसूचित करेगा ।
- (4) प्राधिकरण, उपनियम (1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी किरम के संवर्धक या उसके समनुदेशिती या रिजस्टीकृत अभिकर्ता को ऐसी सूचना जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर उसका विरोध आमंत्रित करते हुए सूचना जारी करेगा।
- (5) रिजिस्ट्रीकृत संवर्धक या उसका समनुदेशिती या रिजस्ट्रीकृत अभिकर्ता उपनियम (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी 29 में विरोध का सूचना दे राकेगा, जो विरोध के आधार या आधारों की पुष्टि को पुष्ट करने के लिए दस्तावेजी सबूत द्वारा समर्थित होगा।
- (6) यदि प्राधिकरण का, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की आवश्यकता है, वह संवर्धक या उसके समनुदेशिती या रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता को किरम की अनुज्ञप्ति स्वामिस्व के ऐसे निवंधनों और ऐसी अन्य परिलब्धियों पर जिन्हें वह ठीक समझे, किरमों की अनुज्ञप्ति देने का आदेश दे सकेगा।

72. धारा 50 के अधीन सामग्री उपलब्ध कराने की रीति -

प्राधिकरण आनुवांशिक बैंक या किसी अन्य केन्द्र से, जिसके अन्तर्गत ऐसी किस्म का आरंभिक संवर्धक भी है, अनुज्ञाप्तिधारी को ऐसी अनिवार्य अनुज्ञाप्ति प्रजनन संबंधी सामग्री उपलब्ध कराएगा।

73. धारा 52 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण-

(1) (क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अनिवार्य अनुज्ञप्ति से व्यथित है, धारा 47 की उपधारा (1) या धारा 52 में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी पर धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए प्राधिकरण को पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी - 30 में आवेदन कर सकेगा।

- (ख) उपनियम (1) के अधीन आवेदन साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा ।
- (2) प्राधिकरण स्वयं के सूचना पर या उपनियम (1) के अधीन व्यथित व्यक्ति से आवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी को सूचना दे सकेगा ।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकरण को उपनियम (1) के अधीन किसी आवेदन या उपनियम (2) के अधीन किसी कार्यवाही का विरोध पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी 31 में फाइल कर सकेमा ।
- (4) प्राधिकरण उपनियम (3) के अधीन फाइल किए गए विरोध पर विचार करने के पश्चात् और अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अदसर दिए जाने के पश्चात् प्रतिसंहरण का आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश देने से इंकार कर सकेगा ।

अध्याय VIII

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

74. घारा 63 के अधीन अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां-

- (1) अध्यक्ष, प्राधिकरण के कृत्यों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो भारत सरकार के लेखा और वित्तीय नियमों के अनुसार साधारण वित्तीय नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोक्तव्य हैं।
- (2) अध्यक्ष, किसी सदस्य या प्राधिकरण के किसी ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को, जो रिजस्ट्रार या समतुल्य पंक्ति से नीचे का नहीं है, इस शर्त के अधीन रहते हुए ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां लिखित में प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे कि इस प्रकार प्राधिकृत ऐसा सदस्य या अधिकारी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय अध्यक्ष के चिदेशाधीन, नियंत्रणाधीन और पर्यवेक्षणाधीन बना रहेगा।

अध्याय IX

प्रकीर्ण

- 75. धारा 81 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकृत करने की शीक्ष
 - (1) अधिनियम के अधीन किसी किस्म या उसकी प्रजनक सामग्री या आवश्यक रूप से

व्युत्पन्न किस्म या उसकी प्रजनक सामग्री का रजिस्ट्रीकृत कोई स्वर्धक उसकी ओर से किसी विधि न्यायालय में कोई कार्रवाई संस्थित करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञातिधारी या समनुदेशिती को प्राधिकृत करने के लिए पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी - 32 में आवेदन करेगा ।

- (2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कोई प्राधिकार दिया गया है, इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्रवाई या मामले से संबंधित किसी दस्तावेज की तामील अभिकर्ता पर उसे प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर तामील की गई समझी जाएगी और किसी कार्रवाई या मामले के संबंध में किए जाने के लिए निदेशित सभी संसूचनाएं ऐसे अभिकर्ता को संबंधित की जाएंगी और अभिकर्ता उनके संबंध में प्राधिकरण के समक्ष उपसंजात हो सकेगा।
- (3) प्राधिकरण, उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि आवश्यक अमझे तो ऐसी कार्रवाई या मामले के किसी आवेदक, विरोधकर्ता या पक्षकार के हस्ताक्षर या उसकी उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा ।

76. धारा 84 के अधीन सत्यापित प्रति जारी करने की रीति -

कोई हितबद्ध व्यक्ति धारा 84 के अधीन, दूसरी अनुसूची में विनिदिष्ट फीस के साथ पहली अनुसूची के प्ररूप पी वी - 33 में प्राधिकरण या रिजस्ट्रार को रिजस्टर में किसी प्रविष्टि, प्रमाणपत्रों या पौधा किस्म आवेदन को उद्धरणों या प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले अन्य अभिलेखों और इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी कार्रवाई में अपेक्षित किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए, जो ऐसे प्राधिकरण या रिजस्ट्रार के समक्ष लंबित हैं, आवेदन कर सकेगा और उसी रीति में और उसी प्रयोजन के लिए ऐसी प्रविष्टि या दस्तावेज के लिए भी अनुरोध कर सकेगा।

पहली अनुसूची {नियम 3 (1))

प्ररूप

प्ररूप	धारा और नियम	शीर्षक	
(1)	(2) •	(3)	
पी वी 1	धारा 16 (1) (ङ) और नियम 25	प्राधिकार के लिए आवेदन	1000000
पी वी 2	धारा 18 (3) और नियम 27 (2)	आवेदन फाइल करने के अधिकार का	
		सबृत	

(4)	(2)	(3)
पी वी 3	धारा 21 (2) और नियम 31	विरोध की सूचना
पीवी4	धारा 21 (4) और निबंध 31 (5)	प्रति- कथन
पीवी5 पीवी5	घारा 21 और नियम 33	समय विस्तार के लिए अनुरोध
पीवी6	धारा 24 (6) और नियम 39	रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण
पीवी7	धारा 26 (2) और नियम 41	फायदा शेयर करने के लिए आवेदन
पीवी8	घारा 26 (3) और नियम 42	विरोध की सूचना
पीवी9	धारा 28 (4) और नियम 45	अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिघारी के रूप में
पा पा छ	4141 20 (4) 4114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	रजिस्ट्रीकरण
	धारा 28 (9) और नियम 48	रजिस्ट्रीकरण की शतौं में फेरफार/के
पीवी10	alt 20 (5) dit 144	रहकरण के लिए आवेदन
	धारा 28 (10) और नियम 49	रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में फेरफार/के
पीवी 11	alti zo (royalit ria i	रहकरण के विरोध की सूचना
A-A-10	घारा 33 (1) और नियम 50	पौध किस्मों के रिजस्ट्रीकरण के प्रमाण-पन्न
पी वी 12	वारा ३५ (१) जार ११२१	के अभ्यर्पण के लिए आवेदन
0.0.10	धारा 33 (3) और नियम 51 (2)	प्रमाण पत्र के अभ्यर्पण करने के प्रस्ताव के
पी वी 13	धारा ५५ (५) आर नियम ७ (८)	लिए विरोध की सूचना
	धारा 33 (4) और नियम 51 (4)	सुनवाई में भाग लेने के आशय की सूचना
पी वी 14		रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को प्रतिसंहरण
पी वी 15	धारा उप आर नियम उट	करने के लिए आवेदन
	धारा 34 और नियम 53	रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के प्रतिसंहरण
पी वी 16	धारा उम् आर नियम उठ	करने के लिए आवेदन के लिए विरोध की
Į)		सूचना
	धारा 34 और नियम 53 (4)	सुने जाने के अवसर के लिए आवेदन
पी वी 17		पौध किस्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र
पी वी 18	धारा ३० (१) आर नियम ००	के रहकरण या परिवर्तन के लिए आवेदन
	धारा 36 (2) और नियम 57	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में संशोधन वे
पी वी 19	धारा ३७ (२) आर नियन उर	लिए आवेदन
6260 - M e 1921-420.	OC (4) after Court 50	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में संशोधन
पी वी 20	धारा 36 (4) और नियम 59	के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
200	07/1\ ch Press 60.	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में स्वामी/
पी वी 21	धारा 37(1) और नियम 60	संवर्धक द्वारा शुद्धि के लिए आवेदन
*	o= 10\ - 1 O 00	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में शुद्धि के
पी वी 22	धारा 37 (2) और नियम 62	लिए रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या
		अनुक्रप्तिधारी द्वारा आवेदन
4	4 %	orden and any areas

(1)	(2)	(3)
पी वी 23	धारा 38 (1) और नियम 64	रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के अभिधान में परिवर्तन के लिए आवेदन
पी वी 24	धारा 38 (2) और नियम 65	रिजस्ट्रीकृत पौधा किस्म के अमिधान में परिवर्तन के लिए आवेदन के विशेध की सूचना
पी वी 25	धारा 39 (2) और नियम 66	प्रतिकर के लिए आबेदन
पी वी 26	घारा 39 (2) और नियम 67 (2)	प्रतिकर के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
पी वी 27	धारा 41 (3) और नियम 68	प्रतिकर के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
पी वी 28	घारा 47 (1) और नियम 71(1)	अनिवार्य अनुक्रप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन
पी यी 29	धारा 47 (3) और नियम 71 (s) 🕽	अनिवार्य अनुक्रप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
पी वी 30	धारा 52(1) और नियम 7 3 (1)	अनिवार्य अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन
पी वी 31	धारा 53 और नियम 73 (3)	आवेदन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
मी यी 32	धारा 81 और नियम 75 (1)	वाद संस्थित करने के लिए प्राधिकार का प्ररूप
पी वी 3 3	धारा ८४ और नियम ७६	प्रमाणित प्रति के लिए अनुरोध

दूसरी अनुसूची (नियम 8 देखें)

फीस

क्र०सं० (1)	मामले जिन पर फीस संदेय है (2)	फीस की रकम (3)	प्ररूप संख्या (4)
1.	किए जाने वाले परीक्षण	परीक्षण की प्रकृति और प्रकार पर आधारित अधिकतम	
	D. h	50,000/- रु० प्रति ऐन्ट्री के अध्यधीन	
2.	विरोध की सूचना	1500/− ₹৹	पी वी 3
3.	समय विस्तार	1500/- रू० प्रति माह	पी वी 5
4.	आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्मों	व्यष्टिक- 5000	2
	के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस	शैक्षणिक- 7000	
		वाणिज्यिक- 10000	

(1)	(9)	(3)		(4)	
5.	नवीकरण फीस	व्यक्ति- 5000	*00 *6	पी वी 6	
		रीक्षणिक- 7000			
11		वाणिज्यिक- 10000			
		प्रतिवर्ष .		28.7	
6.	फायदा शेयर के लिए आवेदन	5000 ₹0		पी वी 7	
7.	अभिकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी के रूप में	10000 ₹0		पीवी9,	- 8
	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन				
8.	रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में फेरफार/रहकरण	व्यक्टिक- 3000		पी वी 10	
	के लिए आवेदन	शैक्षणिकक- 5000		10	
	1	वाणिज्यिक- 7000			
9.	रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में फेरफार/रद्दकरण	1500/- ₹50	, 110 -	पी वी 11	
	के लिए आवेदन के विरोध की सूचना				

तीसरी अनुसूची {नियम 2 (ग) देखें)

रजिस्ट्रार और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्ररूप

प्ररूप सं	धारा और नियम	शीर्षक
0-1	धारा 21(1) और नियम 30	विज्ञापन का प्ररूप
0-2	घारा 23 (8), 24(2) और नियम 36,37	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
0-3	धारा 24(3) और नियम 38	रजिस्ट्रीकरण की अपूर्णता की सूचना
0-4	धारा 26(7) और नियम 44	फायदा शेयर रकम की वसूली के लिए निर्देश
0-5	घारा 28(4) और नियम 47	अभिकर्ता/अनुज्ञप्तिघारी के रूप मे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
0-6	धारा 28(10) और नियम 49	संवर्धक/अभिकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी को सूचना
0-7	घारा 33(2) और नियम 51	रिजस्ट्रीकृत किस्म के अभ्यर्पण के प्रस्ताव को अधिसूचित करना
D-8	धारा 34 और नियम 53	रजिस्ट्रीकृत किस्म के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन की सूचना
0-9	धारा 36(4) और नियम 59	राष्ट्रीय रजिस्टर में परिवर्तन
0-10	धारा 37(2) और नियम 63	राष्ट्रीय रजिस्टर में शुद्धि
0-11	धारा 38(2) और नियम 65(3)	अभिधान में परिवर्तन का विज्ञापन
)-12	धारा 41(1) और नियम 68	समुदाय के अधिकारों हेतु प्रतिकर के लिए सूचना

चौथी अनुसूबी (नियम 20 (1) देखें)

क्र ०सं ०	पद का नाम	पदों की सं०	केन्द्र में समतुल्य पद	वेतनमान	अर्हताएं और अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
1.	वित्तीय सलहाकार	1	निदेशक	14,300- 18,300	वितीय/एकाउन्ट प्रबंधन में कम से कम आठ वर्ष के अनुभव के साथ
			. •		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
					या समतुल्य से डिग्री
2.	विधि सलाहुकार	2	अवर सचिव	10,000-	अधिवक्ता जो उसी रूप मैं कम
				15,200	से कम आठ वर्षों तक विधि व्यवसाय किया हो और बीद्धिक
			E		संपदा, प्रबंधन और संव्यवहार में
				9 "	विशेष ज्ञान रखता हो ।
3.	ज्येष्ठ लेखा	1	अवर सचिव	10,000-	लेखा अधिकारी के रूप में कम
	अधिकारी			15,200	से कम आठ वर्ष के अनुभव या
					किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
					से वाणिज्य में डिग्री या समतुल्य ।
4.	लेखा अधिकारी	1	सहायक निदेशक	8,000-	लेखा से संबंधित मामलों में कम से
				13,500	कम 6 वर्ष के अनुभव के साथ
					किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
					से डिग्री स्तर पर एक विषय के
					रूप में वाणिज्य या अर्थशास्त्र में
					डिग्री।
5.	तकनीकी सहायक	6	तकनीकी सहायक		पौधा किरम संबंधी और बीज
				9,000	विकास क्रियाकलायों में कम से कम
					4 वर्ष के अनुभव के साथ कृषि
					विज्ञान या सम्बद्ध क्षेत्र जैसे
					वनस्पति या जैव प्रौद्योगिकी में
					डिग्री ।
6.	कम्प्यूटर सहायक	5		5,500	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
				9.000	से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री
			ia i		और डाटा वेस प्रबंधन में कम से
					क्रम एक वर्ष का अनुभव ।

प्ररूप - पी.वी. 1 (नियम 25 देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

4	प्राधिकार का प्ररूप					
मैं/हम1						
						X-Y-AX-
की बायत नये किस्म/आवश्य	क यत्पति किस	म/विद्यमान किस्म कं	ो फाइल करने	के संबंध	में अपनी ओ	र से2
कार्य करने के लिए						
हैं, और अनुरोध करता हूँ/क					700	
अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उप		28		CIT 431		7, 17,
अन्यवा विभिन्न न हा, उ	iam an ac Ze	व्यासम्बद्धाः का नव	one i			
भैंट्या जारी गामने	मा कार्यवाही के	5 संबंध में सभी पूर	र्ग प्राणिकार :	गरि कोर्र	किया सभा है	है को
		र तथय न तना पूर	ч жимчик,	পাৰ পদহ	MAN THE	J. 471
प्रतिसंहरित करता हूँ/करते हैं	E					7
तारीख	20	30			2	
			<u> </u>		-0	_2 _2_
इस प्राधिकार को करने वात	में व्यक्ति(या) का/व	क हस्ताक्षर आर पद	आर/या कार	गलय महर	, याद काइ	हा, क
साथ नाम ।				9		
	8		÷			
सेवा में						
रिजस्ट्रार			7.0			
पौधा किस्म रजिस्ट्री		#E,	8.			4
		111	15	.00	17 (2)	
					A. A	
 ਜੀਣ :-	i - t		***********			* 1
AIC .	A. A.	**	of.		F	
कोई जीस नहीं :	- KNE		0.00	. f. 7	8 7	100

- इस प्राधिकरण को करने वाले व्यक्ति(यों) का/के नाम (पूरा नाम), पता/पते और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।
- प्राधिकृत व्यक्ति(यों) का/के नाम (पूरा नाम), पता/पते और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें । 2.
- पौद्या/किस्म और फसल का (सामान्य/वानस्पतिक) नाम ।

प्ररूप -पी वी 2 (नियम 27(2) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 आवेदन करने के अधिकार का संयूत

मैं/हम	1ं जो इस आदेवन						
में संवर्धक या पौधा किस्म अधिकार धारक होने का दावा करने वाले के रूप में विनिर्दिष्ट हैं, घोषणा कर							
	हूं/करते हैं कि वह/वे आवेदक जिसने/जिन्होंने इस आवेदन पर हस्ताक्षर किया है/किये हैं। गैरा/हमारा						
2011의 그릇을 그렇게 그리고 하는 그릇을 그렇게 되었다면 하나에 마다에서 하는 사람이 되었다면서 그렇게 되었다면서 그렇게 되었다면 하는데 하는데 그렇게 되었다면 되었다.							
समनुष	देशिकी या उत्तराधिकारी है/है ।						
	नियम 27(2)के अधीन यथा अपेक्षित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न करता हूं/करते हैं:-						
1.	······································						
2.	***************************************						
3.	***************************************						
मै/हम	घोषणा करता हूँ / करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दिश्वास के						
अनुसा	र सत्य एवं सही है ।						
-							
हस्ताक्ष	I \text{\tint{\text{\tin}\text{\tin}\text{\tin}\tint{\tex{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\ti}\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\tint}\tint{\text{\tin}\tiin						
टो सा	क्षियों के हस्ताक्षर उनके नामों एवं पते सहित .						
1.	and a comment of the first of the comment of the co						
2.							
^	मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ /करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोतन जानकारी एवं						
विश्वास	न के अनुसार सत्य है ।						
	# 						
तारीख	200						
	इस्ताक्षर						
A							
	णः जो लागू न हो उसे काट दें। 						
सेवा							
रिजार							
पौधा	किस्म रिजस्ट्री						

1.	नाम (पूरा नाम), पता और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।						
2.	संवर्धक या वास्तविक पौधा किस्म अधिकार धारक (धारकों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।						

प्ररूप - पीवी 3

(नियम-31(1) देखें)

पौधा किरन और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 विरोध की सूचना

मैं/हम	1		तारीख	को प्रक	शित पौधा
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			न्द्रीकरण आवेदन का निम्न		
₹ो			के विरोध करने की	सूचना देता हूँ/ दे	ते हैं :-
	46		¥		
1.				50	
2.					
3.					(36)
o .					= _{kc}
		- E			35 99
	I		200		
ताराख					
			(हस्ताका	₹)3	
			A.M. C. C. S.		
		057			
सेवा र	×			#3	
15000		**			
रजिस	58 74 S.				**
पाधा	किस्म रजिस्ट्री				St
*****			16 F		to.
		***********		A	22
1.	विरोध की सूचना फ	गइल करने वाले व्य	क्ति(व्यक्तियों) का/के नाम,	पता आर राष्ट्राय	dl n
2.	यथा विज्ञापित पंजी				4.0
3.	विरोध की सूचना प	गइल करने वाले व्य	क्ति (व्यक्तियों) का/के हस	ताक्षर	
	1900 F				D 120
	मैं/हम घोषणा करत	n हूं/करते हैं कि इस	नमें कथित तथ्य और साम	ग्री मेरी/हमारी स	र्गात्तम जानकारी,
सूचन	ा और विश्वास के अनु				1.3
तारीर	ब		200		*(

199		
<u> </u>	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[Partil—Sec. 3()]
सेवा में	W)	14
रजिस्ट्रार		
पौधा किस्म रजिस्ट्री		
+********		4
	जो लागू न हो उसे काट दें।	
1. नाम(पूरा नाम), प	ाता और सष्ट्रीयता कां उल्लेख करें ।	
2. आवेदक (आवेदव	गें) द्वारां हस्ताक्ष र किए जाएं । ्र	** **
	प्ररूप - पी.वी. 4	
	(नियम 31 (5) वेखें)	æ
पौधा	किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 20	001
	प्रति-वक्तव्य का फार्म	
	·	
को प्रव	गशित, रजिस्ट्रीकरण संख्या वाले पौध	किस्म के रजिस्ट्रीकरण के
, आवेदन संख्या	के विरोध के मामले में	48
मै/हम1	उपर्युक्त पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के	लिए आवेदक हूँ/हैं सूचन
ा हूँ/देते हैं कि वे आधा	र निम्नलिखित हैं जिनपर मैं/हम मेरे/हमारे प्रति-	कथन पर विश्वास करत
करते हैं :-		446
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		(E)
g,,,,		
	-	

मैं/हम विरोध की सूचना में निम्नलिखित दावों/अभिकथनों/प्रतिविरोधों से सहमत/असहमत हूँ/हैं

इन	कार्यवाहियो	के	संबंध	में	सभी	पत्र-व्यवहार	भारत	Ť 2	निम्न	पते	पर	किया	जाए	1

तारीख...... 200

हस्ताक्षर3

सेवा में रजिस्ट्रार पौध किस्म रजिस्ट्री

कोई फीस नहीं :

- यह प्राधिकार देने के लिए व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम (पूरा नाम), पता (पते) तथा राष्ट्रीयता कर उल्लेख करें ।
- 2. प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम (पूरा नाम), पता (पते) तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें ।
- 3. आवेदक अथवा उसके अभिकर्ता या समनुदेशियी के हस्ताक्षर ।

प्ररूप - पी.वी. 5 (नियम 33 (6) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

समय के विस्तार के लिए अनुरोध

मै/हम1	नियम 33 के अधीन विरोध/साक्ष्य/प्रति	किथन की सूचना फाइल करने के
निए [‡]	हीने तक समय का विस्तार करने के लिए अनुरें	रोध करता हूँ/करते हैं ।
क्रावेदन सं	के सम्बन्ध में ।	

यह आवंदन करने के लिए निम्नलिखित कारण है	∤/8 :-		
1	· ·)¥.	
2		e e	
भारत में तामील के लिए मेरा पता निम्नवत है :-			
			Ēć
तारीख 200		· E	ů.
	हस्ताक्षर2		
सेवा में	# F3		
रिजस्ट्रार	4		
पौधा किस्म रिजस्ट्री .		~"	
		(96)	
1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता तथा	राष्ट्रीयता का उल्ले	ध करें ।	
 आवेदक (आवेदकों) द्वारा हस्ताक्षर किए प् 	नाएं ।	•	
	- पी.वी. 6		
(नियम	39 (1) (ख) देखें)	(\$)	
पौधा किस्म और कृषक अधि	कार संरक्षण अधिनि	यम, 2001	
पौधा किस्मों के रजिस्ट्रीकरण	ा के नवीकरण के दि	नए आवेदन	
		* 1	
मैं/हम1 पौधा किस्म2	के संबंध में,		जिसका
अभिघान है , पौघा किस्म रजिस्ट्रीकरण	। सं	तारीख़	के
नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।			- 91

-	रिषस्ट्रीकरण के नवीकरण की सूचना, भारत में नि	न्नलिखित पते पर भेजी जाए	ż-
	 200		
VIIVA	-	हस्ताक्षर3	
सेवा	 में		
रजि	स्ट्राप	W.	983
पौधा	। किस्म रंजिस्ट्री		- -
			iĝ.
2. 3.	रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म का नाम । आदेदक (आदेदकों) के हस्ताक्षर । प्रक्रप - पी (नियम 41 (1007 BF 12207	
	पौधा किस्म और कृषक अधिकार	संरक्षण अधिनियम, 2001	
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	4 4	7.1
	फायदा शेयर करने वे	लिए आवेदन	7.6
	18 A		
	मैं/हम1 आवेदन करता हूँ/करते	हैं कि मेरा/हमारा नाम पौधा	किस्म, रज़िस्ट्रीकरण
सं.	X X	शेयर करने के लिए हकदा	र व्यक्ति (व्यक्तियों) के
	में रजिस्ट्रीकृत किया जाए ।	4 8	
	कामहा शेयर करने के लिए हकदार होने के लिए	नेरे/हमारे आधार नीचे दिए ग	ए हैं :-

उस पौधा किस्मों के ब्यौरे जिसकी वावत मैं/हम फायदा शेयर करने का दावा कर रहा हूँ/रहे है
निम्नवत हैं :-
पौधा किस्म, जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या है
फायदा शेयर की मेरी/हमारी हकदारी के सबूत में मैं/हम संलग्न दस्तावेज उनव एक प्रमाणित प्रति के साथ प्रेषित करता हूँ/करते हैं ।
भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता4
तारीख
हस्ताक्षर5
सेवा में
रिजिस्द्रार
पीधा किस्म रिजस्ट्री

 पूरा नाम और पता जैसा कि रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दर्शाया गया है, लिखें ।
2. पौधा किरम और फसल का नाम (सामान्य/बनस्पति) ।
उ ऐसे दस्तावेजों की विशिष्टियों, उसकी तारीख, और उसके पक्षकारों को बताते हुए विनिर्दिष्ट करें, कि दावे को किस तरह अनुसमर्थित किया गया है ।
4. पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय का स्थान नाम बताएं ।
5. आवेदक या उसके अभिकर्ता या समनुदेशियी के हस्ताक्षर ।

प्ररूप - पी.वी. 8 (नियम 42 (4) (ख) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 फायदा शेयर करने के लिए आवेदन के विरोध की सूचना

								40		
				र्ग	20 m 20 20 m 20 m 20 m 20 m 20 m 20 m 2		-0-5	क्रमा सं	655653000	
				र्रा	जेस्ट्रीकृत	। पीधा किस्म	राजस्ट्र	idikai er		<u> </u>
	मे/हमा						. के ह	रा/की ओ	र सं2	दिए गए
	D		C)	HOU -	*****		334 MES 188	% (A)		
			क के निशेष	ह की सद्यना दे	ता हैं/देत	ने हैं ।	F3:		6	
फायद	। शेयर क वि	त्रए आव	दन का अरा	व की सूचना दे		. V		(8)		
						0		4 4 Pm	तन है	74-
	_			करने के उक्त	आवेदन	का विरोध वि	च्या गय।	£ 4 1.1-	140 0	
	जिस आघ	ार पर प	श्रवदा रावर	करने के उक्त	Parkers,	15			52	
								41		
1.									2	
							50			
5357										
2.					2					
										m
3.				9						
	- 5		350.3			8		5a - 1		
	*	+11						1		
							~=		ਹਜ਼ਾ है।	करते
(6)			के जाकति	में, मैं/हम निम्न	लिखित	दस्तावंजी की	प्रातया	सलग्न फ	cen w	4.151
	मेर/हमा	र विराध	क रामला	1, 40						
*	201		ex.						(e)	
Q ·			88			100				
12		**				¥				82
1.								3		51.8
100				1.5						
			1	46%			33			
2.	100			# 1 ²				1.21		
			20			2.0		7.		3. 61
3.								9.0		32
٠.			=							
	भारत	में मेरा,	हमारा ताम	ोल का पता	******		*			51
	3.550/ASS		Ť.	36					11.6	65
									43	
					25	8	1:			
	•		1	200				40	• 3.	
Ť	गरीख			X-manual Co.						

हस्ताक्षर3

1. 2.,

संव	ा मे		RAOKDINAKY	PART II—SBC. 3(0)
	ास्ट्रार			
	ा किस्म रजिस्ट्री			
	न			
			8	
				AN WASHINGTON
जो त	लागू न हो उसे काट दें ।			
1.	आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता	और राष्ट्रीयता का उ	ल्लेख करें ।	
2,	फायदा शेयर आवेदन फाइल करने	ो वाले व्यक्ति/(व्यक्तियों) का/के नाम	(S)
3.	आवेदक (आवेदकों) द्वारा हस्ताक्षर	किया जाए ।	*	
		प्ररूप - पी.वी. 9	14	
		(नियम 45 (1) (ख)	देखें)	
	पौधा किस्म और कृष	क अधिकार संरक्षण	अधिनियम, 2001	
	अभिकर्ता या अनुङ्गप्ति धा	री के रूप में रजिस्ट्री	करण के लिए आवेदन	Ĭ
100	ौं/हम1 पौधा वि की उपधारा (4) के अधीन अधि करता हूँ/करते हैं ।	व्हरम और कृषक आ विकर्ताया अनुज्ञान्तिः	धेकार संरक्षण अधिरि गारी के रूप में रजिर	नेयम, 2001 की स्ट्रीकरण के लिए
स्म औ ए गए	/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि में के संबंध में प्राधि र कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम नियमों के अधीन अभिकर्ता या अनुझ ो/हमारी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है :-	कृत आमकता या अनु 1, 2001 (2001 का प्तिधारी के ऊप में जी	ज्ञप्तिधारी हूँ/हैं और या	ह कि मैं/हम पौधा
उप	व नाम सहित पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरो	· #		2.
निव	वास स्थान का पता	1)	***************************************	4
	***************************************		17707300	

F	—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण <u>अ</u>
[4]41	1/21/C/WWW.92/pagestine.e.
3.	पिता का नामराष्ट्रीयता
Ų.	राष्ट्रीयता
5.	पूरा व्यवसायिक विवरण
3 .	पूरा व्यवसायिक विवरण
7.	कारोबार का प्रमुख स्थान
В.	शाखा कार्यालय का पता, यदि कोई है
9.	संलग्न दस्तावेज3
1.	27 as
2.	
	मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्
٠.	ानुसार सही है ।
d)	निसार संवा व
	200
तार	ख 200
वा	र्में
जिस	
	किस्म रजिस्ट्री
थान	
	उन व्यक्तियों के पूरे नाम, पता और राष्ट्रीयता का उल्लेख करें जो फायदा शेयर करने के लिए
١.	
	हकदार हैं।
	के अभिध
2.	उन पौधा किस्म (किस्मों) जिनके संबंध में फायदा शेयर करने का दावा किया गया है, के अभिधा
	किस्म, रजिस्ट्रीकरण संख्या और अन्य ब्यौरे ।
3.	दस्तावेजों की तारीख और उनके पक्षकारों तथा किया गया दाक कैसे सिद्ध होता है यह दर्शाते
3.	ऐसे दस्तावेजों की विशिष्टियाँ दें ।
¥	
	उस व्यक्ति का जिसने फायदा शेयर करने के लिए दावा किया है/कर रहा है, पूरा पता ।
4.	उस व्यक्ति का जिसन फायदा रायर करने प्राप्त पान पान पान प
	आवेदक या प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता या विधिक अधिकारी या समनुदेशिकी द्वारा
5	आवेदक या प्राधिकृत अनुङ्गितिधारी या आभकता या विध्वक आध्वकारा या राजपुर्वाराना बन्त

हस्ताक्षर किया जाए ।

2.

प्ररूपं - पी.ची. 10 (नियम 48 देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

	रजिस्ट्रीकरण	ण की शर्तों में फेरफार/के रहकरण के लिए आव	वेदन
	मैं/हम1घ	ोषणा करता हूँ/करते हैं :-	energie •
1.	कि मैं/हम संवर्धक/अनुज्ञप्तिधारी/अभिकत	पौधा किस्म, रजिस्ट्रीकरण सं हे र्ता हूँ/हैं ।	के रजिस्ट्रीकृत
2.	कि रजिस्ट्रार के तारीख	के आदेश द्वारा पौधा किस्म का रजिस्	ट्रीकरण किया गया था
3.	रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में फेरा	फार/रदकरण के लिए आधार निम्नवत् है :-	
(क)			
(ख) .			
**	रीक्षित किया जाए । मै/हम घोषणा करता हूँ/करते और विश्वास के अनुसार सही है	हैं कि इसमें कथित तथ्य और सामग्री मेरी/हम	ारी सर्वोतम जानकारी
		Ų.	
तारीख	***************************************	200	***
			1
2		हस्ताक्षर2	********
टिप्पण: जो	लागू न हो उसे काट दें।		
सेवा म		4	
रजिस्ट्रार			
पौधा किस्म	रिजस्ट्री		
***********	PART AND		
 -	******		
1 नाम । 2. संवर्ध	परा नाम), पता और राष्ट्रीयता व क या वास्तविक पौधा किल्म अहि	का उल्लेख करें । वेकार धारक (धारक़ों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।	*****
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	वार्य (वारका) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।	2.

प्ररूप - पी.वी. 11 (नियम 49 देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

एजिस्ट्रीकरण में फेरफार या पहकरण के आवेदन के विरोध की सूचना

		के पट्टान करन	पर	.,,., પાથ	। किस्म
मैं/हम्।क् जसका अभिघान		47 84411 411	के पौधा कि	स्म रजिस्ट्रीव	ञ्च सं.
जिसका अभिघान	8 alkina		किले ल की ब	जना देता हैं	/देते
ाजसका आमधान तारीख की शर्तों व	में फेरफार/के रद्दकरण	के लिए आवदन क	विश्रव का र	Jarii atii Q	
1		174			
	4			33	
जिस आधार पर उक्त का	विरोध किया गढ़ा है, वि	नेम्नवत हैं :-			
INH MINICAL OW AN					
	ts				
				SI	
		18.1			
	the second			+	
1					
		100			e*
भारत में मेरा/हमारा तार्म	रीची का पता				
भारत म भरा/हमारा तार	nen un sen mannen	A1123 (480 CO)			
	F)				
ारीख	200		100		
		- 1			
				@	(0)
		हस्ताक्षर	2		89)
		हस्ताक्षर⁄	2		10 I
		हस्ताक्षर⁄	2		
		हस्ताक्षर	2		
		हस्ताक्षर⁄	2		(9)
		हस्ताक्षर ्	2		
		हस्ताक्षर	2		
		हस्ताक्षर	2		
		हस्ताक्षर्य	2		
सेवा में रजिस्द्रार		हस्ताक्षर	2		
सेवा में रजिस्द्रार		हस्ताक्षर	2		*
		हस्ताक्षर	2		

प्ररूप - पी.बी. - 12 [नियम 50 देखें]

पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

पौधा किस्म के एजिस्ट्रीकृत प्रजनक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अम्यर्पण के प्रस्ताब के लिए आवेषन

कसल कीके नाम में रिजस्ट्रीव किया जाता है कि उपरोक्त रिजस्ट्रीवृ उत्तराधिकारी ⁵ होने के नाते मैं/हम प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करने का प्रस्ताव करते	हरण संo इत यौधा किस	प म के रंजिस्ट्र उन परिस्थि	र रजिस्ट्री स्वत्वधा प्रतियों में	ोकृत है, आवेषन री (धारियों) या रजिस्ट्रीकरण का
इस आवेदन से संबंधित सभी 2.	पत्र-व्यवहार	निम्नलिखित	पते पर	किया जाए । ,
तारीखवर्ष 20	00	1) # # ./** 04		<u>3</u>
सेवा में.		OIL É	il.	54
रजिस्ट्रार,				
***************************************	. स्थित पौधा	किस्म रजिस्ट्री		

- 1. आवेदन करने वाले व्यक्ति का/के नाम भरें ।
- 2. आवेदन करने वाले व्यक्ति का पता ।
- 3. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
- 4. पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं ।
- 5. जो आवश्यक न हो, काट दें ।

प्ररूप - पी बी - 13 (नियम 51 (2) देखें)

पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियन, 2001

पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अभ्यर्पण के प्रस्ताव के विरोध की सूचना

फसल की	uth	वा किस्म के रजिस्टीकरण	के प्रमाण पत्र
अभ्यर्पण के प्रस्ताव के आवेदन	के मामने में जिस	ही रजिस्टीकत संo	······································
अभ्यपण के प्रस्ताय के आपपण जो रजिस्ट्री	क्र नाम्य म, ज्यान	अनुक्रानिधारी है/हैं जस	रजिस्टीकरण
जा राजस्ट्रा	कृत आनकता अन्यपा	अनुकाराबारा <i>ग्रेग</i> , उस	क प्रीष्टा किस्म
अभ्यर्पण का विरोध करने के	अपने आशय का सूर	भा दवा क्षुद्ध है, जिल	्को पान सर्व
रजिस्ट्रार द्वारा भेजी गयी सूचना	। मुझे तारीख	20	- का आना दुव
		এক কথাৰ বিদ্যালয় ≹'-	e la
विरोध के तथ्य और आधार उरि	लाखत करन वाला ।	शिखत कथन निम्मया छः	
3	F.		¥
**			
इन कार्यवाहियों के संबंध में सन	भी पत्र-व्यवहार भारत	मे निम्नालिखत पत पर व	त्या जाए ।
4			
તારીख	20		(8)
	(2)	<u>t</u> e	
₩	70	. 5	
सेवा में	#g		
पौधा किस्म के रजिस्ट्रार,		2	*
6 Rea	त पौधा किस्म रजिस्ट्र	कृत का कार्यालय,	
The second of th		The second secon	

- 1. पौधा किस्म के अभ्यर्पण के लिए आवेदन करने वाले पौधा किस्म के प्रजनक अथवा उत्तराधिकारी का नाम ।
- 2. यह आवेदन करने वाले विरोधी का नाम ।
- 3. लिखित कथन, जिसमें विरोधी के हित की प्रवृति निर्धारित है, तथ्य जिन पर वह अपना मामला आधारित करता है, और राहत जिसकी वह मांग करता है । विरोधी अपने विश्वास के के अनुसार कोई भी ऐसा दस्तावेज विरोध की सूचना से उपाबंध के रूप में दे सकता है ।
- 4. उसके कारबार या आवास के मुख्य स्थान का नाम व पता ।
- 5. विरोध के लिए यह आवेदन करने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
- पौधा किस्म रिजस्ट्रीकृत के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं ।
- 7. जो आवश्यक न हो, काट दें ।

प्ररूप - पी.बी. - 14 [नियम 51 (4) देखें]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

सुनवाई में उपस्थित होने के आशय की सुबना

	_1
	घारा ¹ के अधीन ता रीख
200	को किए गए आवेदन के मामले में मैं/हम ²
जो व	प्रावेदक या विरोधी हैं, रजिस्ट्रार को आवेदन करते हैं कि उपरोक्त मामले के संदर्भ में सुने
	का एक अवसर प्रदान करें । यह अनुरोध है कि सुनवाई का समय और स्थान कृपया मुझे
	लिखित पर्ते पर सूचित किया जाए ।
	•
3	
₹	**************************************
तारी	g
	ş.
	हस्ताक्षर
120	
सेवा	Ĥ,
	पौधा किस्म के रजिस्ट्रार,
	⁵ स्थित पौधा किस्म रजिस्ट्री का कार्यालय
1.	धारा सं०, प्ररूप संख्या जैसी विशिष्टियां और अध्यर्पण का आवेदन करने वाले आवेदक का
	नाम भी भरें।
2.	यह सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भरें ।
3.	यह सूचना देने वाले व्यक्ति का पता ।
4.	सूचना देने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
	가게 하는 하나에 가입하는 얼마는 경험을 느끼는 맛있다고 하는 아래에 얼마를 가입하는 아래의 사람들이다.
5.	पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएँ ।
6	जो भारक्षभक्त न हो काट हैं।

2809 GI/2003-6A

फार्म · पी.बी. 15 (देखें नियम 52)

पौध किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पौधा किस्म के पंजीकरण के प्रमाणपत्र प्रतिसंहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन

	फसल कीं पौधा किस्म के मामले	Ĥ,
	फसल का	*
जिसका पंजी	गिकरण संख्या है, जो के नाम में पंजीकृत 1 द्वारा, जो पौधा किस्म की उपरोक्त कथित पंजीकृत पौधा किस्म	٠,
	2ई आवेदन किया जाती है कि निम्नालिखत में से किसी पूर्व जायार र	गन
विवरण में पू	पूर्णतया उल्लेखित परिस्थितियों में प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण किया जाए ।	

- यह कि पंजीकरण का प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा दी गई गलत सूचना पर आधारित है ।
- यह कि पंजीकरण का प्रमाणपत्र किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण का पात्र नहीं है ।
- 3 यह कि संवर्धक ने रिजिस्ट्रार को वह सूचना, दस्तावेज अथवा सामग्री नहीं दी जैसी कि इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए अपेक्षित है ।
- 4. यह कि संवर्धक किस्म के वैकल्पिक वर्ग प्रदान करने में असफल रहा जो उस मामले में रिजस्ट्रार के लिए पंजीकरण की विषय-वस्तु है जहां रिजस्ट्रार को प्रदान की गई ऐसी किस्म के पहले के वर्ग इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए अनुझेय नहीं है ।
- 5. यह कि संवर्धक ने उस व्यक्ति को आवश्यक बीज अथवा प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदान नहीं की जिसे उस किस्म के संबंध में धारा 47 के अन्तर्गत अनिवार्य लाइसेंस जारी किया गया है. जिसके संबंध में ऐसे प्रजनक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
- (6) यह िक संवर्धक ने इस अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गतं बनाए गए निवमों अथवा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं िकया है।
- यह कि संवर्धक इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्राधिकरण के निर्देश का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है ।
- यह कि पंजीकरण के प्रमाणपत्र का दिया जाना लोक हित में नहीं है ।

इस आवेदन से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते पर किए जाए ।

3	 	 			,		,	,	*	,				

तारीख ______ 200

हस्ताक्षर4

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

स्थित5

पौद्या किस्म प्राधिकरण/रजिस्ट्री

- आवेदक का नाम भरें !
- रजिस्ट्रीकृत पौधा किरम के साथ आवेदक के संबंध की प्रकृति
- 3 आवंदक का पता ।
- 4 आवंदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर 1
- 5 जैवा कित्म रिक्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं ।

प्रक्रप - पी वी - 16 (नियम 53 (2) वेखें)

पीधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

पीधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण का बिरोध करने के लिए विरोध की सूचना

1 द्वारा रजिस्ट्रीकरण के प्रभाण प	त्र के प्रतिसंहरण के आवेदन के मामले में,
मैं/हम जी रॉजस्ट्राकृत सर्वधक है/ किस्म, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं० हैं, वि गयी सूचना मुझे तारीख	को प्राप्त हुई, के प्रमाण-पत्र के
गयी सूचना मुझ ताराखप्रिंग सूचना मुझ ताराख प्रतिसंहरण का विरोध करने के मेरे/हमारे आशय की	सूचना दता क्रायत ए
विरोध कें तथ्य और आधार उल्लिखित करने वाला लि	खित कथन निम्मवत है:-
3	
इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार भारत	में निम्नलिखित पते पर किया जाए ।
4	
तारीख 200	
ताराख	
	हस्ताक्षर 5
सेवा में	*
पौधा किस्म के रजिस्ट्रार,	
पौधा किस्म रजिस्ट्री का कार्यालय.	

- 1. पौधा किस्म के प्रतिसंहरण का आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम ।
- 2. रजिस्ट्रीकृत संवधक का नाम ।
- 3. लिखित कथन, जिसमें विरोधी के हित की किस्म निर्धारित है, तथ्य जिन पर वह अपना मामला आधारित करता है, और राहत जिसकी वह मांग करता है । विरोधी अपने विश्वास के के अनुसार कोई भी ऐसा दस्तावेज विरोध की सूचना के अनुबंध के रूप में दे सकता है ।
- 4. उसके थ्यापार या आवास के मुख्य स्थान का नाम व पता ।
- विरोध के आवेदन करने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर ।
- पौधा किस्म रिजस्ट्रीकृत के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं ।

फार्म - पी.बी. 17 (देखें नियम 53 (4))

पौध किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

सुने जाने के अवसर के लिए आवेदन

	घारा 1 के अन्तर्गस दिनांक दिवस
20.	को किए गए आवेदन के मामले में, मैं2 आवैदक अथवा विरोधी ⁶
	द्वारा रजिस्ट्रार को आवेदन करता हूँ कि उपरोक्त मामले के संदर्भ में सुने जाने का एक अवसर प्रदान
	। यह अनुरोध है कि सुनवाई का समय और स्थान मुझे निम्नलिखित पते पर सूचित किया जाए ।
दिनां	क दिन 20
	हस्ता क्षर4
संवा	में,
	पौधा किस्म के रजिस्ट्रार
1.	धारा संख्या, फार्म संख्या और प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के नाम जैसे भी
	भरे ।
2.	इस मोटिस को देने वाले व्यक्ति का नाम ।
3.	इस नोटिस को देने वाले व्यक्ति का पता ।
4.	नोटिस देने वाले व्यक्ति अथवा उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
5.	पौद्रा किरम रजिस्ट्री के उपयुक्त कार्यालय के स्थान का नाम उल्लेखित करें ।
6.	जो लागू न हो, काट दें ।

कार्म पी.वी. 18 (देखें नियम 55 (2))

पौध किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

	म के अन्तर्गत पंजीकृत पौधा किस्म के पंजीकरण की किन्हीं लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन	शर्तों के निरस्तीकरण अथवा
रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रीकृतः निम्नलिखित	संख्या फसल की पौघा कि संख्या है, और के द्वारा, जो ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत पौघा कि अभिकर्ता या रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिघारी या कोई अन्य व्यक्ति5 है में से किसी भी आधार पर और संलग्न विवरण में पूर्णतया उल्ले निरस्त अथवा परिवर्तित किया जाए ।	. के नाम में रिजस्ट्रीकृत है, स्म का रिजस्ट्री प्रजनक या है, आवेदन किया जाता है कि
1.	इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन ।	
2.	किसी शर्त का अनुपालन करने में असफलता जिसके अधीन प गया है ।	गंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया
इस	आवेदन से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते2 पर भेजा	जाए ।
दिनोक	दिवस 200	
	हस्ताक्षर3	
सेवा में.		
रजिस्ट्रार,		
	4स्थित	(g) ^(g)
पौधा किस्म		
नावा ।परन	N. N	1.4

- यह आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम भरें ।
- 2. यह आवेदन करने वाले व्यक्ति का पता ।
- यह आदेदन करने वाले व्यक्ति अथवा उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
- 4. पौधा किस्म रजिस्ट्री के उपयुक्त कार्यालय के स्थान का नाम उल्लेखित करें ।
- 5. जो लागून हो, काट दें।

5.

जो आवश्यक न हो, काट दें ।

प्ररूप - पी.वी. 19 (नियम 57 देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

	किरम दन ।	के रजिस्टर में प्रविध्टि करने, निकालने या फेरफार करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा
 रजिर निम्न	द्रीकरण द्रीकृत लिखित	फसल की पौघा किस्म के मामले में, जिसका संख्या है, और के नाम में रजिस्ट्रीकृत है, के नाम में रजिस्ट्रीकृत प्रजनक अथवा अभिकर्ता या रजिस्ट्रीकृत अनुद्वाप्तिधारी या कोई अन्य व्यक्ति है, आवेदन किया जाता है कि में से किसी भी आधार पर और संलग्न विवरण में पूर्णतया कथित परिस्थितियों में पौधा किस्म के विविध्य करने, निकालने या फेरफार करने के लिए आवेदन किया जाता है।
	1.	किसी प्रविष्टि के रजिस्टर से अनुपस्थिति अथवा लोप ।
	2.	पर्याप्त कारकों से रजिस्टर में की गई प्रदिष्टि ।
	3.	रजिस्टर में प्रविष्टि गलती से रह जाना ।
	इस	आवेदन से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार निम्नालिखित पते2 पर किया जाए ।
तारी	এ	
		हस्ताक्षर3
सेवा	में.	
रजि	स्ट्रार,	
		4स्थित रजिस्ट्री,
1.	यह :	आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम भरें ।
2.	यह ।	आवेदन करने वाले व्यक्ति का पता ।
3.	यह -	आवेदन करने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
4.	पौधा	किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताए ।

5.

6.

प्रक्रम - पी.वी. - 20 [निवन 59 (2) वेखें]

पीचा विक्स और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

रजिस्ट्र परि	ार द्वारा पौधा किरन के रजिस्टर में प्रवृष्टि के रदकरण या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में वर्तन या प्रवृष्टि करने, निकासने, हटाने या फेरफार करने के लिए विरोध की सूचना
रजिस्ट्र मामले	फसल के रजिस्ट्रेशन सं० वाली पौघा किस्म के र द्वारा को प्राप्त सूचना के में
75	मैं/हम 2 का विरोध
करने व	म/हम इ अपने आशय की सूचना देता हूँ/देते हैं ।
	विरोध के तथ्य और आधार दर्शाने वाले लिखित विवरण निम्नवत हैं:-
	इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते पर किया जाए 4
तारीख	वर्ष 20 हस्ताक्षर
सेवा र	
	रजिस्ट्रार, पौधा किस्म.
	पौद्या किस्म रजिस्ट्री का कार्यालय.
	6
1.	पौधा किस्म के रजिस्टर में प्रविष्टि के रहकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तन या प्रविष्टि करने, निकालने या फेरफार के लिए रजिस्ट्रार का आशय ।
2.	तिरोध की यह सचना देने वाले व्यक्ति का नाम ।
3.	प्रतिपक्षी के हित के स्वरूप, तथ्य जिस पर उसका मामला अध्यारित है और विश्वास और राहत जो वह चाहता है, के स्वरूप को निर्दिष्ट करने वाला लिखित विवरण । प्रतिपक्षी विरोध की इस सूचना के उपाबंध के रूप में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करे जिस पर वह विश्वास करता है।
4.	प्रतिपक्षी का पता

सूचना देने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम और स्थान बताएं ।

प्रक्रप - पी.वी. - 21 [नियम 60 देखें]

पीधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

रजिस्ट्रीकृत संवर्धक द्वारा रजिस्टर में शुद्धि करने के लिए आवेदन

	मेरे नाम अर्थात् 1 में रजिस्ट्रीकृत रजिस्ट्रीकरण सं० वाली
	फसल की पौधा किस्म के मामले में निम्नतिखित
	किसी एक आधार पर पौधा किस्म के रजिस्टर में शुद्धि करने के लिए मैं आवेदन करता हूँ:-
1.	ऐसे प्रजनक के नाम, पता और विवरण या ऐसी किस्म से संबंधित किसी प्रविष्टि में किसी बूटि को शुद्ध करना
2.	ऐसे प्रजनक के नाम, पता और वर्णन में किसी परिवर्तन को रजिस्टर में प्रविष्ट करना ।
3.	किस्म के रजिस्टर में उस प्रविष्टि को रह करे जिसके संबंध में ऐसा आवेदन किया गया
700	है. और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में इसके परिणामस्वरूप संशोधन या परिवर्तन करना और
	उस प्रयोजन के लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।
जाए	इस आवेदन पत्र से संबंधित सभी पत्र - व्यवहार निम्नलिखित पते पर किया
तारीख	त्र
सेवा ः	at a second control of the second control of

	रजिस्ट्रार,
	पौधा किस्म रजिस्ट्री
	2
स्थान	4
1.	इस आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम भरें (रजिस्ट्रीकृत प्रजनक) ।
2.	इस आवेदन करने वाले व्यक्ति का पता (रिजस्ट्रीकृत प्रजनक)

रजिस्ट्रीकृत संवर्धक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताए ।

3.

4.

प्रकाप - पी.वी. - 22 [निवन 62 वेखें]

पीबा किस्न और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियन, 2001

रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या रजिस्ट्रीकृत अनुक्रसिधारी द्वारा रजिस्टर को शुद्ध करने के लिए आवेदन

	वं नाम में रजिस्ट्रीकृत रजिस्ट्रीकरण संख्या वाली
	फसल की पौद्या किस्म के मामले में निम्नलिखित में से
किसी	एक आधार और उन स्थितियों में जिनका साथ के विवरण में पूर्ण उल्लेख किया गया है,
शुद्धि	करने के लिए उपर्युक्त रजिस्ट्रीकृत पौद्या किस्म के रजिस्ट्रीकृत अनुइाप्तिधारी/रजिस्ट्रीकृत
अभिक	र्ता होने के नाते द्वारा आवेदन किया जाता है ।
1.	किसी त्रुटि को शुद्ध करना
2.	रिजस्ट्रीकृत अभिकर्ता के नाम, पता या वर्णन में किसी परिवर्तन की प्रविष्टि करना
3.	रजिस्द्रीकृत अनुक्रप्तिधारी के नाम, पता या वर्णन में किसी परिवर्तन की प्रविष्टि करना ।
	इस आवेदन पत्र से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते पर किया जाए
3	
	4
तारीस	ड वर्ष इस्ताकार
सेवा	Ť,
	रजिस्ट्रार.
	पोधा किस्म रजिस्ट्री
स्थान	5
1.	इस आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम मरें ।
2.	बावेदन करने के कारण अर्थात किसी त्रुटि को शुद्ध करना या बावेदक के नाम, पता या
2075	वर्णन में परिवर्तन की प्रविष्टि करना ।
3.	आवेदन करने वाले व्यक्ति का पता ।
4.	आवेदक का हस्ताह्मर
5.	पौधा किस्म एजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं ।
6.	जो लागू न हों, उसे काट दें ।

प्रक्रप - पी.वी. - 23 [नियम 62 देखें]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

		अभिष	धान में परिवर	न			
मैं/हम		******					

	को	प्रकाशित,	रजिस्ट्रीकरण	संख्या .		वाल	1
फर	सल की	रजिस्ट्रीकृत	किस्म		के	अभिघान मे	
जोकने/हटाने/परिवर	निकरने वे	ह लिए अनुरो	ध करता हुँ/करव	ते हैं ।			
वर्तमान अधि			है। अभिष्यान मे	ं जब परिवर्त	न किया जाए	गातो वह	
उससे संबं	धित सभी	सूचनाएं अध	यपेक्षाएं और पः	त्र व्यवहार वि	नेम्नलिखित ।	पते पर किय	T
**			0.8				
तारीख		यम					
	Vesio				हस्ताक्ष	2 a₹	•
सेवा में,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
रजिस्ट्रार,							
पौधा किस	न एजिस्ट्री	140					
स्थान							

- 1. संवर्धक/उसके विधिक प्रतिनिधि/समनुदेशिकी के नाम (पूरा नाम), पता (पते) और राष्ट्रीयता का उस्लेख करें ।
- 2. इस आदेवन को करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर और नाम, आधिपदीय मुहर, यदि कोई हो, सहित ।

सहित

(नियम 65 (1) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

अभिधान में परिवर्तन के विरोध की सूचना

		निम्नलिखत
A 2	को पळाशित रजिस्टीकरण संववाला	
अरणा स - ज्याल की र	रिजस्ट्रीकृत पौधा किस्म के अभिघान में प्रस्तावित परिवर्तन के विरोध की	सूचना देता
/देते हैं:-		5.0
i.		
2.		
	13.	
मैं/हम अपने	ने कथन को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ/करते	8 1
	v.	
	× .	
नारीख	200	
CII CI SA	and the second s	
	हस्ताक	रि
सेवा में		
रजिस्ट्रार,	- F	
पौद्या किस्म	म रजिस्ट्री,	

जाए ।

प्ररूप - पी वी - 25 (नियम 66 (2) वेखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

प्रतिकर के लिए आवेदन

मैं/हम-	
	अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि
	भे दी गई दशाओं के अधीन अनुबद्ध प्रत्याशा के अनुसार कार्य निष्पादन के लिए प्रचार
•	
	की अफलता के लिए रिजस्ट्रीकरण सं० और अमिघान वाली
	फसल की पौधा किस्म के संबंध में प्रतिकर दिया जाए ।
யகொ	र के लिए अपनी हकदारी के समर्थन में मैं/हम निम्नलिखित साक्ष्य (साक्ष्यों) को प्रस्तुत करता
हूँ/करत	d 6 I
4	
1.	
2.	
तामीर्ल	ो के लिए मेरा/ हमा रा पता:-
तारीख	वर्ष 20
	हस्ताक्षर -
सेवा मे	Ĺ
प्राधिक	गरी.
પૌધા [केस्म और कृषक अधिकार संरक्षण
1.	प्रतिकर के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों का नाम (पूरा नाम), पता और राष्ट्रीयता का
1.6.6	उल्लेख करें ।
	Seed 47
2.	यह दर्शाते हुए कि दावा किस प्रकार सिद्ध होता है, साक्ष्यों की विशिष्टियां
۷.	विनिर्दिश्ट करें ।
3.	नाम और पदीय मुहर, यदि कोई हो, सहित आवेदक (आवेदकों) ह्वारा हस्तासर किया

प्रक्रम - पी वी - 26 (नियम 67 (2) वेखें)

पीचा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

प्रतिकर के लिए आवेदन के विरोध की सूचना

	2:			
मैं/हम				
तारीख	के रजिस्ट्रीकरण सं० -		वाली	फसल की
	रजिस्ट्रीकृत पौषा किस्म के संबंध.	À		·- ² द्वारा/की ओर
	कर के आवेदन के विरोध की सूचन			
जिस आधार पर	प्रतिकर के लिए उक्त आवेदन का أ	वैरोध किया गय	ा है, वे निम्नव	त हैं.∽
1.			20	
2.		· ·		
3.	W (8)			
मेरे/हमारे विरोध	के समर्थन में मैं/हम निम्नलिखित	दस्तावेजों की न	सत्यापित प्रतिय	ा संलग्न करत
हूँ/करते हैं:				
-	34			
1.				
2.				
3.	W			
भारत में मेरा/हम	ारा तामीली का पता			
तारीख	वर्ष 20	9		- 3 5
		ā.	8	
e6)	#i		g see	3
			QV	1363

सेवा में

प्राधिकारी पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

- 1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें
- 2. व्यक्ति (यों) का/के नाम जिन्होंने प्रतिकर के लिए आवेदन किया है
- 3. आवंदक/आवंदकों द्वारा हस्ताक्षर किया जाए

जो लागू न हो उसे काट वें

प्रकाप - पी वी - 27 (नियम 68 (2) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम. 2001

प्रतिकर के लिए आवेदन के विरोध की सूचना

मै/हम रजिस्ट्रीक रण	Ī
स० वाली फसल की रजिस्ट्रीकृत	1
पौधा किस्म के संबंध में प्रतिक	₹
के लिए आवेदन के विरोध की सूचना देता हूँ/देते हैं ।	
आधार, जिस पर प्रतिकर के लिए उक्त आवेदन का विरोध किया गया है वे निम्नवत हैं:-	

- 1.
- 2.
- 3.

मेरे/हमारे विरोध के समर्थन में मैं/हम निम्निलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिया संलग्न करता हूँ/करते हैं:

- 1.
- 2.
- 3.

मेरा/हमारा भारत में तामीत	ત્રાવગ પલ	ıı.						
*,		*					(#)	
	-4		·)				
तारीखवर्ष	200						1	•
		30 5	o			٥		
							- 74	
							हस्ताक्षर	
#			-				OTTHAC	
सेवा में,				4				
प्राधिकारी					20		5	**
पौधा किस्म और कृषक	अधिकार	संरक्षण						

जो लागू न हो उसे काट वें

- 1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें
- 2. व्यक्ति (यों) का/के नाम जिसने प्रतिकर के लिए आवेदन किया है
- 3. आवेदक (कों) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए

प्ररूप - पी वी - 28 (नियम 71 (1) देखें)

पोधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनिमय, 2001

अनिवार्य अनुझप्ति की मंजूरी

मैं/हम	······································		~~~~		
निम्नलिखित	आघारों	पर	को	प्रकाशित	रजिस्ट्रीकरण
सं०	वार्ल	h	फसल की		पौघा
किस्म के लि	ए अनिवार	र्ग अनुइ	प्ति की मंजूरी के लिए आवेदन कर	ता हूँ/करते	हैं, अर्थात:-

- किस्म के बीजों या अन्य प्रचार सामग्री के लिए जनता की उचित अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं।
- 2. किस्म के बीज या प्रचार सामग्री जनता को उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं हैं ।

	मेरे/हमारे	हित	तथा	ऊपर	कथित	तथ्यों	के	समर्थन	में	दस्तावेजी	साक्ष्य	और	उनकी	प्रतियां
संलग्न	8 :-					4				3				

2		-
1.		

3.	***************************************	

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, इसमें कथित तथ्य और मामले मेरे/हमारे सर्वोत्तम इतन, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

	मेरा/हमारा	भारत	में	तामीली	का	पता	
तारीख			7	र्ज 200			

हस्ताक्षर2	*********

सेवा में प्राधिकारी, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

जो लागू न हो उसे काट दें।

- 1. आवेदक (को) का नाम (पूरा नाम), पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें !
- 2. आवेदक (को) द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित है तो प्राधिकृत पेटेण्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।

प्रकाप - पी वी - 29 (निथम 71 (6) देखें)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

अनिवार्थ अनुक्रांची के लिए आवेदन के दिरोध की सूचना

				1971		4	A. Cal	
	तारीखं		- mel		फसस व	η		
जिस्टीकत पौध	किस्म के संबंध	¥			े हारा/क	ओर	से आ	नेवार्य
प्रनुइप्ति के लिए	आवेदन के विरोध	की सूचना	वता हु/पत	£ , 9	40	4-1	0.3	3
जल आधार पर	अनिवार्थ अनुद्वापित	के लिए उ	क्त आवेदन	का विशेष	किया गय	ह दे ।	न्निवर	8-
1.			£	A	ji.		er#	r pr
2.	4);					3	7.7	
3.	*		0		Service of	* Alar	* 5	
मेरे/हमारे विरोध	के समर्थन में मैं/	हम निम्नति	निवतं वस्ता	वेणों की स	स्यापित	प्रतियां ः	संलग्न	करत
हूँ/करते हैं:				12			- 05	
1.			19	5			• -	121
2.								Ģe.
3.	8 k		7		18	37		
मेरा/हमारा भार	त में तामीली का प	ıताः		. Venin e inte ca				
								•• • • •
	Ø.	#2				18. 18.		
तारीख	वर्ष 200	1			W.	The Day) in 1
3031-4					, A		33	£2
					8 J	हस्ता	क्षर	
		9				32		201
	- 1							

सेवा में.

प्राधिकारी. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

जो लागू न हो उसे काट वै

- आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता एवं राष्ट्रीयता का उल्लेख करें
- 2. व्यक्ति (यों) के नाम जिन्होंने अनिवार्य अनुहाप्ति के लिए आवेदन किया है
- 3. आवेदक (ओ) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए

प्ररूप - पी.वी. - 30 [नियम 73 (1) वेखें]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनिवन, 2001

अनिवार्यं अनुक्रप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेषण

	मैं/हम [ी]		********	***********			मिम्म	लिखित
कारणों	से ,	**********		फसल के			पौघ	किस्म
के बाव	त्							
•••••			**********				•••••	2 की
	····· है	, को प्रतिसी	हरित करने	का निवेदः	न करता है	/करते हैं:-		

- अनिवार्य अनुज्ञिष्त के निबंधन और शर्तों का अतिक्रमण ।
- 2. लोकहित में अनुझप्ति का जारी रखना अनुपयुक्त है ।

प्रतिसंहरण के लिए मेरे/हमारे आधार के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और मामले मेरी/हमारी सर्वोत्तम हान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

नरितं	मै	मेरा/हमारा	तामीकी	का	पता	
			- 6			

तारीखंवर्ष 20

हस्ता**वार....**

संधा में.

प्राविकारी, पौधा किल्म और कृषक अविकार संरक्षण

जो मागू न हो छसे काट वें

- 1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता एवं राष्ट्रीयता का उल्लेख करें
- 2. व्यक्ति (याँ) के नाम जिन्हींने अभिवार्य अनुकारित के लिए आवेदन किया है
- 3. आवेदक (ओ) द्वारा हंस्सीक्षर किया जाए

प्रकृष - भी.थी. - 31 [मिथम 73 (3) वेखी]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

प्रतिसंहरण के लिए आवेबन के विरोध की सूचना

	#,	हम 1					फस	ल के
•••••	••••		. पौध कि	सम के बाद	वत्			
								द्वारा/की
ओर	से	प्रदत्त	अनिवार्य	अनुद्वप्ति	जिनकी	रजिस्ट्रीकरण		तारीख
		ŧ,	के प्रतिसी	इरण के लि	ए आवेदन	के विरोध की	सूचना देता हूँ/देते हैं -	

	जिन आधार पर प्रदत्त अनिवार्य अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के हि	ए उक्त आवेदन का विरोध
किया	ा गया है, वे निम्नवत हैं:-	
-2000	•	E
1)	***************************************	
2)	***************************************	
3)		
	मेरे/हमारे विरोध के समर्थन में, मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेजीं	की प्रमाणित प्रतियां संलग्न
करत	ग हूँ/करते हैं:-	*
1)	***********************************	
2)	***************************************	
3)		
	35	
	भारत में मेरा/हमारा तामीली का पता	

तारी	ख यर्च 20	
		3
	*	हस्ताक्षर
वा में	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	****
धिका	ारी	
ध वि	तस्म और कृषक अधिकार सं रक्षण	

जो लागू न हो उसे काट वें

- आवेदक/अनुहाप्तिधारी का पूरा नाम, पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।
- 2. प्रतिसहरण के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम
- 3. अविदक/अविदकों का/के हस्ताक्षर

प्ररूप पी.वी. 32 (नियम 75 (1) देखें)

पौद्या किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

वाद संस्थित करने के लिये प्राधिकार का प्ररूप

,फसन व	សិ	पौद्या किर	स्म, रजिस्ट्रीकरण	
			24 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	
		को अप		
मे 3	के संबंध में क	गर्य करने के लिए प्रा	श्चिकृत करता हूं/ करते हैं अपेक्षाए, संसूचनाएं ऐसे प्र	
	ति पर भेजा जाय।			
मैं/हम उपर्यंक्त मा	नले या कार्यवाही के	बारे में किये गये सा	भी पिछले प्राधिकरण, यदि	कोई हों को
प्रतिसंहरित करता			*.	
तारीख	*	9		W.
		d [*]	हस्ताक्षर	

(अधिकारी का नाम और पदीय मुहर)

सेबा में रजिस्ट्रार पोधा किस्म रजिस्ट्रीकरण

जो लागू न हो उसे काट दें

- अवदेवक का नाम (पुरा नाम), पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।
- रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता/अनुक्राप्तिधारी का पुरा नाम, पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।
- 3. उस मामले या कार्यवाही को बताएं, जिसके लिये प्राधिकरण किया गया है।
- 4. आवेदक/आवेदकों का /के हस्ताक्षर

प्रकाप, भी. वी. 33 (नियम 76 वेखीं)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

पोधा किस्म रजिस्टर में प्रविष्टि की सत्यापित प्रतियाँ या ऐसी प्रविष्टि के निरीक्षण के लिए अनुरोध

प्रकाशन तारीख के मामले में
मै/हम सन्यापित प्रति प्रदान करें और उपर्युक्त पते पर सत्यापित प्रति भेज दें।
में/हम आपसे अनुरोध करता हं/करते हैं कि मुझे/हमें उपर्युक्त पौधा किस्म की वावत
दस्तावेज/प्रविष्टि का निरीक्षण करने की अनुहा प्रदान करें।
व उद्दश्य जिनके लियं प्रविदि/दस्तावेज की सल्यापित प्रति अपेक्षित है निम्नवत हैं-
5
2
3.

ताजीख

हस्ताक्षर 2

(नाम तथा प्रदीय मुहर)

सवा में 1) रिजस्ट्रार पौधा किस्म रिजस्ट्रीकरण

2) W	निकर	P		
पौधा	किरम	और	कुनक	अधिकार

हस्ताक्षर	4							•			•	•	•			•	٠					
-----------	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--

जो लागू न हो उसे काट वें

- आवेदक का नाम (पुरा नाम) , पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।
- 2. बावेदक के हस्ताक्षर
- 3. उस विशिष्ट मामले या कार्यवाही का उल्लेख करें जिसके लिये प्राधिकरण दिया गया है
- 4. अविदक/आवेदकों के हस्तक्षर

्रप्रस्तप ओ-1 (नियम 30 देखें)

भारत सरकार, पीधा किस्म रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के लिये स्वीकृत आवेदन का विज्ञापत

श्री/श्रीमती	के द्वारा र	ग श्री/श्रीमती	की आर से	
फसल की नः	र्द पौधा किस्म/वर्तमान कि	स्म/कृषक किस्म/ अनिवा	र्यतः व्युत्पादित	Top - Toy - Wallend
किस्म जिल	सका अभिधान	है, जिसकी विनिर्देश	। जिसके अंतर्गत उस	के रेखांक
और/या छायाचित्र भी है.	जो नीचे दिए गए हैं,	को फाइ	त्तं आवेदन सं	
, को	स्वीकार कर लिया गया है	और इसे रजिस्ट्रीकरण	₹†:`	तारीख
को प्रदान वि	केया गया है।			
उक्त किस्म के संबंध में	कन्वेन्शन आवेदन सं	तारीख3	ஸ் ்	ाइल किया
ताजा है।				The same of
पौधा किस्म और कृषक	अधिकार संरक्षण नियम 2	003 के नियम सं. 29 व	५ अधीन कार्यका ढी क	त विरोध
V.	ार्यालय 4			
90 (000) (000) (000) (00 (00)			= 34	

आवेदक का नाम (पुरा नाम)/ पताकार्य करने के स्थान का पता (रिजस्ट्रीकरण सं. यदि लागू :

हों) और राष्ट्रीयता 2. प्रजनक का नाम (पूरा नाम) पता और राष्ट्रीयता (यदि आवेदनकर्त्ता प्रजनक नहीं है तों)

^{3.} कन्वेन्शन देश का नाम

⁴ कार्यालय का नाम

को देव होगी।

प्ररूप- 0-2

(कृपया नियम 36 और 37 देखें) भारत सरकार, पौधा किस्म रजिस्टरी रजिस्ट्रींकरण प्रमाण-पन्न

	Kh-Inibe in to
2000	का रजिस्ट्रीकरण सं०
ने घोषित किया है कि उर	प्तनेपौधा किस्म/ अनिवार्य
	है और वह उसका वास्तविक प्रजनक (या वास्तविक
प्रजनक का विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिक) है और पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार
अधिनियम, 2001 के उपबंधों को ध्यान में रख	वते हुए वह उक्त किस्म पौधा किस्म के अधिकार का
हकदार है और यह कि उसके पक्ष में पौधा कि	रसम के रजिस्ट्रीकरण के प्रति कोई आक्षेप नहीं है । ' -
और उसने उक्त पौधा किसम के लिए आवे	दन करते हुए अनुरोध करता हैं कि पौधा किस्म/
अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न पौधा किस्म का रजिस	
	, उक्त पौधा किस्म के विभिन्न विशिष्ट लक्षणों और
उसके अभिधान का उल्लेख करते हैं ;	*
से कोई भी हैं) पौधा किस्म संरक्षण और कृष अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों और शर्तों और उपबंधों के अधीन रहते हुए संवर्षों की अवधि के लि आयात या निर्यात करने और ऐसा करने के ि अधिकार होगां, इस शर्त के अधीन रहते हुए	तमें उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती या इनमें क अधिकार अधिनियम, 2001 के उपवंधों और उक्त तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख
**	
इसके साक्ष्य स्वरूप रजिस्ट्रार ने म	गह केतारीख200. को इस
रजिस्ट्रीकरण पर मुहर लगाई है ।	D
	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व मुहर
	पौधा किस्म रजिस्टरी
	मंजूर करने की तारीख

प्ररूप 0-3

(नियम 38 देखें) भारत सरकार, पौधा किस्म रजिस्टरी रजिस्ट्रीकरण की अपूर्णता की सूचना

आवेदन सं०तारीखतारी.	
पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार नियम, 2003 के नियम 38 के अधीन सूचना दी जाती है कि उस पौधा किस्म का रिजस्ट्रीकरण जिसके संबंध में	I
1	
2	
यदि इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त सभी अपेक्षायें पूरी नहीं की जाती हैं तो आवेदन को परित्यक्त माना जायेगा ।	Ť
तारीखवीं	

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर और मुहर पौधा किस्म रजिस्ट्री

प्ररूप 0-4

(नियम 44 देखें) भारत सरकार, पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार प्राधिकरण

फायदा शेयर रकम की वसूली के लिए निर्देश

सेवा में,	
8	*** ****

90	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II—Sec. 3()]
	श्री/श्रीमती को फायदा शेयर करने के आवेदन संoके संबंध
में इर	। प्राधिकारी द्वारा फायदा शेयर रकम के रूप में आदेश सं०
तारीख	की रकम 'ग',
	26(6) के उपवंधों के अधीन राष्ट्रीय जीन निधि में निक्षिप्त करने के लिए उसी आदेश द्वारा
	तया था ।
	और, उक्त व्यक्तिने उक्त फायदा शेयर
रकम	को गतसे निक्षिप्त करने में व्यतिक्रम किया है/असफल रहा है, और उक्त व्यक्ति
	स्थान पर निवास करता है/अपना कार्य करता हैं, जो आपकी अधिकारिता के
भीतर	
	इसमें नामित व्यक्ति की ओर से उपर्युक्त व्यक्तिक्रम को ध्यान में रखते हुएके
उपवंध	ों के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में ऊपर उल्लिखित फायदा होयर रकम को संप्रहित
	के लिए एक निर्देश पत्र आपके कार्यालय को भेजा जा रहा है ।
	2 12 14 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	इस निर्देश के अनुसरण में भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली की रकम को पौधा
किस्म	संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जीन निधि में
	कम की वसूली के पश्चात तीन मास की अवधि के भीतर निकिप्त कराना अपेक्षित है ।
O(I)	कर्म कर कर्तुला के नरवात राज्य कर वाक्ष के नातर हात्वाचा कराना वाचावर है।
तारीख	20
	प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
	प्रकाय 0-5
	(नियम 47 देखें)

(नियम 47 देखें) भारत सरकार, पौधा किस्म रजिस्ट्रार अभिकर्ता या अनुज्ञिष्टिधारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

₹0	················	2		
प्रमाणित किया जात	।। है कि औ/शीमती/सुशी		निवासी	
को	फसल की पौधा	किस्म	क	संबंध में
तारीख		200 को एक अभिकत	f/अनु डा प्तिधारी के रूप	न में
रजिस्ट्रीकृत किया	ाया है।			

तथापि, यह प्रमाणपत्र ऊंपर एल्लिकिंत रिजस्ट्री पौधा किस्म/माँ के संबंध में संविदा में निर्धारित निवंधनों और शर्तों के अध्यथीन होगा ।

> रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर और मुहर पौधा किस्म रजिस्ट्री

प्रकथ 0-6

(नियम 49 बेस्में) भारत सरकार, पौधा किस्स रजिस्ट्री धारा 28 के अधीन सूबना

ीधा किस्म रजिस्ट्रीकरण संoके मामले में आवेदन	(-
ło.,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
अमिधान वाली	. फसल की
गैधा किस्मकं मामले में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र सं०	की शर्तों
में केश्कार/रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।	
उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आपको इस सूचना की प्राप्ति की तारीख र	ो 3 माह के
अंदर आवश्यक दस्तावेज सहित उक्त आवेदन के प्रति विरोध फाइल करने की सूचना व	ी जाती है।
जिसमें असफल होने पर उक्त आवेदन पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।	
तारीख200	

रजिस्ट्रार, पौघा किस्म रजिस्ट्री के हस्ताक्षर और मुहर

1...,....

प्रसाप ओ 7 (नियम 51 (1) देखाँ)

इस अधिनियम की धारा 33(2) के अधीन रिजस्ट्रीकृत पौधा किस्म के संवर्धक द्वारा रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को सूचना अभ्यर्पण के प्रस्तान की रिजस्ट्रार द्वारा सूचना

रिजस्ट्रार पौधा किस्म, धारा 33(1) के अधीन प्राप्त आवेदन के रिजस्ट्रीकृत अभिकर्ता और/या रिजस्ट्रीकृत अनुहाप्तिधारी को सूचना तामील करता है।

आवेदन की प्रति और रजिस्ट्रार को प्राप्त विवरण साथ में संलग्न है।

यदि अधिसूचित कोई व्यक्ति रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को अश्व्यर्पित किये जाने का विरोध करने का आशय रखता है तो वह उसका अधिसूचना के प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर विनिर्देश्ट विहित तरीके से विरोध कर सकता है।

तारीख:-

सेवा में

- (1) रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता 2
- (2) रजिस्ट्रीकृत अनुहाप्तिघारी 3
- ी पौधा किस्म के रजिस्ट्रार या विधिसम्यक प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
- 2.रजिस्ट्रीकृत अभिकत्तां और /या रजिस्ट्रीकृत अनुहाय्तियारी का नाम और पता भरे।
- 3 जो आवश्यक न हो उसे काट दें।

प्ररूप ओ 8 (नियम 53(1)देखें)

इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रति संहरण के लिये धारा 34 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन की सूचना

पीधा किस्म प्राधिकारी धारा 34 के अधीन प्राप्त आवेदन के रिलस्ट्रीकृत प्रजनक को सूचना तामील करता है।

आवंदन की प्रति और राजिस्ट्रार से प्राप्त विवरण के साथ संलग्न है।

यदि अधिसूचित कोई त्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रतिसंहरत किये जाने का विरोध करने का आशय रखता है तो वह अधिसूचना के प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर विहित तरीके से विरोध कर सकता है।

तारीख-

1......

सेवा में रजिस्ट्रीकृत प्रजनक स्थान 2

- प्राधिकरण अध्यक्ष या सम्यक सप से प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
- रजिस्ट्रीकृत संवंधक और/या रजिस्ट्रीकृत अभिकत्तां और/या रजिस्ट्रीकृत अनुक्राप्ति धारी का पूरा नाम और पता लिखें।

प्ररूप ओ-9 (नियम 59 (1) देखें)

रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रह करने या परिवर्तित या पौधा किस्म के रिजस्टर में किसी प्रविष्टि को करने, निकालने या उसमें फेरफार करने के लिये रिजस्ट्रार की सूचना

- 1. रजिस्ट्रीकरण प्रणण पत्र का रहकरण
- 2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण यत्र में प्रिंगर्तन
- 3. पौधा किस्म रिवस्टर में किसी प्रविद्धि को करना, निकालना या उसमें फेरफार करना

नारीख

1

संता म

क. एडिस्ट्रीकृत सर्वायक 2

- ख. रजिस्ट्रीकृत अभिकत्तां 2
- ग. रजिस्ट्रीकृत अनुहाप्तिघारी 2
- 1. योघा किस्म के रजिस्ट्रार या सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
- 2. नाम तथा पता लिखे।

प्रकाप 0-10 (नियम 63 (1) डेखें)

धारा 37 (2) के अधीन अनुक्रप्तिधारी या रजिस्ट्रीकृत अविकर्ता द्वारा रजिस्टर में संशोधन के लिये आवेदन की सूचना

पौधा किस्म के रजिस्ट्रार धारा 37(2) के अधीन प्राप्त आवेदन के रजिस्ट्रीकृत प्रजनक को सूचना की

आवदन की प्रति और रजिस्ट्रारं से प्राप्त विवरा	ग संलग्न है।
ी तारीख	सन 20
t	

रजिस्ट्रीकृत सर्वधक पता 2

- 1. पौघा किस्म के रजिस्ट्रार या सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
- 2. नाम व पता भरें।

प्रक्रय 0-11 (नियम 65 वेखें)

मारत सरकार, पौधा किस्म रजिस्ट्री

अभिधान में परिवर्तन

	रुसल की पीधा	ा किस्म	जिसका रजिस्ट्र	्रीकरण	
۲Ĭ	तारीख				
	Nacoda				
सूचित किया ज	।ता है कि		ाल की पौधा वि	Бस्म	जिसका
रतिस्टीकरण र	i	तारीख		க் வடுகா ப	में परिवर्धन के दियाँ

समुबाय के अधिकारों हेतु प्रतिकरपूर्ति के लिये सूचना

फंसल की पौधा किस्मजिसका रजिस्ट्रीकरण	6 -
संहै।	
	9
सूचित किया जाता है कि	सं उक्त पौधा
किस्म के विकास में उनके / उसके द्वारा किये गये अभिदाय के हेतु दावे प्राप्त हो	। गये हैं। प्रजनक/उनके
रिजस्ट्रीकृत अभिकत्तां/विधिक प्रतिनिधि/समनुदेशिको को इस सूचना की तारीख सं	3 माह के भीतर ऐसे
दावाँ के प्रति किसी आक्षेप को फाइल करने का निर्देश दिया जाता है।	2 14
वे अधिप्रमाणित साक्ष्यों को प्रस्तुत करके दावों के प्रति अपनी आक्षेपों को सिद्ध	करेंगे। यदि वह ऐसा
चाहता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।	
वीं तारीख सन् 200	

[सं. 1-4/2003/एस डी-V] के॰ एम॰ साहती, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2003

G.S.R. 738(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act,2001(53 of 2001) read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the 'following rules, namely:----

CHAPTER I

PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement --
 - These rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003.
 - (2) They shall come into force on the date on which the Act shall come into force.
- 2. Definitions In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001(53 of 2001);
 - (b) "Authority" means the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority established under sub-section (1) of section 3;
 - (c) "Chairperson" means the chairperson of the Authority appointed under clause (a) of sub-section (5) of section 3;
 - (d) "fee' means the fee specified in the Second Schedule;

- (e) "Form" means a Form specified in the First Schedule;
- (f) "Gazette" means the Official Gazette of the Government of India;
- (g) "journal" means the monthly Journal of the Authority;
- (h) "non-official member" means a member of the Authority other than a member, ex-officio;
- (i) "notice" means a notice issued by the Tribunal or the Registrar or the Authority Under the Act;
- (j) "Registrar" means a Registrar of Plant Varieties appointed under subsection (4) of section 12 and includes the Registrar General of Plant Varieties appointed under sub-section (3) of that section;
- (k) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;
- (l) "section" means a section of the Act;
- (m) "representation" means any written communication addressed to the Authority or the Registrar in any proceeding under the Act;
- (n) all other words and expressions used, but not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Details of particulars to be furnished while making an application or representation --
 - Save in case of forms specified by the Authority under the Act, every
 person making an application or representation under the Act or these rules,
 shall furnish the particulars in the Forms specified in the First Schedule;

- (2) If any application or representation has been filed withthit furnishing all the particulars as specified in the relevant Forms specified in the First Schedule; the Authority or the Registrar, as the case may be, shall give one month's notice to the applicant or the person, who has filed the application of the representation to file such particulars.
- (3) In the event the applicant or the person, who has filed the application of the representation, defaults or fails to rectify the application or the representation, as the case may be, in terms of the notice under sub rule (2) within one month as allowed, the said application of the representation shall be liable to be rejected without any further notice.
- (4) Where no Form is specified for any purpose, the applicant may adopt as nearly as may be a Form specified in the First Schedule with such modifications and variations as may be considered necessary.

4. Office of the Authority -

- (1) The office of the Authority shall, for all proceedings under the Act, be the head office of the Authority at New Delhi or the branch office, as the case may be, within whose territorial limits –
- (a) the applicant for registration of the plant variety or the farmers' right has his principal place of business or domicile; or
- (b) the applicant for registration of the plant variety or the farmers' right, whose name is first mentioned in the application, resides or has his principal place of business or domicile, if the application is made jointly in the names of two or more persons; or
- (c) the agent or licensee of the registered breeder has his principal place of business or domicile.

(2) Notwithstanding anything contained it sub-rule (1), until the branch offices are established, the appropriate office for all proceedings under the Act shall be the head office of the Authority at New Delhi.

Address for service of notices, etc.

- (1) Every person including the applicant, concerned in any proceeding to which the Act or these rules apply, shall furnish to the Authority or the Registrar the complete address for service in India and that address shall be treated for all purposes connected with such proceedings or the rights granted, as the address of the person or persons in the proceedings.
- (2) Unless such an address is given, the Authority of the Registrar shall be under no obligation either to proceed or deal with any proceeding of to send any notice that may be required to be given under the Act or these rules.

6. Procedure regarding application; representation and issue of notices -

- (1) Every application or representation shall be made in writing, signed by the applicant or the person who has made the representation, and delivered to the Registrar or the Authority at its office.
- (3) The names and addresses of the applicants and other persons shall be given in full, together with their nationality and such other particulars, as are necessary for their identification and for sending communications to them.
- (4) (a) All applications, representations and documents filed or required to be filed under the Act or the rules shall be filed in triplicate:

Provided that in cases where the Registrar or the Authority requires more than three copies of such applications, representations, or documents, the applicant or the person, who has filed the application or the representation, shall be required to supply as many copies as is specified by the Authority or the Registrar.

- (b) In case of failure to furnish the required number of copies within a period of three months, the Registrar or the Authority may reject the application or the representation or may treat the application or representation as withdrawn.
- (4) Any application, representation or document required to be sent to or filed with the office of the Authority or the Registrar may be delivered either by hand or by registered letter with acknowledgement due or electronic mail, addressed to the Authority or to the Registrar at their office.
- (5) If any application or a representation or document is delivered to the Authority or the Registrar by hand, an acknowledgement receipt shall be issued by the Authority or the Registrar's office with its seal.
- (6) In case of delivery by registered post with acknowledgement due or by electronic mail, it shall be presumed to have been filed, or given at the time when the same has been received by the office concerned.
- (7) Any written communication addressed to an applicant or the holder of any right under the Act, at his address in the Register of Plant Varieties maintained under the Act or at the address for service furnished under rule 5 in any proceedings under the Act or these rules, at the address appearing on the application or notice of opposition or reply or counter reply or any such representation, shall be presumed to be properly addressed:

Provided that in cases where the receipt of such a representation or application has been delayed beyond the normal period of delivery or transmission, such a delay may be condoned.

(8) All notices and written communications addressed to an applicant or to any holder of right, in any proceeding under the Act or these rules, and all documents forwarded to the applicant or the holder of any right or an opponent shall, except when they are sent by special messenger, be sent by registered post acknowledgement due or by electronic mail.

- (9) (a) The acknowledgement receipt issued by the office concerned or the postal certificate receipt shall be the sufficient proof as to the delivery or sending of any document under the Act or these rules.
 - (b) In case of transmission by electronic mail, the electronic receipt with the recognised digital signature, by the applicant or the person, who has made the representation, shall be the proof of the receipt.

Application not to be admitted in certain cases -

No application or representation shall be made to the authority or registrar covering the subject-matter already included in an earlier application made by the same person, and such subsequent application shall not be admitted by the registrar or the authority, as the case may be.

8. Fees -

- (1) The amount of fees payable in respect of the registration of plant varieties and grant of any right under the Act or any application or notice of opposition or reply or counter reply required to be filed under the Act and other matters shall be as per the rates specified in the Second Schedule.
- (3) (a) The fees payable may either be paid in cash or may be sent by money order or postal order or bank draft or cheque payable to the Authority or the Registrar, as the case may be, at their respective offices, drawn on a scheduled bank at the place where the office is situated.

Explanation: For the purposes of these rules, "scheduled bank" means a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(b) Any cheque or draft (not including the fees in cash) on which the value specified therein cannot be collected in cash within the time

allowed for the payment of the fees, shall be accepted at the discretion of the Registrar.

- (c) The stamps shall not be received in the payment of any fees payable under these rules.
- (d) Where a fee is payable in respect of the filing of a document or application or representation, the date on which the entire fee is paid shall be the date of filing of the document or the representation.
- (3) Where any test is required to be conducted under any of these rules, the applicant or the concerned person shall be required to pay the requisite fee specified in the Second Schedule.
- (4) Any application or representation or document shall be liable to be rejected on account of non-payment of fees and no test shall be conducted unless and until the parties interested deposit the required amount of fees as specified in the Second Schedule.

9. Size, etc., of documents -

All documents and copies of documents, except affidavits and drawings, sent to or left at the office of the Authority or otherwise furnished to the Registrar shall be written, typewritten, lithographed, or printed (either in the Hindi or in the English language unless otherwise directed or allowed by the Authority or the Registrar-General) in large and legible characters with deep indelible ink with lines widely spaced upon one side only of strong white paper of a size of approximately 33.00 centimetres by 20.50 centimetres (13 inches by 8 inches) or 29.7 centimetres by 21 centimetres (11 3/4 inches by 8 1/4 inches) with a margin of at least four centimetres (one and a half inches) on the left-hand part thereof.

10. Affidavita -

The affidavits required to be filed under these rules shall be dated and signed at the fact and shall contain a statement that the facts and matters stated therein are true to the best of the knowledge, information and belief of the person making the affidavit.

CHAPTER II

PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS PROTECTION AUTHORITY

11. Manner of Selection and Appointment of the Chairperson -

- (i) The Chairperson shall be appointed by the Central Government on the basis of a panel of names recommended by a Selection Committee comprising of the following, namely:-
 - (a) Secretary, Department of Agriculture and Co-operation, Government of India Chairman.
 - (b) Secretary, Department of Agriculture Research and Education,

 Government of India Member.
 - (c) One Expert nominated by Ministry of Agriculture, Government of India - Member.
 - (2) The Department of Agriculture and Cooperation of the Central Government shall act as the nodal department for the selection and appointment of the Chairperson.
 - (3) The Chairperson shall be of the rank of the Secretary to the Government of India and the appointment as chairperson shall either be on deputation or on contract basis.
 - (4) If the Selection Committee constituted under sub rule (1), recommends any person who is not a government servant but fulfills

qualifications given in clause (a) of sub-section (5) of section 3, such appointment may be made on contract basis.

Term of Office of the Chairperson -

The Chairperson shall hold office for a term of five years or up to the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall be eligible for reappointment:

Provided that no Chairperson shall hold office for a total period exceeding ten years, or after he has attained the age of sixty-five years, whichever is earlier.

 Salary, allowances, conditions of service, leave, pension, provident fund etc. of the Chairperson -

The Chairperson shall be entitled to such salary, allowances, leave, pension, provident fund and other perquisites as are admissible to a Secretary to the Government of India.

Resignation or removal of the Chairperson from office in certain gases -

- The Chairperson may resign from his office by giving notice in writing to the Central Government.
- (2) The Central Government shall remove the Chairperson from office if he, -
 - (a) is or at any time has been, adjudicated as an insolvent;
 - (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude;
 - (c) has become physically or mentally incapable of acting as the Chairperson;
 - (d) has failed in discharging the duties and responsibilities under the Act and the rules made thereunder;
 - (e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as the Chairperson;

- (f) has, in the opinion of the Central Government, so abused his position as to render his continuation in office detrimental to the public interest;
- (g) any other substantiated ground which is unbecoming of a public servant under the Government of India:

Provided that the chairperson shall not be removed under this sub-rule unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

15. Term and allowances of non-official members -

- Every non-official member of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of his appointment.
- (2) The Central Government shall appoint new non-official member of the Authority within six months of the expiration of the term of the nonofficial member.
- (3) A non-official member shall be entitled to sitting allowance and travelling expenses, at such rate as may be fixed by the Central Government from time to time in this regard.

16. Proceedings of the Authority -

- The Authority shall meet atleast twice in a year at the head quarters of the Authority or at such place as may be decided by the Chairperson.
- (2) The Chairperson shall, upon a written request of not less than five members of the Authority or upon a direction of the Central Government, call a special meeting of the Authority.
- (3) At least fifteen days' notice of an ordinary meeting and three days' notice of a special meeting specifying the purpose, the time and the place at which such meeting is to be held, shall be given to the members.

- (4) Every meeting shall be presided over by the Chairperson and in his absence, by a Presiding Officer to be chosen by the members present from amongst themselves.
- (5) The decision of the Authority shall be taken by a majority of the votes of the members present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson or in his absence, the member presiding over the meeting shall have a second or casting vote.
- (6) Every member shall have one vote.
- (7) The quorum for the meeting of the Authority shall be five.
- (8) No member shall be entitled to bring forward for the consideration of a meeting any matter of which he has not given ten days' notice to the Member-Secretary unless the Chairperson, in his discretion, permits him to do so.
- (9) The notice of the meeting may be given to the members by delivering the same by messenger or sending it by registered post to his last known place of residence or business or in such other manner as the Chairperson or the Member-Secretary may, in the circumstances of the case, think fit

Chairman and proceedings of the Standing Committee -

- (1) The Chairperson shall select a member of the Standing Committee appointed by him under sub-section (7) of section 3 from amongst the members of that Committee to preside over its meeting.
- (2) In the absence of the member selected under sub-rule (1), the meeting of the Standing Committee shall be presided over by the member who shall be elected by the members present at meeting from amongst themselves.

- (3) The decision in the meeting of the Standing Committee shall be taken by a majority of the members present and voting and in the event of equality of votes, the member selected under sub-rule (1) or in his absence, the member presiding over the meeting shall have a second or casting vote.
- (4) Every member shall have one vote.
- (5) The quorum for the meeting of the Standing Committee shall be three.
- (6) The convener of the Standing Committee may, in consultation with the Authority, determine the venue of its meetings any where in India; and serve notice of such meeting to all members at least fifteen days in advance.

18. Appointment of Expert Committee by the Authority -

- (1) The Authority may appoint such experts or consultants as it considers necessary to seek guidance and assistance, in technical areas demanding specialized advisory inputs, to enable the Authority for efficient discharge of its duties and functions.
- (2) The Authority may appoint such other committees as may be necessary for the efficient discharge of its duties and functions.
- (3) The Authority may, in consultation with the Central Government, fix the quantum of remuneration, payable to the experts and consultants.

19. Salary, Allowances and Conditions of service of the Registrar-General -

- (1) The Registrar-General shall be an official equivalent to the rank of the Additional Secretary to the Government of India and he shall be appointed by the Authority on deputation or transfer or on contract basis.
- (2) The Registrar-General shall be governed by the Central Government rules in respect of his salary and other allowances including pension, leave, travelling and daily allowances as are admissible to an Additional Secretary to the Government of India.

- (3) The decision in the meeting of the Standing Committee shall be taken by a majority of the members present and voting and in the event of equality of votes, the member selected under sub-rule (1) or in his absence, the member presiding over the meeting shall have a second or casting vote.
- (4) Every member shall have one vote.
- (5) The quorum for the meeting of the Standing Committee shall be three.
- (6) The convener of the Standing Committee may, in consultation with the Authority, determine the venue of its meetings any where in India; and serve notice of such meeting to all members at least fifteen days in advance.

18. Appointment of Expert Committee by the Authority -

- (1) The Authority may appoint such experts or consultants as it considers necessary to seek guidance and assistance in technical areas demanding specialized advisory inputs, to enable the Authority for efficient discharge of its duties and functions.
- (2) The Authority may appoint such other committees as may be necessary for the efficient discharge of its duties and functions.
- (3) The Authority may, in consultation with the Central Government, fix the quantum of remuneration, payable to the experts and consultants.

19. Salary, Allowances and Conditions of service of the Registrar-General -

- (1) The Registrar-General shall be an official equivalent to the rank of the Additional Secretary to the Government of India and he shall be appointed by the Authority on deputation or transfer or on contract basis.
- (2) The Registrar-General shall be governed by the Central Government rules in respect of his salary and other allowances including pension, leave, travelling and daily allowances as are admissible to an Additional Secretary to the Government of India.

- (3) The Registrar-General shall be a person having proven managerial, or legal or Intellectual Property Rights or agricultural development experience.
- (4) The term of office of the Registrar-General shall be a period of five years or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier:

Provided that no candidate who may not have at least two years tenure in the office shall be appointed as Registrar-General.

(5) A person on completion of one term as Registrar-General shall be eligible for a second term of three years or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier.

20. The method of appointment of officers and other employees of the Authority -

- The Authority may make recruitment and appointment to the posts of officers specified in the Fourth Schedule.
- (2) The Authority shall after advertising the posts in the Employment News and atleast one national daily recruit officers and other employees of the Authority by the method of direct recruitment or contract basis by selection after conducting interview.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and subject to the approval of the Central Government the Authority may also appoint such other officers and employees as may be required by it on transfer or deputation basis or on contract basis.
- (4) The salary, allowances and other conditions of service of the officers and employees of the Authority shall be the same as applicable to Central Government servants of equivalent rank.
- (5) If any question on the service conditions of any officer or employee of the Authority arises, it shall be decided by the Central Government.

21. Powers and Duties of the Chairperson -

(1) In addition to the duties specified in the Act, the Chairperson shall have powers of general superintendence and directions in the conduct and management of the affairs of the Authority, to enable the Authority in effectively discharging its duties and overseeing the compliance of the provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder.

- (2) The Chairperson shall also discharge such other duties and functions as the Authority may by general or special order in writing delegate to him or the Central Government may authorise him to discharge from time to time.
- (3) The Chairperson shall convene, preside over and conduct the meetings of the Authority and be responsible for carrying out all decisions taken by the Authority.
- (5) The Chairperson shall guide and facilitate the development of new plant varieties by protecting the rights of the breeders, researchers, farmers, and community of farmers as provided under the Act.
- (6) The Chairperson shall facilitate and act on his satisfaction for compulsory licensing of registered plant varieties and advise the Central and the State Governments on the restriction of public use of any such registered plant varieties which may invite action under sub-rule (4).

22. General functions of the Authority -

- (1) The Authority shall advice the Central Government in relation to the provisions contained in the sub-section (2) of section 29 for specifying and notifying the genera and species for the purposes of registration of new plant varieties other than extant varieties and farmers' varieties.
- (2) The Authority shall register extant varieties under clause (a) of sub-section (2) of section 8 within such period as may be determined by it with suitable test criteria to conform distinctiveness, uniformity and stability (hereinafter referred to as DUS) of such varieties.
- (3) The Authority shall develop DUS test and other test criteria and conduct such tests for characterization of each variety of crop species notified by the Central Government.

- (4) The Authority shall compile and maintain a database on all varieties of common knowledge including all registered extant and farmers' varieties and such varieties being cultivated outside India for each crop species prior to grant for registration for new varieties belonging to such species.
- (5) The Authority shall be entitled to call for and procure the details of any crop variety under use in the country for the purpose of bringing the same into its database.
- (6) Any public or private institution, community or individual involved in the production and use of seed of such varieties shall be required to provide full information on its characteristics or and a true sample of seed of such variety.
- (7) The Authority shall keep a record of the production and sale of seed of all registered varieties.
- (8) It shall be necessary for all breeders of registered varieties to supply certified figures on annual seed production and sales to the Authority within a period not exceeding three months from the completion of such reporting period.
- (9) The Authority, if required shall also be entitled to call for such figures specifically relating to any region of the country.

23. Matters to be included in the National Register of Plant Varieties -

The National Register of Plant Varieties shall contain the following particulars of each registered variety, namely: -

- (1) Registration Number;
- (2) Nationality of Breeder(s);
- (3) Denomination as granted;
- (4) Date of Grant of Registration;
- (5) Date on which application was received;
- (6) Provisional number given to the application;
- (7) Date of Gazette notification;

- (8) Grouping of the plant variety (new, extant or farmers);
- (9) Classification of the variety (typical variety, hybrid variety or essentially derived variety);
- (10) Denomination of variety, Common Crop name to which the variety belongs, Taxonomical Lineage of the Crop in Botanical names;
- (11) Key Passport data of the variety;
- (12) Essential characters making the variety distinct;
- (13) Starting date of protection;
- (14) Expiry date of protection;
- (15) Date of revocation with other details (grounds etc.);
- (16) Name and address of the applicant(s);
- (17) Address for service of document(s);
- (18) Name and address of the breeder(s) (in case breeder is not the applicant);
- (19) Name and address of the legal representative (if applicable);
- (20) Name, address and other details of the licensee and terms of license (if applicable);
- (21) Name, address and other details of the agent with jurisdictional rights, if any (if appointed);
- (22) Type of crop;
- (23) Name of the family, genus, species, variety and common name;
- (24) Name and address of the breeder of initial variety (in case of essentially derived variety);
- (25) Details of the acquisition of propagating material/ seeds (if applicable);
- (26) Details of parental material used in the development (if applicable);
- (27) Name and address of the contributor(s) of genetic material (if applicable);
- (28) Any other feature specified by the Authority or Registrar-General;
- (29) Country of origin of the plant variety;
- (30) Brief description of the variety along with characteristic details of the nearest variety including results of DUS testing, supplemented with the drawings or photographs or both;
- (31) In case of compulsory licensing, name and address of licensee with other details (terms and conditions, revocation, etc), if applicable;
- (32) Declaration and details of the renunciation to the variety (if applicable);
- (33) Details of benefit sharing;

- (34) Details of opposition, revocation, restoration, maintenance (whatever applicable);
- (35) In the case of varieties protected outside India prior to registration in the country, following additional information shall be entered in the National Register of plant varieties namely: -
 - (a) Name of the country(les) where protection is made along with the denomination of the variety in each of them,
 - (b) Date of first protection with country,
 - (c) Variation in important trait with respect to first filing,
 - (d) Country wherein the Variety was first commercialized with date,
 - (e) Any other feature specified by the Authority or Registrar-General;
- (36) In case of a convention application, the following information shall also be furnished, namely:-
 - (a) Name of the convention country
 - (b) Passport data of the convention application
 - (c) Date of application
 - (d) Date of grant of registration
 - (e) Registration number
 - (f) Denomination as accepted
 - (g) Date of Gazette notification
 - (h) Starting date of protection
 - (i) Expiry date of protection
 - (j) Whether the variety has been sold or otherwise disposed of within and outside the country, if so, details thereof
 - (37) Any changes made in any entry.

CHAPTER III REGISTRATION OF PLANT VARIETY

24. Registration of Extant Plant Varieties under sub-section (2) of section 15 -

(1) The Registrar shall register every extant variety within three years from the date of its notification under the Act, with respect to the genera and species eligible for registration subject to conformity to the criteria of distinctiveness, uniformity, and stability as laid down under the regulations:

Provided that the Registrar may, for reasons to be recorded in writing, register an extant variety after the expiry of the said period of three years.

 Application to authorize a person to register a variety under clause (e) of sub-section (1) of section 16 -

An application to authorize a person to register a variety under clause (e) of sub-section (1) of section 16 shall be made in Form PV-1, given in the First Schedule, by a person specified in sub-section (1) of that section.

26. The fee payable under clause (g) of sub-section (1) of section 18 for making application for registration of plant variety -

The fee for making application for registration of a plant variety under section 14 shall be such as specified in column (3) of the Second Schedule for the purpose.

- 27. Proof of the right of making application under sub-section (3) of section 18 -
 - (1) Where an application for registration is made by the successor or assignee of the breeder under sub-section (3) of section 18, he shall furnish documentary proof, at the time of making such application or within six months of making such an application, as to the right to make such an application for registration.
 - (2) The documentary proof, in case of an assignment, shall be furnished in the manner specified in Form PV - 2, given in the First Schedule and in case of succession, or a succession certificate or any other document in support of succession proving the applicant to be the successor shall be furnished.

28. Fee for conducting tests under section 19 -

The applicant shall deposit the requisite fee for the purpose as specified in column (3) of the Second Schedule, with the Registrar for conducting the required tests under section 19.

29. Manner and method for conducting tests under section 19 -

- (1) (a) The Authority shall charge separate fees for conducting DUS test and special test on each variety.
 - (b) The special fests shall be conducted only when DUS testing fails to establish the requirement of distinctiveness.
 - (c) The DUS testing shall be field and multi-location based for at least two crop seasons and special tests be laboratory based.
 - (d) The fee for DUS and special tests shall be such as provided in column (3) of the Second Schedule for the purpose.
- (2) If the Registrar, after initial scrutiny of the application for registration, is satisfied that the application is in order, he shall notify the applicant to deposit the requisite fee, as specified in column (3) of the Second Schedule, within a period of two months for conducting the DUS test.
- (3) On receipt of the fee, demanded under sub-rule (1), the Registrar shall consider the application for further processing.
- (4) The DUS test shall be necessary for all new varieties except essentially derived variety.
- (5) The manner of testing essentially derived varieties shall be decided by the Authority on a case-to-case basis.
- (6) The DUS test shall be conducted on a minimum of two locations.

- (7) The Authority may recognize and empanel institutions having adequate facilities for conducting DUS or special tests in the country for conducting such tests.
- (8) The Authority shall notify the adopted methods of conducting the DUS and special tests.
- (9) The Authority shall develop and publish in its journal guidelines for the DUS test for each crop.
- (10) The samples of seeds or propagules in respect of which an application for registration has been made and parental lines under registration submitted for the DUS and special tests and deposited at the National Gene Bank shall present the maintainable standards of genetic purity, and uniformity and germination, sanitary and phytosanitary standards.

Advertising of application for registration under section 21 -

- Every application for registration of a variety which has been accepted and the
 details thereof including specifications shall, upon such acceptance under subsection (1) of section 20, be advertised by the Registrar in the manner specified
 in Form 0-1 of the Third Schedule.
- (2) In every such advertisement under sub-rule (1), the Registrar shall mention the place or places where a specimen of the variety may be inspected.
- (3) The contents of such advertisement shall include -
 - (a) name, passport data and source of parental line or initial variety used to develop the variety in respect of which an application for registration has been made;
 - (b) description of the variety bringing out its character profile as specified under the DUS test Schedule;
 - (c) essential characteristics conferring distinctiveness to the variety;
 - (d) important agronomic and commercial attributes of the variety;

- (e) photographs or drawings, if any, of the variety submitted by the applicant;and
- (f) claim, if any, on the variety.

31. Notice of opposition under sub-section (2) of section 21 -

- (1) Any interested person, may within three months from the date of advertisement of an application for registration, may give a notice of opposition to the registration of a plant variety in Form PV-3 of the First Schedule.
 - (2) The fee payable for filing an opposition referred to in sub-rule (1) shall be as specified in column (3) of the Second Schedule:

Provided that no such fee shall be payable in respect of an opposition made by a farmer or group of farmers, or village community.

- (3) A copy each of the notice of opposition received against a specific application shall be referred to the applicant by the Registrar within three months from the last date of filing of opposition.
- (4) An applicant shall be entitled to submit point-wise counter statement to the opposition not later than two months from the date of service of the copy of the notice of opposition, failing which the Registrar shall decide the merits of the opposition and notify his decision by giving reasons therefor.
- (5) Every counter-statement under sub-rule (4) shall be in Form PV-4 of the First Schedule.
- (6) The copies of counter to opposition submitted by the applicant within the time specified in sub-rule(4), shall be conveyed to the person opposing the application, within a period of thirty days of its receipt, requiring the opposing person to submit the final opposition within a period of thirty days from the date of service of the counter from the applicant.

- (7) The Registrar, may at his discretion, allow any correction of error or amendments in the notice of opposition or counter statement if such alteration is requested by the persons concerned in writing.
- (8) (a) The security referred to in sub-section (8) of section 21 shall be payable as an amount decided by the Authority.
 - (b) In case the opposition is found to be frivolous, the Registrar may direct payment of cost as determined by him to the applicant from out of the security amount received and the balance of the security amount shall be deposited in the Authority.
 - (c) In case the opposition succeeds, the security amount shall be refunded to the opposition party.

32. Compliance with Time Schedule -

- (1) The time schedule provided for advertisement, opposition, defence, hearing and amendment of specification under these rules shall not be extended and failure in compliance with these time schedules shall forfeit the opportunity granted.
- Manner of submitting evidence and time limit for filing notice of opposition, counter-statement or producing evidences under section 21 -
 - (1) Any evidence, upon which the opponent may rely, shall be submitted in duplicate to the Registrar with a copy to the applicant within one month from the receipt of counter-statement of the applicant.
 - (2) Any evidence upon which the applicant may rely shall be submitted in duplicate to the Registrar with a copy to the opponent within thirty days from the date of receipt of opponent's evidence.
 - (3) No further evidence shall be submitted by either party except by leave or directions of the Registrar.
 - (4) The copies of all the documents, except plant variety application, referred to in the notice of opposition or in any counter-statement filed in

connection with the opposition shall be in triplicate unless the Registrar directs otherwise.

- (5) Where a document, is in a language other than English, and is referred to or relied upon in the notice, statement or evidence, an attested translation in English thereof shall be furnished in triplicate.
- (6) The time-limit for filing the evidence shall not ordinarily be extended except by a special order of the Registrar given on an application filed by the person seeking extension of time and on payment of the fee specified in the Second Schedule and such an application for extension shall be in Form-PV 5 of the First Schedule.
- Application for the registration of essentially derived variety under section 23 -
 - The application for registration of an essentially derived variety shall be accompanied by the following documents, namely:
 - (a) an affidavit sworn by the applicant stating that such a variety does not contain any gene or gene sequence involving terminator technology;
 - (b) a statement giving details of the brief description of the characteristics of the variety to substantiate novelty, distinctiveness, uniformity and stability;
 and
 - (c) the details of parental material used.
 - (2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the fee as specified for the purpose in column (3) of the Second Schedule.

35. Manner and method for conducting test under section 23 -

The tests referred to in sub-section (3) of section 23 shall be conducted by the Authority in consultation with the Central Government.

36. Certificate of registration under section 23 -

The Registrar shall issue to the applicant a certificate of registration of an essentially derived variety in the manner specified in Form O-2 of the Third Schedule and send a copy of the registration to the Authority and to such other body (ics) as may be notified by the Central Government for information.

CHAPTER IV

REGISTRATION AND BENEFIT SHARING

37. Certificate of registration under section 24 -

- (1) The certificate of registration of a plant variety, other than an essentially derived variety, under sub-section (2) of section 24 shall be in Form O-2 of the Third Schedule.
- (2) The Registrar shall issue the certificate of registration under sub-section (2) of section 24 within three years of the date of filing of application subject to the fulfillment of all other requirements.
- (3) A copy of the certificate of registration issued under sub-section (2) of section 24 shall be sent to the Authority; and to such other body or agency, which the Central Government may, by notification in the official gazette specify.

38. Notice to the applicant under section 24 -

(1) If, within a period of twelve months, the application for registration of a plant variety other than an essentially derived variety is not completed in the circumstances given in sub-section (3) of section 24, the Registrar shall issue thirty days notice to the applicant at the address of his principal place of business in India, or if, he has no principal place of business in India, at the address for service in India stated in the application, but if the applicant has authorized an agent for the purpose of the application, the notice shall be sent to the agent and a duplicate thereof to the applicant for filing of the application or such further time as the Registrar may allow for completion of registration.

(2) The notice under sub-rule (1) shall be in Form O-3 of the Third Schedule.

39. Renewal and revision of registration under section 24 -

- (1) (a) On receipt of an application from the applicant, the Authority may review and renew the initial duration of registration as mentioned in subsection (6) of section 24.
 - (b) Every application for review and renewal under sub-rule (1) shall be made in Form PV-6 of the First Schedule and filed during twelve to eighteen months prior to the expiry of the initial period of registration.
 - (c) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with the fee payable for the remaining years under the initial period of registration, at the rate fixed for the year preceding the year of application, along with arrears, if any.
- (2) (a) The renewal of registration may be applied for either for the remaining period of total aggregate duration of validity of the registration or for any period within such remaining period.
 - (b) In case, the applicant prefers for a period less than the total aggregate duration, no application shall be entertained for the further renewal of registration.
- (3) (a) The fee payable for such extended period of registration beyond nine years in the case of trees and vines and six years in the case of other crop varieties, as the case may be, shall be based on average annual fee levied during the last two years of the said initial period of registration.
 - (b) The annual fee shall be uniform for the extended period of the registration and be payable in advance in single instalment.

- (4) The Authority shall within such intervals as it thinks appropriate publish a list of varieties registered as well as renewed under the Act with the particulars of the period of registration, name and address of right holders periodically in its journal and in the Official Gazette.
- 40. Publication of contents of the certificate inviting claims for benefit sharing under section 26 -

Upon the issuance of the registration certificate under sub-section (8) of section 23, or sub-section (2) of section 24, the Authority shall, for the purpose of inviting claims for benefit sharing under the Act, shall advertise the following details of the registration certificate, namely -

- (a) the registration number along with the date of grant,
- (b) the name and address of the applicant or breeder in whose name the certificate has been issued or registered,
- (c) denomination of the variety,
- (d) name of the family, genus, species, variety and common name,
- (e) parentage and geographical location of the variety,
- (f) the details of the distinguishing features or the characteristics,
- (g) in case of 'essentially derived variety', the details of the 'initial variety' from which the 'essentially derived variety' is claimed to have been derived.
- (h) the name and address of the contributor, nature and amount of the contribution or the community knowledge used in the development of the plant variety.
- the terms and conditions of the agreement, if any, entered into between the breeder and the contributor.
- (j) if the variety is sold or otherwise disposed of, details thereof.

41. Benefit sharing claim under section 26 -

Upon the publication of the particulars of a certificate under sub-section
 of section 26, a person or group of persons or firm or a non-governmental organization can make a claim under sub-section (2) of that section for benefit sharing in Form PV-7 of the First Schedule within a period of six months from the date of such publication.

Provided that in special circumstances, the Authority may extend the time limit beyond the period of six months.

- (2) The person or persons or firm or the non-governmental organization, who has made an application for benefit sharing, shall provide the following information, namely:
 - (a) the contribution made by the person or the group of persons or firm or community or the non-governmental organisations to the genetic development of the plant variety;
 - (b) the capacity in which the person or the group of persons or the nongovernmental organisation is making the claim for benefit sharing;
 - (c) in case of "essentially derived varieties", the terms and conditions in which authorisation has been given;
 - (d) the commercial viability or the actual market performance of the variety so registered.
- (3) An applicant for benefit sharing shall pay the fee as specified for the purpose, in column (3) of the Second Schedule.

42. Opposition to a claim for benefit sharing under section 26 -

(1) On receipt of a copy of the claim for benefit sharing, the registered breeder of the plant variety may accept the claim and accordingly intimate the same to the Authority within a period of three months from the date of such receipt...

- (2) In the eventuality of the plant breeder failing or defaulting to tender the intimation under sub-rule(1) within the period of three months, referred to in sub-rule(1) it shall be presumed that he has no opposition to such claim and the claim shall be decided accordingly.
- (3) If, within a period of three months of receipt of notice of claim, the breeder of the plant variety files his opposition to the claim for benefit sharing, such an opposition shall be taken into consideration while disposing or deciding the claim for benefit sharing.
- (4) Every notice of opposition, under sub-rule(3) shall be in Form PV-8 of the First Schedule.
- (5) The Authority, upon receiving the reply from the registered breeder, shall furnish a copy of such reply to the claimant for benefit sharing.
- (6) The registered breeder or the claimant to benefit sharing shall furnish supporting document and other evidence, which shall be duly considered by the Authority while disposing of any claim for benefit sharing.

43. Determination of benefit sharing under section 26 -

The Authority shall, by order, determine the amount of benefit sharing to a variety according to clauses (a) and (b) of sub-section (5) of section 26 and taking into account the following criteria, namely -

- (a) the contribution of the claimant in selecting, conserving and providing the genetic material,
- (b) the contribution of such genetic material in providing one or more traits which conferred high commercial value to the variety, and
- (c) the contribution of such genetic material to impart high combining ability to the parents of the hybrid variety relating to benefit sharing.

44. Reference for recovering benefit sharing under section 26 -

In case of default or failure on the part of the breeder of the variety to deposit the amount of benefit sharing in the Gene Fund, as per the order of the Authority of section 26, required under sub-section(6) within a period of three months from the date of such order, the Registrar shall make a reference to the District Magistrate under sub-section (7) of that section 26 in Form O-4 of the Third Schedule.

45. Application for registration of title of agent or licensee under section 28 -

- An application under sub-section (4) of section 28 for registration as an agent or licensee, as the case may be, shall be made in Form PV-9 of the First Schedule.
- (2) The application for title by a licensee or an agent shall be accompanied by three attested copies of the agreement or instrument of entitlement or any other documentary evidence.
- (3) The proposed agent or licensee may also be required to produce such other documents and information as may be required by the Registrar in support of the proof of title.
- (4) The applicant under sub-section (4) of section 28 shall pay the fee as specified for the purpose in column (3) of the Second Schedule.

46. Reference of disputes of entitlement under section 28 -

(1) While referring a dispute under sub-section (4) of section 28 to the Authority for determination the Registrar shall furnish all the relevant information related to dispute with three copies of all the documents and evidence available with his office. (2) On receipt of an order of the Authority in respect of the dispute, the Registrar shall furnish copies of the order to the persons involved for necessary compliance.

47. Certificate of registration of entitlement under section 28 -

The certificate of registration to be issued to a registered licensee or an agent by the Registrar under sub-section (4) of section 28 shall be in Form O-5 of the Third Schedule.

- 48. Application and procedure for varying or cancelling terms of registration under section 28 -
 - (1) An application under clauses (a), (b), (c), (d), or (e) of sub-section (9) of section 28 for variation or cancellation of the terms of registration of a registered breeder or his successor or any other person shall be in Form PV-10 of the First Schedule.
 - (2) Every applications under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee as specified for the purpose in column (3) of the Second Schedule.

49. Notice and proceedings under section 28 -

- The Registrar shall issue notice of every application under sub-section (10)
 of section 28 in Form O- 6 of the Third Schedule to the registered
 breeder or the agent or the licensee.
- (2) Any person to whom a notice has been issued under sub-rule (1) and who intends to oppose or intervene in any proceedings under section 28, shall, within three months of the receipt of such notice, give notice of opposition or intervention to the Registrar in Form PV-11 of the First Schedule.
- (3) On receipt of a notice of opposition or intervention the Registrar shall furnish a copy of it to the applicant.

(4) The Registrar may accept or refuse the application or accept it subject to any condition, modification or limitation as directed by the Authority and shall inform the parties in writing accordingly.

CHAPTER V

SURRENDER AND REVOCATION OF CERTIFICATE OF REGISTRATION AND RECTIFICATION AND CORRECTION OF REGISTER

50. Surrender of certificate of registration under section 33 -

The registered breeder may at any time, by giving notice to the Registrar offer to surrender his certificate of registration of plant variety in Form PV-12 of the First Schedule, under sub-section (1) of section 33.

- 51. Procedure on application for surrender of certificate of registration under section 33 -
 - (1) The Registrar shall give notice in Form O-7 of the Third Schedule, every notice of offer made under rule 50 to the registered agent or the licensee relating to such certificate.
 - (2) (a) Any person who has been given a notice of surrender of certificate of registration under sub-rule (1), who intends to oppose the surrender, shall within three month of the receipt of such notice, give notice of opposition to the Registrar in Form PV-13 of the First Schedule, and shall send therewith a written statement setting out the nature of the opponents' interest, the facts relied upon along with the notice of opposition.
 - (b) The Registrar shall thereupon serve the notice of opposition along with the written statement received by him to the applicant.

- (3) If the approant desires to contest the opposition, he shall file or leave at the appropriate office a reply statement setting out fully the grounds upon which the opposition is contested, within a period of three month from the date of receipt of the copy of the written statement by him under sub-rule (2) and deliver to the opponent a copy thereof.
- (4) The applicant or any person to whom a notice under sub-rule (1) has been issued may, make an application to the Registrar in Form PV-14 of the First Schedule, for seeking an opportunity of being heard.
- (5) On receipt of an application, under sub-rule(4), the Registrar may fix the time and place of hearing and issue notice to the parties accordingly and the interested parties may appear and give or file evidence in support of their case.
- (6) The Registrar may accept or refuse the application or accept it subject to any condition, amendments, modifications or limitations and shall, accordingly, inform the parties in writing.
- (7) If the Registrar accepts the registered breeder's offer of surrender of the plant variety, he shall by order direct the registered breeder to return the certificate of registration and on receipt of such certificate, the Registrar shall, by order, notify the surrender in the Official Gazette.

52. Application for revocation of protection granted to a breeder under section 34 -

Any person may make an application to the Authority in Form PV-15 of the First Schedule, for revocation of protection granted to a breeder in respect of a variety on any of the grounds laid down under clauses (a) to (h) of section 34.

53. Procedure on application for revocation under rule 52 -

 The Authority shall issue notice in Form O-8 of the Third Schedule, to the registered breeder of any application received by it under rule 52.

- (2) (a) In case the registered breeder intends to oppose the application for revocation of protection, he shall, within three months from the date of receipt of such notice, give notice of opposition to the Authority in Form PV-16 of the First Schedule, and shall send therewith a written statement, setting out the facts upon which he bases his case and the relief sought.
 - (b) The Registrar shall serve the notice of opposition along with the written statement received by him to the applicant.
- (3) If the applicant desires to contest the opposition, he shall file or leave at the appropriate office, a reply setting out the grounds upon which the opposition is contested, within a period of three months from the date of receipt of the copy of the written statement by him under sub-rule (2) and deliver to the opponent a copy thereof.
- (4) (a) The applicant and the registered breeder may make an application to the Registrar in Form PV-17 of the First Schedule, seeking an opportunity of being heard.
 - (b) The Registrar may, on reactip of such amplication, fix such time and place for hearing and issue notice to the parties accordingly and the interested parties may appear and pive or file evidence in support of his case.
 - (c) The Registrar may, accept or refuse the application or accept it subject to any condition, amendments, modifications or limitations and shall accordingly inform the parties in writing.
- (5) If the Authority accepts the application for revocation of the plant variety, it may direct, by order, the registered breeder to return the certificate of registration and on receipt of such a certificate, the Registrar shall by order notify the revocation of the plant variety in the Official Gazette.

54. Payment of annual fee for retention of registration under section 35 -

The registered breeder, agent and licensee shall pay an annual fee for retention of registration at such rate as specified for the purpose in column (3) of the Second Schedule.

Application for cancellation or change of certificate of registration under section 36 -

- Any person may make an application for changing the certificate of registration on the grounds laid down under sub-section (1) of section 36 to the Registrar.
- (2) Every application under sub-rule (1) shall be made in Form PV-18 of the First Schedule and shall be accompanied by a statement of the grounds on which it is made.

56. Procedure on application for cancellation or change of certificate of registration under section 36 -

The Registrar may accept or refuse the application or accept it subject to any condition, amendment, modification or limitation as he may think fit to impose and shall inform the concerned parties in writing accordingly:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity to make a representation against such rejection.

Application to rectify the register under section 36 -

Any person may make an application to the Registrar, in Form PV-19 of the First Schedule, stating the grounds on which it is made, for making, expunging or varying the entry on the grounds laid down under sub-section (2) of section 36.

Procedure on application to rectify the Register under rule 57 -

The Registrar may accept or refuse the application for making, expunging or varying the entry or accept it subject to any condition, amendment, modification or limitation as he may think fit to impose and shall inform the concerned parties in writing accordingly:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given rejection.

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given rejection.

- Cancellation or change of registration or rectification of the Register by the Registrar under section 36 -
 - (1) The Registrar while exercising the powers under sub-section (4) of section 36 to cancel the registration, may make changes to the registration, or in case of rectification of the register, shall give notice in Form O-9 of the Third Schedule to the registered breeder, agent or licensee, if any, and to any other person who appears to the Registrar to have any interest in the plant variety, and shall state the grounds on which the Registrar intends to take any action.
 - (2) If any person who has been given a notice under sub-rule (1) intends to oppose the action of the Registrar, he shall within three month from the date of the receipt of such notice, give the notice of opposition to the Registrar in Form PV-20 of the First Schedule, and shall send therewith a written statement setting out the facts upon which he bases his case and the relief sought for.
 - (3) The Registrar after hearing the person to whom a notice under sub-rule (1) has been given may pass such order as he may think fit and shall, accordingly, inform the parties in writing.
 - 60. Application for correction of Register by the registered breeder under section 37 -

An application for correction of the Register may be made by the registered breeder of the plant variety to the Registrar under sub-section (1) of section 37 in Form PV-21 of the First Schedule, for making any change as laid down in clauses (a) to (c) of sub-section (1) of that section.

61. Procedure on application for correction of the Register under rule 60 -

The Registrar may accept or refuse the application made under rule 60 for correction of register or accept it subject to any condition, amendments, modifications or limitations as he may think fit and shall, accordingly, inform the parties in writing.

62. Application for correction of the Register by the registered agent or licensee under section 37 -

An application for correction of the Register may also be made by the registered agent or the licensee to the Registrar under sub-section (2) of section 37 in Form PV-22 of the First Schedule on the grounds laid down in sub-section (2) of that section.

63. Procedure on application for correction of the Register under rule 62 -

- The Registrar shall issue notice of every application under rule 62 in Form O -10 of the Third Schedule, to the registered breeder.
- (2) The Registrar may accept or refuse the application or accept it subject to any condition, amendment, modification or limitation he may think fit and shall, accordingly, inform the parties in writing, provided that tests referred to in sub-section (3) of section 23 shall be conducted by the Authority in consultation with the Central Government:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given reasonable opportunity to make a representation against such rejection.

64. Alteration of denomination of a registered variety under section 38 -

(1) An application, to delete any part or to sald or to alter the denomination of a registered variety, under sub-section (1) of section 38, shall be made by the breeder to the Registrar in Form PV-23 of the First Schoduk

- (2) The Registrar may determine whether and subject to what conditions, if any, the amendments shall be allowed.
- (3) (a) The Registrar shall advertise the application for alteration in denomination in the Gazette or : journal or a daily newspaper and shall also advertise the nature of the proposed alteration is the denomination therea.
 - (b) The Registrar shall issue notice to all the persons, who, in his opinion, may have an interest in the matter.

65. Procedure on application for alteration of denomination under rule 64 -

- (1) Any interested person may, within three months from the date of advertisement of an application for alteration in denomination of a registered variety, under sub-section (2) of section 38, give a notice of opposition to the proposed change in denomination of a registered variety in Form PV -24 of the First Schedule.
- (2) The Registrar shall serve a notice to the breeder about the opposition received for the proposed change in denomination and shall give an opportunity to both the parties of being heard, if so desired, before deciding the matter.
- (3) In the event of leave being granted for alteration of denomination, the denomination as so altered shall be advertised in Gazette or a journal or a daily newspaper in Form O-11 of the Third Schedule.

CHAPTER VI

FARMERS' RIGHTS

66. Claim for compensation under section 39.

- (1) Any farmer, group of farmers or the organisation of the farmers may make an application, under sub-section (2) of section 39, to the Authority to claim compensation.
- (2) Every application under sub-rule (1) shall be in Form PV-25 of the First Schedule.

67. Procedure on application for claim for compensation under rule 66 -

- The Authority shall give notice to the registered breeder about the compensation claim received in respect of the registered variety.
- (2) After receiving a notice from the Authority under sub-rule (1), the registered breeder may, within three months from the date of receipt of such notice, file notice of opposition in Form PV-26 of the First Schedule.
- (3) In the eventuality of the breeder failing or defaulting to tender his opposition, within a period of three months, from the date of receipt of the notice for compensation, it shall be presumed that he has no opposition to such claim and accordingly such claim shall be decided.
- (4) The Authority shall, upon receiving opposition from the breeder give opportunity to both the parties of being heard and may direct the breeder to pay such compensation to the farmer, the group of farmers or the organisation of the farmers, as the case may be as it deems fit.

68. Issue of notice under section 41 -

- (1) On receiving the report from the centre notified under sub-section (1) of section 41, in respect of claims filed by a person or group of persons or governmental or non-governmental organisation, for compensation to the people of any village or local community for their contribution in the development of new variety, and if satisfied, the Authority may issue notice to the registered breeder or his assignee or registered agent in Form O-12 of the Third Schedule.
- (2) Upon receiving the notice from the Authority, the registered breeder or his assignee or registered agent may file objection to the claim for compensation within three months in Form PV-27 of the First Schedule.
- (3) The Authority, upon receiving objection from the registered breeder or his assignee or registered agent, shall give opportunity of being heard to both the parties and after deciding on the eligibility for and quantum of compensation shall, direct, the breeder to pay compensation to the person, the group of persons or governmental or non-governmental organisation which has made the claim under sub-section (1) of section 41 and deposit the requisite funds within a period of two months with the Gene Fund.

69. Manner of receiving benefit sharing under section 45 -

The breeder of a variety or essentially derived variety shall deposit the amount of benefit sharing, as required under sub-section (6) of section 26, with the Gene Fund.

Manner of applying the Gene Fund under section 45: -

(1) The Authority shall pay the amount of benefit sharing, compensation required for use of genetic material towards evolution of new and essentially derived variety, to meet expenditure incurred for conservation and sustainable use of genetic resources and for the framing of schemes related to benefit sharing.

- (2) The Gene Fund shall be applied for meeting the following purposes in accordance with the priority made hereunder:-
 - (a) to support and reward farmers, community of farmers, particularly the tribal and rural communities engaged in conservation, improvement and preservation of genetic resources of economic plants and their wild relatives, particularly in areas identified as agro-biodiversity hot spots;
 - (b) for capacity building on ex situ conservation at the level of the local body, particularly in regions identified as agro-biodiversity hot spots and for supporting in-situ conservation;
 - (c) on benefit sharing and compensation in accordance with sub-section (5) of section 26 and sub-section (3) of section 41; and
 - (d) on transaction cost of administering the Gene Fund.

CHAPTER VII

COMPULSORY LICENSE

71. Compulsory licensing under section 47 -

- (1) Any interested person may, after the expiry of three years from the date of issuance of a certificate of registration of a variety make an application to the Authority, in the Com PV-28 of the First Schedule along with the fee specified under the Second Schedule under sub-section (1) of section 47 for grant of compulsory license.
- (2) The application for compulsory license under sub-section (1) shall -
 - (a) specifies particulars of variety denomination, generic and specific name of the variety or varieties concerned,
 - (b) contain the grounds for issue of compulsory license with supporting documents, and
 - (c) be supported by -
 - i) qualification, technical and financial capabilities of the person making such request with evidence.
 - ii) particulars of the holder of the right to the variety,

- iii) written evidence that the person, making such request, has exhausted an measures for voluntary license.
- (3) If after considering the application under sub-rule (1), the Authority is satisfied that a prima facie case has not been made for grant of compulsory license, it shall notify the applicant accordingly.
- (4) On receipt of an application for grant of compulsory license under subrule(1), the Authority shall serve notice to the breeder of such variety or his assignce or registered agent inviting his opposition within one month from the receipt of such notice.
- (5) On receiving a notice under sub-rule(4), the registered breeder or his assignee or registered agent may give notice of opposition in Form PV-29 of the First Schedule, which shall be supported by documentary proof to substantiate the ground or grounds of opposition.
- (6) If after giving an opportunity to both the parties of being heard, the Authority is satisfied that there is a need for the grant of compulsory license, he may order the breeder or his assignee or registered agent to license the variety on such terms of royalties and other remuneration as it may deem fit.

72. Manner of making material available under section 50 - .

The Authority shall make available to the licensee of such compulsory license, the reproductive material of the licensed variety from the Gene Bank or any other centre, including the initial breeder of such variety.

73. Revocation of compulsory license under section 52 -

i (a) Any person in respect of compulsory license aggrieved may, under subsection (1) of section 52, make an application in Form PV-30 of the First Schedule to the Authority, for revocation of compulsory license on any of the grounds specified in sub-section (1) of section 47 or section 52.

- (b) The application under sub-rule(1), shall be supported by evidence.
- The Authority on its own motion or on receipt of the application from the aggrieved person under sub-rule(1), may give notice to the licensee.
- 3 The licensee may file an opposition to an application under sub-rules (!) or a proceeding under sub-rule(2), in Form PV-31 of First Schedule with the Authority,
- 4. The Authority shall after considering the opposition filed under subrule (3) and after giving an opportunity to the licensee of being heard passing an order of revocation or refuse to grant such order.

CHAPTER VIII FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

74. Financial and administrative powers of the Chairperson under section 63 -

- (1) The Chairperson shall exercise such financial and administrative powers over the functions of the Authority as are exercisable by a Head of Department under the General Financial Rules in accordance with the accounts and financial rules of the Government of India.
- (2) The Chairperson may, delegate such financial and administrative powers in writing as he may deem fit, to a member or any subordinate officer of the Authority not below the rank of a Registrar or equivalent subject to the condition that the member or officer so authorised shall, write exercise such delegated powers continue to be under the direction, control and supervision of the Chairperson.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

- 75. Manner of authorising registered agent or registered licensee under section 81
 - (1) A breeder of a variety or it's propagating material or essentially derived variety or it's propagating material registered under the Act, may make an application under section 81, in Form PV-32 of the First Schedule, for authorising the registered agent or registered licensee or his assignee to institute appropriate proceedings in any court of law on his behalf.
 - (2) Where any authorization has been made under sub-rule (1), the service upon the agent of any document relating to any proceeding or matter under the Act or these rules shall be presumed to be a service upon the person so authorizing him; and all communications directed to be made to a person in respect of any proceeding or matter may be addressed to such agent, and all appearances before the Authority relating thereto may be made by or through such agent.
 - (3) Notwithstanding any thing contained in sub-rules (1) and (2), the Authority may, if it considers necessary, require the signature or presence of an applicant, opponent or party to such proceeding or matter.

76. Manner of issuing certified copy under section 84 -

Any interested person may, under section 84, make an application in Form PV-33 of the First Schedule, along with fee specified in the Second Schedule, to the Authority or Registrar for obtaining certified copies of any entry in the Register, certificates or extracts of plant variety application or other records maintained by the Authority and any document required in any proceedings under this Act and pending before such Authority or Registrar; and he may make a request in similar manner and for similar purpose to inspect such entry or document.

First Schedule {See rule 3(1)}

Forms

Form number (1)	Sections And Rules (2)	Title (3)	
P V 1	Section 16(1) (e) and Rule 25	Application for authorization	
PV 2	Section 18(3) and Rule?7 (2)	Proof of Right to file Application	
PV 3	Section 21(2) and Rule 31	Notice of Opposition	
PV 4	Section 21(4) and Rule 31(5)	Counter-Statement	
PV 5	Section 21 and Rule 33(4)	Request for Extension of Time	
PV 6	Section 24(6) and Rule 39	Renewal of Registration	
PV 7	Section 26(2) and Rule 41	Benefit Sharing Application	
. PV 8	Section 26(3) and Rule 42	Notice of Opposition	
PV 9	Section 28(4) and Rule 45	Registration as an Agent or Licensee	
PV 10	Section 28(9) and Rule 48	Application for Variation/Cancellation of the term of Registration	
PV 11	Section 28 (10) and Rule 49	Notice of Opposition against variation/ cancellation of the term of Registration	
PV 12	Section 33(1) and Rule 50	Application to Surrender the Certificate of Registration of a Plant Variety	

(1)	(2)	(3)	
PV 13	Section 33(3) and Rule51 (2)	Notice of Opposition for offer to surrender the Certificate	
PV 14	Section 33(4) and Rule 51(4)	Notice of Intention to attend Hearing	
PV15	Section 34 and Rula 52	Application to Revoke Certificate of Registration	
PV16	Section 34 and Rule 53	Notice of Opposition to application to Revoke Certificate of Registration	
PV 17	Section 34 and Rule 53(4)	Application for an opportunity of being heard	
PV 18	Section 36(1) and Rule 55	Application for Cancellation or Change of the Certificate of Registration of a Plant Variety	
PV 19	Section 36(2) and Rule 57	Application for correction in National Plant Variety Register	
PV 20	Section 36(4) and Rule 59	Notice of Opposition for Application for correction in National Plant Variety Register	
PV 21	Section 37(1) and Rule 60	Application for correction in National Plant Variety Register by Cwner/ Breeder	
PV 22	Section 37 (2) and Rule 62	Application for correction in National Plant Variety Register by Registered Agent or Licensee	
PV 23	Section 38(1) and Rule 64	Application to alter Denomination of a Registered Plant Variety	

(1)	(2)	(3)	
PV 24	Section 38(2) and Rule 65	Notice of Opposition to Application to Alter Denomination of a Registered Plant Variety	
PV 25	Section 39(2) and Rule 66	Application for Claiming Compensation	
¥°∀26	Section 39(2) and Rule 67(2)	Notice of Opposition to Application for Claiming Compensation	
£'∀27	Section 41(3) and Rule 68	Notice of opposition to application for claiming compensation	
₽∀ 28	Section 47(1) and Rule 71(1)	Application for grant of compulsory license	
PV 29	Section 47(3) and Rule 71(5)	Notice of Opposition to an Application for Grant of Compulsory License	
y W 30	Section 52(1) and Rule 73(1)	Application for Revocation o Compulsory License	
F∀ 31	Section 53 and Rule 73(3)	Notice of Opposition for Application for Revocation of Compulsory License	
VV 32	Section 81 and Rule 75(1)	Form of Authorization to Institute Suit.	
P7/31	Section 84 & Rule 76	Request for Certified Copy	

Second Schedule (see rule 8) FEE

Serial number (1)	Fees payable on matters (2)	Amount of fee (3)	Form number (4)
1.	Conducting Tests	Dependent on the nature and type of test subject to a maximum of Rs. 50,000/- per entry	-
2.	Notice of Opposition	Rs 1500/-	PV 3
3.	Extension of Time	Rs. 1500 per month	PV5
4.	Fees for Registration of Essentially Derived Varieties	Individual-5000 Educational-7000 Commercial-10000	
5.	Renewal Fee	Individual-5000 Educational-7000 Commercial-10000 Per year	PV 6
6.	Application for Benefit Sharing	Rs 5000	PV 7
7.	Application for Registering as Agent /Licensee	Rs 10000	PV 9
8.	Application for variation/ cancellation of the terms of Registration	Individual-3000 Educational-5000 Commercial-7000	PV10
9.	Notice of Opposition to Application for variation/cancellation of terms of Registration	Rs.1500/-	PV 11

Third Schedule {See rule 2(c)}

Forms To Be Used By Registrar And The Central Government

Form number	Sections and Rules	Title	
0-1	Section 21(1) and Rule 30	Form of advertisement	
0-2	Section 23 (8) and 24(2) and Rule 36, 37	Certificate of registration	
O-3	Section 24(3) and Rule 38	Notice for non completion of registration	
0-4	Section 26(7) and Rule 44	Reference to District Magistrate for collection of benefit sharing amount	
O- 5	Section 28 (4) and Rule 47	Certificate of registration as agent/	
0-6	Section 28(10) and Rule 49	Notice to breeder/agent/ licensee	
0-7	Section 33(2) and Rule 51	To notify offer made for surrender of registered variety	
O-8	Section 34 and Rule 53	Notice of application for revocation of registered variety	
0.9	Section 36(4) and Rule 59	Change in National Register	
O-10	Section 37(2) and Rule 63	Correction in National register	
0-11	Section 38(2) and Rule 65(3)	Advertisement of Alteration in Denomination	
0-12	Section 43(1) and Kele 68	Notice for change in Denomination	

Fourth Schedule {See rule 20(1)}

SL No (1)	Name of post (2)	Number of posts	Equivalent Post under the Central Government (4)	Scale of pay (5)	Qualifications and experience (6)
i	Financiál Advisor	1	Director	14,300 – 18,300	A Degree from a recognized University or equivalent at least eight years experience in financial/Accounts management.
2	Legal Advisor	2	Deputy Secretary	10,000 – 15,200	An Advocate at least eight years practice as such and having special knowledge in Intellectual Properties, Management and Transactions.
3	Senior Accounts Officer		Under Secretary	10,000 - 15,200	A Degree in Commerce from a recognized University or equivalent with at least eight years experience as an Accounts Officer.
4	Accounts Officer	1	Assistant Director	8000- 13,500	A Degree in Commerce or Economics as one of the subject at Degree level from a recognized University with at least six years experience on accounts related matters.
5	Technical Assistant	6	Technical Assistant	5,500- 9,000	A Degree in Agricultural Science or allied field like botany or biotechnology with at least 4 year experience in plant varietal improvements and seed development activities.
6	Computer Assistant	5		5,500- 9,000	A Degree from a recognized University in Computer Applications and at least one year experience in Data Base Management.

FORM - PV-1 {See rule 25}

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

AUTHORIZATION FORM

L' We 1	•
hereby authorise ²	
	<u> </u>
	connection with filing of new variety/ essential derived
	equisitions and communication relating thereto may be sent address(es) unless otherwise specified.
I/We hereby revoke all previous proceeding	ous authorization, if any made, in respect of same matter or
	Dated this day of/200
	gnature(s) & name of person(s) making this authorisation
ro.	ong with the designation and/or official seal, if any.
The Registrar The Plant Varietics Registry	
A1	
Note:-	
No Fee	
.Insert the Name(s) (in full).	address(es) and nationality of
he person (s) making this au	
2.Insert Name(s) (in full), add	dress(es) and nationality of the person(s) authorized.
i. Name (common/botanical)	of the plant variety, and crop.

FORM - PV 2

[See rule 27(2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

PROOF OF RIGHT TO MAKE APPLICATION

I/We ¹	†) 000000000000000000000000000000000000
referred to in this application as claiming to be the breeder or plant	ariety right holder
hereby declare that the applicant(s) who has/have signed this applicant	tion is/are my/our
assignee(s) or successor(s).	
I/we hereby enclose herewith the following documents as requied under	rule 27(2):-
1	
2	
3.	
I/we hereby declare that the information given above is true and co-	rrect to the best of
my/our knowledge and belief.	
Datedthisday of	a.
Signature ²	
Signatures of two witnesses along with their names and address :	
I.	
I/We also hereby declare that the information given above are true to	the best of my/our
knowledge and belief.	
Datedthisday of	
-	e
Note :- Strike out whichever is imapplicable.	12
To	*
The Registrar	
The Plant Varieties Registry	
At	
t to the County of the condensation of the con	

- Insert (in full) name, address and nationality.
- 2. To be signed by the Breeder or true Plant Variety Right holder(s)

FORM - PV3 [See rule 31(1)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION

ľ/We ¹	,hereby give notice of opposition,	
to the application for registral	tion of plant variety registration No.2	
, published on	for the following reason(s): -	
1		
2		
	(Signature) ³	
To.	*	
The Registrar	22	
Plant Varieties Registry	a.	
At		
Name, address and nationality of	f the person(s) filing notice of opposition	
2. Registration number as advertise	ed	
3. Signature of the person(s) filing	notice of opposition	
I/We hereby declare that the facts my/our knowledge, information and	and matter stated herein are true to the best of belief.	
Dated this Day of	200	
	(Signature) ²	

To

The Registrar
The Plant Varieties Registry
At

Strike out whichever is imapplicable

- State the name(in full), address and nationality.
- To be signed by the Applicant(s)

FORM - PV 4 [See rule 31(5)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

FORM OF COUNTER-STATEMENT

In the matter of opposition to the application Nofor the registration of a plant variety having registration No, published on
I/We 1 the applicant(s) for registration of the above plant variety hereby give notice that the following are the grounds on which I/we rely for my/our counter statement: -
1
2
3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I/We admit/ disagree with the following claims/allegations/contentions in the notice of opposition

* ***** dr - + 1 111 1 4

All communications in relation to these proceedings may be se	ent to the following address
in India -2	
(157A5/45)* (抗-維-統	
Dated this day of 200	
	3

	*
То	
The Registrar	a a
The Plant Varieties Registry	
At	
No Fee:	1965
1. Insert the Name(s) (in full), address(es) and nationality	of the person(s) making
this authorization.	_
2. Insert Name(s) (in full), address(es) and nationality of the	person(s) authorised.
Signature of the applicant or his agent or assignee.	
FORM - PV 5	
[See rule 33(6)]	
THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARM 2001	ERS' RIGHTS ACT,
REQUEST FOR EXTENSION OF	ГІМЕ
/we ¹	nev .
ereby request for extension of time for months under rule	33 for filing notice of
	Committee of the Commit
pereby request for extension of time for months under rule opposition/evidence/counter statement.	33 for filing notice of
n respect of application No	

The reasons for making this applica	ation is/are as follows:-	
1	(*)	
2	±:	
		
My/address for service in India is a	as follows:-	
Dated this day of	, 20	
127	Signature ²	
	7.81	
To		
The Registrar		
The Plant Varieties Registry		
		- 3
1. Insert the Name (in full),	address and nationality of the Applicant.	
2. To be signed by the Appli	icant(s).	
	FORM – PV 6 [See rule –39(1)(b)]	
THE PROTECTION OF PLAN	NT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS AC 2001	T,
APPLICATION FOR RENEWA	AL OF REGISTRATION OF PLANT VARIETII	ES
I/we ¹ apply for the dated in respect of the pla	he renewal of the plant variety registration No ant variety ² , having denomination	

The notice of renewal of the registration may be sent to the following address in India:
Dated this day of 20
Signature ³
T ₀
The Registrar
The Plant Varieties Registry
At
Insert the full name with surname and address of the applicant(s).
2 Name of the registered plant variety
3 Signature of the applicant(s)
FORM - PV 7 [See rule 41(1)]
THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001
APPLICATION FOR BENEFIT SHARING
l/we hereby apply that my/our name(s) may be registered as person(s) entitled to benefit sharing in respect of the plant variety, registration No.
The grounds for my/our being entitled to benefit sharing are given below:
L.

The details of the plant variety in respect of which I/we am/are claiming benefit sharing
are as follows ² :-
Plant Variety, of which the registration Number is
And in proof of my/our entitlement to benefit sharing whereof I/we transmit the accompanying documents 3 with a certified copy thereof.
My/our address for service in India is 4
Dated thisday of
(Signature) ⁵
T ₀
The Registrar The Plant Varieties Registry
At

- 1. State full Name and address as stated in the application for registration.
- 2. Name (common/botanical) of the plant variety and crop.
- Specify the particulars of such documents, giving its date, and parties to the same and showing how the claim made is substantiated.
- 4. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Variety Registry.
- 5. Signature of the Applicant or of his agent or assignee.

FORM - PV 8 [See rule 42(4)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

	PLICATION FOR BENEFIT SHARING	
I/We ¹ hereby give notice of opposition to the Application for benefit sharing made by/on behalf of ² and in respect of the registered plant variety, registration No dated		
The grounds on which the said application for	or benefit sharing is opposed are as follows:-	
i.	*	
2.	•	
3.	(a)	
In support of my/our opposition, I/we hereby	enclose herewith copies of the following	
II.		
Σ.		
2.		
3.		
My/our address of service in Ingia is	***************************************	
Dated this day of 200),,	
	77	
	Signature 3	
ſo		
he Registrar		
he Plant Varieties Registry	·*:	
\t		

2.

Strike out whichever is inapplicable

- 1. Insert the name (in full), address and nationality of the Applicant
- 2. The name(s) of the person(s) who has filed benefit sharing application
- 3. To be signed by the Applicant(s)

FORM - PV 9 (See rule 45(1))

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR REGISTRATION AS AN AGENT OR LICENSEE
I/We1 hereby apply for registration as an agent or licensee under
sub-section (4) of section 28 of the Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights
Act, 2001.
I/We hereby declare that I/we am/are an authorized agent or licensee in respect of the
plant variety2registration No
eligible to be a registered agent or licensee under section 28 of the Protection of Plant
Varieties and Farmers Rights Act, 2001 (53 of 2001) and the rules made therein. Given
below is my/our particulars:-
1. Name in full beginning with surname (in capital letters)
2. Address of the place of residence
3. Father's Name
4. Nationality
5. Date and place of birth
6. Occupation in full
7. Principal place of business
Address of the branch office, if any
9. Documents enclosed ³
L .

I we also hereby declare that the information give	en above are true to the best of my /our
knowledge and	

Danci	illus day of
4	SIGNATUTRE
10	
	tegistrar Tant Varieties Registry
1	Insert Name(in full), address and nationality of the persons entitled to benefit sharing.
7	Denomination, variety, registration number and other details of the plant variety(ies) in respect of which benefit sharing is claimed.
1	Specify the particulars of such documents, giving its date and parties to the same and showing how the claim made is substantiated.
4	Full address of the persons) who has/have the claim for benefit sharing.
Š	To be signed by the Applicant(s) or authorised licensee(s) or agent(s) or legal successor(s) or assignee(s).
	FORM - PV 10 [See rule 48]
THE	PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001
ΛP	PLICATION FOR VARIATION/CANCELLATION OF THE TERMS OF REGISTRATION
/We ¹	
1.	that I/We is/are registered breeder (s)/licensee/agent of the plant variety,

registration No.....;

2.	that the regist	ration of the	plant variety	was done by	an order	of the Regis	strar
	dated,						7
		0.79	2 2		9	4 14	
•		de Condes		otion of the	orme of -	aigtration a	ra ac
3.	that the groun	ias for variat	ion or cancell	ation of the	terms or n	gistration a	uç as
	follows :-		1.1				
				(#)			X
	a		- 100	,			
	b) + 1 · + 4 · + 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	44444				
	791						
I/v	ve hereby decla	re that the to	erms and cond	itions of the	registrati	on certificat	e may be
	ncelled/revised				•		•
1) (1)							
	D4 1 WY 0 D42 9532 WASS 444 91				v=		
Dated	this	day of	200		2.	ı	
	^				Signatur	e -	
					*-		
		*					
r		26					
Γo			40:		4		
	egistrar						0 a '
The Pl	ant Varieties I	Registry					
λι	X -2						
						- 36	
				*/:			
	Insert Namelin	. 6.015 - 22.				(*)	

- 1. Insert Name(in full), address, and nationality.
- ? To be signed by the Breeder or true Plant Variety Rights Holder(s).

FORM - PV 11 (See rule 49)

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO AN APPLICATION FOR VARIATION OR CANCELLATION OF REGISTRATRION

I/We ¹ hereby give notice of opposition to the application for variation/cancellation of the terms of the plant variety registration No dated for the plant variety, having denomination								
The grounds on which the said application is opposed are as follows: -								
2	10.79							
l.	a .							
2.								
3.		\$ "						
My/our address of service in India is								
Dated this day of	200							
	Si	gnature ²						
	*	Signal.	====					
To			-					
The Registrar The Plant Varieties Registry								
At								
			,A11					

FORM PV-12 [See rule 50]

THE PROTECTION OF PLAN'T VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION OF OFFER TO SURRENDER THE CERTIFICATE OF REGISTRATION BY THE REGISTERED BREEDER OF THE PLANT VARIETY.

No by ¹ I/ regist	we matter of plant variety	or success ety to surr	eby made or of the ender his
All co	mmunications relating to this application may be sent at the fol	lowing add	ress
~			
		60	
Dated	this date of 20		*
То	* 248		
The F	Registrar		
	lant Varieties Registry		
At 4.			
1.	Insert the name(s) of the person making this application.		
	Address of the person making this application.	25	
3.	Signature of the applicant or its agent.		
4.	State the name of the place of the appropriate office of	the Plant	Varieties
	Registry		
5.	Strike out whichever is not necessary.		

FORM PV-13 [See rule 51 (2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION FOR OFFER TO SURRENDER OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PLANT VARIETY

In the matter of application for offer to surrender of covariety	stration No
The written statement stating the facts and grounds of op	position are as follows: -
All communications in relation to these proceedings may in India	be sent to the following address
Dated this day of 20	5
To	
The Registrar of Plant Variety	
The Office of the Plant Variety Registry at	

- ! Name of the breeder or the successor of the plant variety making an application for surrender of plant variety.
- Name of the opponent making this application.
- Written statement setting out the nature of the opponent's interest, the facts upon which he bases his case and the relief, which he seeks. The opponent may furnish any documents upon which the opponent relies on as annexure to this notice of opposition.
- 4 Name and address of his principal place of business or residence
- Signature of the person making this application for opposition or his agent.
- 6 State the name of the place of the appropriate office of the Plant Variety Registry.
- Strike out whichever is not necessary.

FORM PV-14 [See rules 51(4)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

				5)		
	NOTICE OF INTENTION TO ATT	TEND !	HEA	RINGS		
hereby referen kindly	matter of the application made under section ¹ 20	being t	he api oppoi	plicant of	r the opp f being h	ponen neard i
·	ererreiti.				33	
				*0	30 ¥	
Dated	this day of 20	E F			4	
т.,	# # H	7	77	ye-1∰	-	
То	The Designation of Disast Versions			18		
(e)	The Registrar of Plant Variety The Office of the Plant Variety Registry at 5				. د	
			71 163			
1.	Insert particulars such as section No, form No making an application for surrender.	and a	lso th	e name o	of the ap	plica
2.	Insert name of the person making this notice.		- 12			10
3.				**		100
4.	Signature of person giving the notice or of his	agent.	J. (6)			
5.		office o	of the	Plant Va	riety Re	gistry
	Strike out whichever is not necessary.					
E	*	15			21	
	FORM PV-15				100	
	[See rule 52]		120		2001	(*)
	No.					774

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR REVOCATION OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION OF THE PLANT VARIETY REGISTERED UNDER THIS ACT BY ANY PERSON.

No registered in the name of	application is nerely indeed
by	revocation of the certificate on one of the
following grounds and in circumstances the statement.	at are stated fully in the accompany.

 that the grant of certificate of registration has been based on incorrect information furnished by the applicant.

- that the certificate of registration has been granted to a person who is not eligible for protection under this Act.
- that the breeder did not provide the Registrar with such information, documents or materials as required for registration under this Act
- 4 that the breeder has failed to provide an alternative denomination of the variety which is the subject matter of the registration to the Registrar in case where the earlier denomination of such variety provided to the Registrar is not permissible for registration under this Act
- that the breeder did not provide the necessary seeds or propagating material to the
 person to whom compulsory licence has been issued under section 47 regarding
 the variety in respect of which registration certificate has been issued to such
 breeder.
- That the breeder has not complied with the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder.
- 7 That the breeder has failed to comply with the direction of the Authority issued under this Act.
- 8. That the grant of certificate of registration is not in the public interest.

All communications relating to this application may	y be sent at the following	ng address
Dated this date of 20,	*	4
То		70
The Plant Varieties Authority/Registry		*-
At ⁵		

- Insert the name of the applicant.
- Nature of relationship of the applicant with the registered plant variety.
- Address of the applicant
- Signature of the applicant or his agent.
- 5 State the name of the place of the appropriate office of the Plant Varieties, Registry

opposition.

FORM PV-16 [See rule 53-(2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO OPPOSE THE REVOCATION OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PLANT VARIETY

in the matter of application for revocation of	with is the registered blocker,
hereby give notice of my intention to oppose the revocation, of érop	on of certificate, of plant variety
The written statement stating the facts and grounds of op	position are as follows: -
	(4)
	by he sent to the following address
All communications in relation to these proceedings fits in India.	ty be sent to the tonowing domest
*	6
	3 G
Dated this date of 20	Signature 5
То	
The Registrar of Plant Variety	
The Office of the Plant Variety Registry at	
1. Name of the person making an application for re-	vocation of plant variety
2. Name of the registered breeder.	A A B

3. Written statement setting out the nature of the opponent's interest, the facts upon which he bases his case and the relief, which he seeks. The opponent may furnish any documents upon which the opponent relies on as annexure to this notice of

State the name of the place of the appropriate office of the plant variety registry.

4. Name and address of his principal place of business or residence

5. Signature of the person making this application for opposition or his agent.

FORM PV-17 [See rules 53(4).]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

	AT LICATION FOR AN (TORIUMITI OF BELIGHEARD
making au reference	I ² 1 application to the Registra	nder section dated day of the applicant or the opponent hereby to provide an opportunity of being heard in uested that the time and place of the hearing be address
Dated this	day of20	799e
Го		Signature 4
The	e Registrar of Plant Variety e Office of the Plant Variety I	legistry at ⁵
2. 3. 4.	applicant making an applicat Name of the person making t Address of the person giving Signature of person giving th	his notice. this notice.
<i>.</i>	Registry	of the appropriate office of the Flant Variety
6.	Strike out whichever is not no	ecessary.
		M PV-18 rule 55(2)
THE P	7:	ARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001
	ANY TERMS OF REGIST	N FOR CANCELLATION OR CHANGE OF RATION OF THE PLANT VARIETY D'UNDER THIS ACT.
No	registered in the name being the registration on any ated fully in the accompanying vention of the provisions of the	1 // · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
¥0,055,000 €		olication may be sent at the following address ²
All Commic	inications relating to the Tr	
Dated this	day of 200	Signature 3
To The Regist The Plant	rar Varieties Registry	
		*

- 1. Insert the name of the person making this application.
- 2. Address of the person making this application.
- 3. Signature of the person making this application or his agent.
- State the name of the place of the appropriate office of the Plant Varieties Registry
- Strike out whichever is not necessary.

FORM PV-19 [See rule 57]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION BY ANY PERSON FOR MAKING, EXPUNGING OR VARYING THE ENTRY IN THE REGISTER OF PLANT VARIETY

In the matter of plant variety, of crop, having No registered in the name of application is being the registered breeder or registered agent licensee or any other person 5 of the above mentioned registered plant variet expunging or varying the entry in the register of plant variety on any of grounds and in circumstances that are stated fully in the accompanying state	t or registered ty for making, the following
1. absence or omission from the register of any entry.	
entry made in the register with sufficient cause.	
entry wrongly remaining in the register.	E 10
All communications relating to this application may be sent at the follo	wing address ²
Dated this day of 20 Signature 3	
То	
The Registrar The Plant Varieties Registry	
At 4	2 11
1. Insert the name of the person making this application.	

Address of the person making this application.

Strike out whichever is not necessary.

Registry

Signature of the person making this application or his agent.

4. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Varieties

FORM PV-20 [See rule 59 (2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION FOR EITHER CANCELLATION OR CHANGE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OR MAKING, EXPUNGING OR VARYING THE ENTRY IN THE REGISTER OF PLANT VARIETY BY THE REGISTRAR.

In the matter of the notice received dated the Registrar of plant variety bearing registration N	for ¹	
the Registrat of plant variety bearing registration is	vo or crop,	
I/We 2 hereby give notice of my inten	tion to oppose3	
The written statement stating the facts and the grou	unds of opposition a	re as follows ³ : -
All communications in relation to these proceeding	gs may be sent to the	e following addr
	10.74	
Dated this day of 20	Signature	5
То		
The Registrar of Plant Variety	÷.	47
The Office of the Plant Variety Registry at		

- The intention of the Registrar for cancellation or change of certificate of registration or making, expunging or varying the entry in the register of plant variety.
- 2. Name of the person making this notice of opposition.
- 3. Written statement setting out the nature of the opponent's interest, the facts upon which he bases his case and the relief, which he seeks. The opponent may furnish any documents upon which the opponent relies on as annexure to this notice of opposition.
- 4. Address of the opponent.
- 5. Signature of the person giving notice or of his agent,
- 6 State the name of the place of the appropriate office of the Plant Variety Registry.

FORM PV-21 [See rule 60]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR CORRECTION OF REGISTER BY THE REGISTERED BREEDER.

No registered in my name i.e.	, of crop, having registration application is hereby made or of plant variety on any of the following
 Correct any error in the Register in breeder or any entry relating to such 	n the name, address or description of such variety.
 Enter in the Register any change in breeder. 	n the name, address or description of such
is made: and may make any cons	ne variety in respect of which such application sequential amendments or alteration in the that purpose requires the certificate of
All communications relating to this application	ion may be sent at the following address
2	4
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2 2 7
Destalling desired 20	8
Dated this day of 20	3
ž.	
To	
The Registrar	
The Plant Varieties Registry	
At 1,	
	Live this application (registered breader)
1. Insert the name of the person ma	aking this application (registered breeder)
2. Address of the person making th	les as its agent
3. Signature of the registered breed	the appropriate office of the Plant Varieties
4. State the name of the place of	the appropriate office of the fame varieties

Registry

FORM PV-22 |See rule 62|

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR CORRECTION OF REGISTER BY THE REGISTERED AGENT OR THE REGISTERED LICENSEE

In the matter of plant variety No registered in the name of by' being the registered li mentioned registered plant variety to make correct	censee/ registered agent 6 of the above
and in circumstances that are stated fully in the acc	companying statement.
1. correct any error.	
2. enter any change, in the name, address or d	escription of the registered agent
3. enter any change, in the name, address or d	escription of the registered licensee.
All communications relating to this application ma	y be sent at the following address
CLES CARD TO SECURIO SECONO DALLOS CARDO - OND PHANO	
Dated this day of 20	Signature 4
10	
То	
The Registrar The Plant Varieties Registry	
At 5	

- Insert the name of the person making this application.
- Reasons of making this application i.e. either to correct any error or enter any change, in the name, address or description of the applicant.
- Address of the person making this application.
- 4. Signature of the applicant.
- 5 State the name of the place of the appropriate office of the Plant Varieties Registry
- Strike out whichever is not applicable.

application.

FORM - PV-23 [See rule 62]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001'

ALTERATION OF DENOMINATION

7			200	4		-
here by request to add/delete/alt	er the denominat	ion of a re	gistered	variety		•
of crop,having regist	ration No		-,publish	ed on	,	
The existing denomination is						ear .
as		ē.			a _{ll}	
All notices, requisitions and	communication	relating	thereto	may be	sent to	the
following address:	•	3	e W			
Dated thisday of	20					
			*	a		
		- 2		Signa	ture ²	
To,				,		
The Registrar		23			3	(9)
The Plant Varieties Registry			,			
At.,			# 1			
Strike off whichever is inapplied	cable				-	
1. Insert the Name(s) (in full	i), address (es) :	and Natio	nality of	the bre	eder/his	lega
representative/assignce.	- X				41	

2. Signature and Name of the person(s), with official seal, if any, making this

FORM - PV 24 [See rule65(1)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO THE ALTERATION IN DENOMINATION

herel	by give notice of opposition.	, to the proposed change in the denomination of
		of the crop havin
regis	tration No 2	or the crop
		, published on for the followin
reaso	on(s) : -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		* *
1		
2	***	
		5#1
I/wa	analas, th. C.II	
rwe.		ce(s) to substantiate my/our statement.
Dated	1 this day of	
		- Manager - Manager
		Signature 3
	190	Signature
ľo,		· •
	Registrar Varieties Registry	
\t	· varieues Registry	
1.	Name, address and nation	nality of the person(s) filing notice of opposition
2.	Registration number as ac	dvertised
3.		with official seal, if any, of the person(s) filing
	Notice of Opposition	of the person(s) filing
	VOLICE Of Concention	

FORM - PV-25 [See rule 66(2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT. 2001

APPLICATION FOR COMPENSATION

		300				2	_ he
request that I/we may of the crop_	be c	havi	ng r	egistratio	n No		an
nomination	-	, for fail	ure (of propag	ating m	aterial to	репоп
per stipulated expectation u	nder giv	en condition	S .		19		
	-14/14/21/12/23		T <i>h</i>	ara enclo	aina th	followin	10
support of my/our entitleme	nt to co	треняціон,	D.M.C	are encio	ottie rru	o routo 11 te	ъ
vidence(s) 2		8. 8				- u	
	7. 2					9.52	
		8 W					
ly/our Address for service is				8		8	
Albut ifficiencin in an ince			**				
CRESCOPIES STATE AND ASSESSED.	(122-10)	·		8		- 20	
	2.			- 77			
		•	3				
	tr S	: e : :	*	Sign	ature .	•	9
	ti s	* *	3.	Sign	ature	•	9
Fg	# H	**************************************	*	Sign	ature		
Fo The Authority, The Brotection of Plant Var	ieties a	od Farmers	' Rig		ature		
Fhe Authority.	ieties și	nd Farmers'	Rig		ature '		
The Authority, The Brotection of Plant Var Insert name (in full),			-	bts ·		request (for
The Authority, The Brotection of Plant Var Insert name (in full), compensation	address	and national	ity o	hts f persons	making	5	
The Authority, The Brotection of Plant Var Insert name (in full),	address	and national	ity o	thts f persons ow the cla	making uim ma	de is subs	tantiat

FORM - PV-26 [See rule 67(2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

L/We ¹					- her
give notice of opposition of	to the application	for	compensation	made	by/on be
respect of the registered registration No	plant variety		of cro	ор	in hav
The grounds on which the s	aid application for co	mper	nsation is oppos	ed are	as follows
1, ,	1 3		25 N		
2.					
3.			8		
In support of my/our opposi	tion, I/we hereby enc	lose l	nerewith certific	ed copi	es of the
following documents:- ·					11 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 4 3 4 5 5 7 5 6
I.					.00
2.					
3.					
My/our address of service in	India is				7
Dated this day	of 20				
				3	
o			Signa	ture "	
he Authority					
he Protection of Plant Vari	eties and Farmers'	Righ	ts		
	off which ever is i	372	E-1, -10		
 Insert the name(in full), The Name(s) of the name 				.91	
 The Name(s) of the pers To be signed by the Ann 	ion(s) who has star	ty of	the applicant		
3. To be signed by the App	mo mas integ a	n app	dication for cor	npensa	tion

FORM - PV-27 [See rule 68(2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

/We ¹		to t		for o	ompensat	ion ma	de by	on beh
)[1	•	- 2	arar		in ; hav
espect of the n					-01	crop_	-	; IIdV
egistration No		dated			30	11	(R)	14
he grounds on w	hich the s	aid ap	plication for co	mpen	sation is o	pposed	are as	follows:
	•							
		4	140		10.00			84
2.			v fire		274	28		
3.							1 B.	MT 3
n support of my/	our oppos	ition,	I/we hereby end	lose h	erewith c	rufied	copies	of the
ollowing docume	ents:-							- 1
8 5						î.		1570 16
:							777	4.24
<u>!</u> .			*					
			94				= ?	+
My/our address o	f service i	n Indi	a is					33
7.5h				+		215.		30.5
							016	
					CHEC SHOW			
	,							ï
Dated this	. day	0	of 20	Sa.		. 16		
					Sia.	ature 3		******
					Sign	Millic		
io .			processor de la companya de la comp Au≢				14	econi - Zeonali
								30
he Authority		d			1			
he Protection o	f Plant V	erietie	es and Farmer	' Rio	hés			

Strike off whichever is inapplicable

- I.Insert the name(in full), address and nationality of the Applicant
- 2. The Name(s) of the person(s) who has filed an application for compensation
- 3.To be signed by the Applicant(s)

FORM - PV-28 [See rule71(1)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

Grant of Compulsory License

I/We ¹ ,
hereby apply for the grant of compulsory license for plant variety————, of crop- having registration No-———, published on——— on the
following grounds, namely: -
 the reasonable requirements of the public for seeds or other propagating material of the variety have not been satisfied.
the seeds or propagating material of the variety not available to the public at reasonable price.
The documentary evidence in support of my/our interest and the facts stated above and copies thereof are herewith enclosed: -
1′
2
3
I/We declare that the facts and matters stated herein are true to the best of my/our knowledge, information and belief.
My/Our address for service in India is
Dated thisday of20
Signature ²

To

The Authority Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights

Strike off whichever is inapplicable.

- State the name (in full), address and nationality of the Applicant(s).
- To be signed by applicant(s) or if the applicant(s) is/are absent from India by authorised patent agent.

FORM - PV-29 [See rule71(6)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT

NOTICE OF OPPOSITION TO AN APPLICATION FOR COMPULSORY LECENSE

L/We ¹	·	hereby
give notice of opposition to the application for	compulsory licens	
of the registered plant variety	of crop	in respect having registration
Nodated	9214	
The grounds on which the said application for o	compensation is of	pposed are as follows:-
1		
2	n 8	2
3	8	
In support of my/our opposition, I/we hereby en	nclose herewith ce	rtified copies of the
following documents:-		*
1	A	200
2. ————	1. 1. 1.	
3		
My/our address of service in India is		
Dated this day of 20		
4	Sign	ature 3
То		y) (8)
The Authority		
The Protection of Plant Varieties and Farme	ers' Rights	
1		

Strike off whichever is inapplicable

- Insert the name(in full), address and nationality of the applicant
- The Name(s) of the person(s) who has filed an application for compulsory.
 license
- To be signed by the applicant(s)

FORM - PV-30 [See rule 73(1)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

AN APPLICATION FOR REVOCATION OF COMPULSORY LICENSE

2		hereby
request for revocation of compulsory lice	ense granted to ²	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
respect of plant variety, for the following	, of cropreasons:	,having registration No
Violation of terms and conditions of a 2. Inappropriate to continue license in p		•
The certified copies of all the documer grounds for revocation.	nts are enclosed h	nere with in support of my/our
I/We declare that the facts and matter knowledge, information and belief. My/Our address for service in India is	s stated herein a	re true to the best of my/our
	-	
Dated this day of	20	
		± 9.
		Signature 3
То		
The Authority		* .
The Protection of Plant Varieties and	Farmers' Rights	

Strike off whichever is inapplicable

- 1. Insert the name(in full), address and nationality of the applicant.
- The Name(s), address and nationality of the person(s), who has been granted compulsory license
- 3. To be signed by the applicant(s)

C

FORM - PV-31 [See rule73(3)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO AN APPLICATION FOR REVOCATION

license		97.	to the ap	of2	•					*****	
	-			−in	resp	ect	of	the	reg	istered	plant
General Education			of crop	<u> </u>		havi	ng re	egistra	tion	No	
dated		•									
The gr	ounds on v	which the	said applic	ation	for th	e revo	cation	of gra	nt of o	compuls	огу
license	is oppose	d are as f	ollows:-								
		- 25	((.								
(1)		**********									
(2)	********	*****				18		1242			
(3)	***************************************										
0000000000	port of my		sition, I/w	e here	by en	close l	erewi	th cert	ified c	opies of	the
(1)	1403247113347		***************************************								- 5
(2)	**************				E						
(3)	***************************************										
My/ou	ır address	of service	in India is	-							
				-						-100 24	
					. ,		-	-			- 10%
D 1	at.:	03422			0						
Dated	tnis	day	of	4	.0			Signat	ure 3.		

To

The Authority

The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights

Strike off whichever is inapplicable

- I Insert the name(in full), address and nationality of the applicant/licensee
- 2. The Name(s) of the person(s) who has filed an application for revocation
- 3. To be signed by the applicant(s)

FORM - PV-32 [See rule 75(1)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

In the matte	r of plant variety—— —, published on ——	——, of crop	, having registration No
I/We ¹	, published ou —		hereby
authoriza ²			
my/our behalf	f in connection with 3		and .
request that al	I notices, requisitions a	nd communications	relating thereto may be sent to
	ensee at the above addr		
I/We hereby r	evoke all previous auth	orizations, if any m	ade, in respect of the same
matter or proc	eedings.		
		25	1 × 8
Dated this	day of	20	
		6	
			2
	7		4
			Signature

(Name and official seal if any)

Te

The Registrar

The Plant Varieties Registry

Strike off whichever is inapplicable

- Insert the Name (in full), address and nationality of the applicant
- Insert the Name (in full), address and nationality of the registered agent/licenses
- State the particular matter or proceeding for which the authorization has been given
- Te be signed by the applicant(s)

FORM - PV-33 [See rule 76]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

REQUEST FOR CERTIFIED COPIES OF ENTRIES IN THE PLANT

VARIETIES REGISTER OR FOR INSPECTION OF SUCH ENTRY In the matter of plant variety--, of crop-----, having registration No--, published on -I/We1hereby request you to furnish me/us with a certified copy of----and to send the certified copy on address given above. I/We hereby request you to allow me/us to inspect entries/document-----in respect of the above plant variety. The purpose for which the certified copy of the entry (ies)/document is required is as follows:-1. 2. 3. Dated this day of 20....

Signature

(Name and official seal if any)

To

1) The Registrar

The Plant Varieties Registry

2) The Authority

Plant Varieties and Farmers' Rights Authority

Signature	4	-		+	.,				•													
-----------	---	---	--	---	----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Strike off whichever is inapplicable

- 1. Insert the Name (in full), address and nationality of the applicant
- Signature of the applicant
- State the particular matter or proceeding for which the authorization has been given
- To be signed by the applicant(s)

FORM O - 1 [See rule 30]

GOVERNEMNT OF INDIA, PLANT VARIEITIES REGISTRY

ADVERTISEMENT OF ACCEPTED APPLICATION FOR REGISTRATION

5 Application notiled onby!
or on behalf of Mr ²
for new plant variety/ extant variety/farmers, variety essentially derived
variety, of crop, having denomination,the specification including its, drawing and or photograph(s) of which are given
below, has been accepted and given registration numberon
The convention application no, in respect of the said variety has been filed on, in ³
Appropriate office for the opposition of proceeding under rule 29, of the
Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights, 2003, Rules is 4

- Name (in full), address/service address (with registration number, if applicable) & and nationality of the applicant.
- Name (in full), address and nationality of the breeder (in case applicant is not the breeder)
- 7. Name of the convention country
- 8. Name of the Office.

FORM O-2 [See rules 36 and 37]

GOVERNMENT OF INDIA, PLANT VARIETY REGISTRY CERTIFICATE OF REGISTRATION

REGISTRATION NO.——— OF 200—

And whereas he has, by an application, requested that registration of plant variety/essentially derived plant variety may be allowed to him for the said plant Variety;

And whereas he has, by and in his application, particularly described the various distinctive features and mentioned the denomination of the said plant variety;

Now, these presents that the above said applicant (including his legal representatives and assignees or any of them) shall, subject to the provisions of the Protection of Plant

Varieties and Farmers Rights Act	t, 2001 and the conditions specified in section 47 o
	ns and provisions specified by any other law for the
time being in force, have the e	exclusive right to produce, sell, market, distribute
import or export the variety for a	term ofyears from the day of
200and of authorizing any	other person to do so, subject to the conditions that
the validity of this registration is	s not guaranteed and that the fee prescribed for the
continuance of this registration are	e duly paid.
In witness thereof, the Registrar	has caused this registration to be sealed as of the
day of200	
	Seal and Signature of the
	Registrar, Plant Varieties
	Registry
ji	Date of Grant
	*
Note: - The fees for maintenance	of this registration, if it is to be maintained, will fall
due onday of	and on the same day in every year
thereafter.	
	FORM O-3
8	[See rule 38]
GOVERNMENT OF IND	DIA, PLANT VARIETIES REGISTRY
NOTICE OF NON-C	OMPLETION OF REGISTRATION
9***	Application Nodated
	ENDINGERUM ATVESSESSESSESSESSESSEMENTAL CONTRACTOR

Notice is hereby given under rule 38 of the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Rules, 2003 that the registration of the plant variety, in respect of which application was made on the day of 200————,has not been completed by reason of default on the part of the applicant. The applicant is directed to complete

the following requirement(s)	within a period of 30	0 days from th	e date of the	receipt of
this Notice:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.50		
tilla 110tion.	e 1			
3		*3		16. E
4				
			-	
Unless all the above require	ements are met with	in thirty days	of the recei	pt of this
notice, the application shall b			- A	E .
Dated this day of	200	* . *	9	
				A 17. 18
* -	SEAL AND SIG	VATUTRE OF		
	FORM - O-			
				+
GOVERNMENT OF IND FAR	ia, protect <mark>io</mark> n Mers rights al		VARIETRI	ES AND
REFERENCE FOR	RECOVERY OF E	ENEFIT SH	ARING AM	OUNT
				
То		· ***		•

Whereas has/have been asked vide Order dated to deposit

- has/have defaulted or failed to deposit the said

....., with the National Gene Fund under the provisions of Section 26(6).

Reference Case No.....

And whereas the said person(s) -

					THE GAZETTE OF INDIA : BXTRAORDINARY								
benefit	sharing	amount	for	the	last		and	whereas	the	said	person(s)		
reside(s)/carries	on his/the	eir w	ork a	ıt	, whi	ch is	within yo	ar jur	isdict	ion.		
In view	of the a	hove-me	stion	ed d	efault	on the n	art of	the perso	n(s)	name	d herein, a		
											ed amount		
TOTOTOTA	ce is cen	ig illade i	ret er		, , ,	011100 10 1				10000000			

The amount realised as an arrear of land revenue, pursuant to this refe required to be deposited with the National Gene Fund established under the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 within a period of three months after realization of the said amount.

of benefit sharing as an arrear of land revenue under the provisions of the

Dated this day of20

SIGNATURE WITH SEAL OF THE AUTHORITY

FORM 0-5 (See rule 47)

GOVERNMENT OF INDIA THE REGISTRAR OF PLANT VARIETIES

CERTI	FICATE OF REGISTS	vation of AG	ent or licencee	
NO	2525			
This is to certif	y that Shri/Smt/Ms	R/o	has/have been regist	ered
as an agent/lice	ensee in respect of plant v	ariety(ies)	,of crop	٠,
registration No	on this	. day of 2	20	
		4		

This Certificate shall, however, be subject to the terms and conditions stipulated in the contract in respect of the above mentioned registered plant variety (ies).

SEAL AND SIGNATURE OF THE REGISTRAR

PLANT VARIETIES REGISTRY

FORM - 0-6 [See rule 49]

GOVERNMENT OF INDIA, PLANT VARIETIES REGISTRY

NOTICE UNDER SECTION 28

	ş.	Notice !	ło	
APPLICATION NO.		PECT OF THE	PLANT	VARIETIES
Whereasterms of the registration of crop	ion certificate No.	in rest	ect of the	
In view of the above, y (s) with necessary documentice, failing which the	uments within a per	iod of three mont	hs from the	e receipt of this
Dated this day of	, 20		20	

SEAL AND SIGNATURE OF REGISTRAR, PLANT VARIETIES REGISTRY

FORM O-7 [See rule 51 (1)]

NOTICE OF THE OFFER TO SURRENDER THE CERTIFICATE OF REGISTRATION BY THE BREEDER OF THE PLANT VARIETY REGISTERED UNDER THIS ACT UNDER SECTION 33(2) BY THE REGISTRAR.

Registrar of Plant Variety hereby serves upon a notice to the registered agent and / or registered licensee of the application received under section 33 (1).

Copy of the application along with the accompanying statement received by the Registrar is annexed herewith.

If any person notified hereby, intends to oppose the surrender of certificate of registration, shall within 3 months of the receipt of this notification may oppose in the prescribed manner.

Dated this day of 200......

To

- (3) The Registered Agent At: 2
- (4) The Registered Licensee
- 1. Signature of the Registrar of Plant Variety or the duly Authorized person.
- Insert the name and address of the registered agent and/or the registered licensee
- 5. Strike out whichever is not necessary.

FORM O-8 [See rule 53 (1)]

NOTICE OF THE APPLICATION FOR REVOCATION OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION OF THE PLANT VARIETY REGISTERED UNDER THIS ACT BY ANY PERSON UNDER SECTION 34.

Authority of Plant Variety hereby serves upon a notice to the registered breeder of the application received under section 34.

Copy of the application along with the accompanying statement received by the Registrar is annexed herewith.

If any person notified hereby, intends to oppose the revocation of certificate of registration, shall within 3 months of the receipt of this notification may oppose in the prescribed manner.

Dated this	day of	20
------------	--------	----

To

The Registered Breeder

- Signature of the Chairman of the Authority or the duly Authorized person.
- Insert the name and address of the registered breeder and/or registered agent and/or the registered licenses.

FORM O-9 [See rule 59 (1)]

NOTICE OF THE REGISTRAR FOR EITHER CANCELLATION OR CHANGE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OR MAKING, EXPUNGING OR VARYING THE ENTRY IN THE REGISTER OF PLANT VARIETY.

- 1. cancellation the certificate of registration.
- changing the certificate of registration.
- making, expunging or varying the entry in the Register of Plant Variety.

Dated this day of 26

To

D Registered Breeder

Al-

E. Registered Agent

At

F. Registered Licensee

- 3. Signature of the Registrar of plant variety or the duly authorized person.
- 4. State the name and address.

FORM 0-10 [See rule 63 (1)]

NOTICE OF APPLICATION FOR CORRECTION OF REGISTER BY THE REGISTERED AGENT OR THE REGISTERED LICENSEE UNDER SECTION 37 (2).

	red breeder of the received by the
	i.
	i.
nying statement	received by th
nying statement	received by th
	l.,,,,,,,,,,
8	1,,,,,,,,,,,,
(e (e	١,,,,,,,,,,,
ig.	********
ê	*
he duly authoriz	ed person.
RIETIES RE	GISTRY
IINATION	*
tion No	dated
anomi==:\- = \	rata a sa
enomination of	plant variety
dated	was
4	ARIETIES RE

बण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाभारण	189
made by		
The altered denomin	nation as given below has been allowed.	
	2	Tal.
Dated this	day of200	
	. ₹ .	
	in the second se	at S.
	3	
*		
	SEAL AND SIGNATURE OF THE A	
	PROTECTION OF PLANT VARI	
5	FARMERS' RIGHTS A	UTHORITY
14	FORM 0 - 12	
GOVERNM	MENT OF INDIA, PLANT VARIETIES REGIS	STRY
	COMPENSATION TOWARDS COMMUNITIES'	
Plant variety-	of crop——having Registration No	dated
Notice is hereby gi	ven that the claims have been received from	
towards the contri	bution made by him/them, in the evolution of the	above plant
variety. The breed	er/his registered agent/legal representative/assignee i	is directed to
file any objection t	o such claim(s) within three months from the date of the	his notice.
He shall substan	tiate his objections to the claims by providing	authenticated
evidences.		

He shall be given opportunity of being heard if so desired.

..... day of 200... Dated this

> [No. 1-4/2003/SD-V] K.M. SAHNI, Addl. Secy.